Wednesday, 05 March, 1975

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 49 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

16 LSS/75—1

विषय सूची/CONTENTS

अंक 13, बुधवार, 5 मार्च, 1975/14 फाल्गुन, 1896 (शक)

No. 13, Wednesday, March 5, 1975/Phalguna 14, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*ता० प्र० संख्या 221 से 224	*Starred Questions Nos. 221—224	1—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 225 से 241	Starred Question Nos. 225 to 241	16—28
अतारांकित प्रश्न संख्या 2191 से 2304, 2306 से 2314, 2316 से 2320, 2322 से 2332 और 2334 से 2390	Unstarred Question Nos. 2191 to 2304, 2306 to 2314, 2316 to 2320, 2322 to 2332 and 2334 to 2390.	28—84 84—125
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	125
सभा पटल पर रखे गये	Papers laid on the table	125—127
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	128—133
कोडरमा में वैगनों को तोड़ कर माल चुराने सम्बन्धी कथित घोटाला	Reported wagon breaking racket in Kodarma	128
श्री बी० वी० नायक		128
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी		128
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	133
137वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	Hundred and thirty-seventh Report Presented	133
मंत्रिपरिषद् से त्यागपत्र देने के बारे में श्री मोहन धारिया का व्यक्तव्य	Statement by Shri Mohan Dharia on his Resignation from the Council of Ministers	133
गुजरात बजट, 1975-76	Gujarat Budget, 1975-76	137
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	138

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (गुजरात) 1974-75	Supplementary Demands for grants (Gujarat), 1974-75	141
विवरण प्रस्तुत किया गया	Statement presented	142
बजट (रेलवे) 1975-76—सामान्य चर्चा	Railway Budget 1975-76—General Discussion	142
श्री समर मुखर्जी	Shri Samar Mukherjee	142
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	144
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	145
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	148
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	149
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya	151
श्री था किरुतिनन	Shri Tha Kiruttinan	154
श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय	Shri Krishna Chandra Pandey	156
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	157
श्री पी० वी० जी० राजू	Shri P.V.G. Raju	159
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ram Shekhar Prasad Singh	160
श्री पाओकाई हाओकिप	Shri Paokai Kaokip	160
श्री प्रताप सिंह नेगी	Shri Pratap Singh Negi	161
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	161
डा० संकटा प्रसाद	Dr. Sankata Prasad	163

लोक सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 5 मार्च, 1975/14 फाल्गुन, 1896 (शक)

Wednesday, March 5, 1975/*Phalguna* 14, 1896 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कोका कोला बोटलिंग प्लान्टस में क्षमता से अधिक उत्पादन

*221. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री कोका कोला कारखानों के बारे में 19 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या .277 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोका कोला के किन-किन बोटलिंग, संयंत्रों को कितनी-कितनी राशि के पूंजीगत सामान के आयात की अनुमति दी गई और कितने पूंजीगत सामान को मंजूर किया गया है और उसकी शर्तें क्या है;

(ख) प्रत्येक संयंत्र की स्वीकृत क्षमता क्या है और गत तीन वर्षों में उनका उत्पादन क्या था; और

(ग) क्या वे क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) सन् 1972 से 1974 तक की सूचना निम्न प्रकार है :

क्रम सं०	पार्टी का नाम	अनुमोदित पूंजीगत वस्तुओं के आयात की राशि	अनुमोदन की शर्तें (यदि कोई हों)
1	2	3	4
		रु०	
1.	मैं० प्रेम नाथ मोंगा बोटलर्स प्रा० लि० मेरठ . . .	1,97,285	नहीं

1	2	3	4
2.	मै० के० वी० एन० आर० नारसप्पा कुरनूल	रु० 4,20,660	यह अनुमोदन फार्म के इस आश्वासन पर दिया गया है कि वह आयात लाइसेंस से दुगने मूल्य के उत्पादों का पाच वर्ष तक निर्यात करती रहेगी।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रम सं०	एकक का नाम	क्षमता दस लाख बोतलों में	उत्पादन दस लाख बोतलों में		
			1972	1973	1974 (अनुमानित)
1	2	3	4	5	6
1.	मै० प्यूर ड्रिंक्स (एनडी०) लि०, नई दिल्ली	†	214.84	123.00	88.94
2.	" " " " कलकत्ता	†	38.60	44.04	25.04
3.	" " " " बम्बई .	†	110.39	95.92	75.83
4.	मै० कानपुर बोटलिंग कं० कानपुर .	106.56	25.27	16.27	26.22
5.	मै० सफट बेवरेजेज लि० मदुराई .	34.56	24.39	16.32	19.45
6.	मै० साउथरन बोटलर्स मद्रास . .	60.93	23.77	20.01	19.86
7.	मै० यूनिवर्सल ड्रिंक्स (प्रा०) लि० नागपुर	51.84	9.13	14.61	28.45
8.	मै० बेबरेजेज एंड फूड प्राड० (प्रा० लि०) गोहाटी	23.04	9.26	10.62	19.68
9.	मै० पूना बेवरेजेज कार० प्रा० लि०, पूना .	57.60	13.94	12.38	20.73
10.	मै० आगरा बेबरेजेज कार०, आगरा .	76.80	21.64	2.88	21.36
11.	मै० प्यूर बेवरेजेज लि०, अहमदाबाद .	76.80	34.47	28.67	30.29
12.	श्री कृष्णा बोटलर्स प्रा० लि०, सिकन्दराबाद	59.76	27.31	25.50	28.20
13.	त्रिपटी ड्रिंक्स प्रा० लि०, कटक . .	14.40	11.72	12.88	11.21
14.	मै० पाटलीपुत्र ड्रिंक्स प्रा० लि०, पटना .	57.60	उत्पादन में नहीं हैं।		
15.	मै० स्टील सिटी बेवरेजेज प्रा० लि०, जमशेदपुर	57.60	28.04	27.69	30.71

1	2	3	4	5	6
16.	मै० जय ड्रिंक्स प्रा० लि०, जयपुर .	86.40	16.02	15.93	18.46
17.	मै० प्रेम नाथ मोंगा बोटलर्स प्रा० लि०, मेरठ	75.60	50.47	43.15	38.94
18.	मै० पंजाब बेवरेजेज चण्डीगढ़ .	86.40	73.26	57.13	45.70
19.	मै० संधी बेवरेजेज प्रा० लि०, इन्दौर .	24.00	14.64	20.31	15.74
20.	मै० सौराष्ट्र बोटलिंग कं० प्रा० लि०, राजकोट	34.56	14.27	12.19	15.19
21.	मै० बंगलौर साफ्ट ड्रिंक्स प्रा० लि०, बंगलौर	63.26	17.41	17.00	29.29
22.	मै० फैंब्ररिल गसोसा गोश्रा . .	††			

टिप्पण : † जिनमें क्षमता का उल्लेख नहीं था उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र रख लिये गये थे।

बोतलें भरने वाली उपर्युक्त 22 फर्म के अतिरिक्त मै० के० बी० नारसप्पा को प्रतिवर्ष 960 लाख कोका कोला इत्यादि की बोतलें भरने के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था यह एकक उत्पादन नहीं कर रहा है।

यह एकक तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में नहीं है और यह एक छोटा एकक है।

(ग) जी नहीं।

श्री के० एस० चावड़ा : कोका कोला निर्यात निगम से जो कि एक बहुक्षेत्रीय विशाल संगठन है 21 बोटलिंग संयंत्रों को कोकाकोला औरेंज और सोडा प्राप्त होता है इन 21 बोटलिंग संयंत्रों के नाम से वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंसों अथवा तदर्थ लाइसेंसों अथवा प्रतिपूर्ति आयात लाइसेंसो के नाम से कोकाकोला निर्यात निगम को 23 करोड़ रुपये के लाइसेंस दिये गये हैं। इस भांति हमारे देश में 45 करोड़ रुपये की बिक्री है। क्या इस प्रकार हम पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने में सहायता नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार हम अमरीका को भारी मात्रा में धन भेजने की अनुमति दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोका कोला निर्यात निगम को लाइसेंस जारी करने की सिफारिश कौन करता है?

श्री टी० ए० पाई : हम उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से होती रही हैं। इस उद्योग में 10 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है तथा एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

जहां तक विदेशों को धन भेजने का सम्बन्ध है लगभग 75 लाख रुपये की राशि विदेशों में भेजी जाती है जबकि निर्यात से कोका कोला निर्यात निगम की आय लगभग 183.43 लाख रुपये है। हम यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि कोला को नये लाइसेंस न दिये जायें। इस बारे में नीति निर्णय भी कर लिया गया है। हम ने कोका कोला निर्यात निगम को कोई अन्य नया पदार्थ आरम्भ न करने का भी निदेश दे दिया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि विभिन्न उपायों के द्वारा जिस में कोका कोला निर्यात निगम की पूंजी को कम करना भी शामिल है उस के कार्य को नियंत्रणाधीन किया जाये।

श्री के० एस० चावड़ा : श्री बालचन्द्रन पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के सचिव थे जिन्हें अब राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने वर्ष 1972-73 में कोका कोला निर्यात निगम

को 23 करोड़ रुपये के लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। कोका कोला निर्यात निगम एक बहु राष्ट्रीय फर्म है तथा इस ने अपने कार्य चालन से देश में विदेश मुद्रा की विकट स्थिति पैदा कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोका कोला निर्यात निगम का पक्षपोषण करने के मामले की जांच करने तथा संसद के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और इस पक्षपोषण के लिये संबंधित अधिकारी पर जिम्मेदारी ठहरायें क्योंकि इस ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के सब नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन किया गया है, के लिये संसद सदस्यों की एक समिति गठित करेगी ?

श्री टी० ए० पाई : यह कथन कि श्री बालाचन्द्रन ने 23 करोड़ रुपये के लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की थी सही नहीं हैं।

श्री के० एस० चावड़ा : फिर मुझे वह उत्तर प्रस्तुत करना पड़ेगा जो माननीय मंत्री ने सभा में दिया था। इस फर्म का उद्देश्य केवल यह है कि सब भारतीयों को कोका कोला के आदी बनाया जाये जैसा कि चीनियों को अफीम का आदी बनाया गया था। यही मेरी शिकायत है।

श्री टी० ए० पाई : वर्ष 1952-53 में केवल चार बोटलिंग संयंत्र थे। हम ने तब तक जब तब कि कोका कोला निर्यात निगम ने देश में ही कोका कोला तत्व बनाना आरम्भ नहीं किया था 4 लाख रुपये के मूल्य का कोका कोला तत्व निर्यात करने की अनुमति दी थी। उन्हें 15 लाख रुपये के ऐसे आवश्यक तत्वों को जो देश में उपलब्ध नहीं थे हर शर्त पर आयात करने की अनुमति दी गई थी कि पांच वर्ष की अवधि में इस में काफी कमी कर दी जायेगी तथा इस अवधि में वह कोका कोला के स्थान पर कोई अन्य पेय बनाने का प्रयास करें।

डा० कैलाश : हम मंत्री महोदय के उत्तर से सन्तुष्ट हैं कि और आयात लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे परन्तु में जानना चाहता हूं कि इन 22 संयंत्रों में से जिन का उल्लेख दिया गया है क्या कोई संयंत्र अपना पेय पदार्थ भी बना रहा है ? यदि ऐसा है तो उन से यह क्यों नहीं कहा जाता कि शत प्रतिशत कोका कोला निर्यात निगम पर निर्भर रहने की बजाय वह अपना पेय पदार्थ बनायें। यदि वह देशी पय पदार्थ बनाये तो बेरोजगारी की समस्या पैदा नहीं होगी जैसा कि मंत्री महोदय द्वारा उल्लेख किया गया है।

श्री टी० ए० पाई : वे अपने आप को कोका कोला निर्यात निगम से अलग करने को स्वतन्त्र हैं। इनके लिये उन्हें जिस सहायता की आवश्यकता होगी, सरकार को वह सहायता प्रदान करने में प्रसन्नता होगी।

श्री एम० एम० गोपाल रेड्डी : सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था कि इन कम्पनियों में विदेशी पूंजी 40 प्रतिशत अथवा 38 प्रतिशत होगी। फिर मंत्री महोदय इस कम्पनी को शत प्रतिशत विदेशी पूंजी की अनुमति कैसे दे रहे हैं ?

श्री टी० ए० पाई : कम्पनी में शतप्रतिशत विदेशी पूंजी है। हम अब उन से कह रहे है कि वह इसे संसद के अधिनियम की मुताबिक कम करें। उन्हें दो वर्ष का समय दिया गया है। हम देखते हैं कि इस का क्या परिणाम निकलता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कोका कोला निर्यात निगम अपनी स्थापना से अब तक करोड़ रुपये विदेशों में भेज चुका है। सरकार इस समय यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस निगम द्वारा कमाये गये मुनाफे को अमरीका भेजने के लिये भारत में इस का उपयोग किया जाये, कदम क्यों नहीं उठाती ?

श्री टी० ए० पाई: इस सुझाव का अर्थ तो यह हुआ कि उन की पूंजी को कम करके भी उन्हें वे कार्य करने की अनुमति दी जाये जो वे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उन की पूंजी को इस तरह से घटाया जाये जिस से हम कोका कोला के उत्पादन पर नियंत्रण कर सकें। हम यह भी चाहते हैं कि जो संयंत्र कोका कोयला का उत्पादन कर रहे हैं वे दो वर्ष की अवधि के अन्दर अपने आप को कोका कोला से स्वतन्त्र कराने के लिये पर्याप्त कदम उठायें। मुझे खेद है कि हमें इन्हें इसलिये अनुमति देनी पड़ रही है क्योंकि इसका रोजगार की समस्या से सीधा सम्बन्ध है।

श्री हरि किशोर सिंह: हर समय जब भी कोका कोला का प्रश्न उठाया जाता है इस में काफी समय लग जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय कोका कोला को भारत के लिये एक आवश्यक पेय मानते हैं यदि नहीं तो क्या सरकार यह जरूरी समझती है कि कोका कोला का बनाया जाना जारी रखा जाये?

श्री टी० ए० पाई: यह मेरी व्यक्तिगत राय का प्रश्न नहीं है कि लोग इसे चाहते हैं अथवा नहीं। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम कोका कोला निर्यात निगम के कार्यकलापों को सीमित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोका कोला पेय के स्थान पर देशी पेय बनाई जाये।

श्री वसंत साठे: मैं मंत्री मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि वह कोका कोला के मुकाबले देशी पेय को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि यदि ऐसा है तो सरकार उसे हमेशा 2541 मीटरी टन लैवीं चीनी क्यों देती हैं? आप ऐसा कर सकते थे कि वह खुले बाजार में 5 रुपये प्रति किलो की दर पर अथवा जो भी दर खुले बाजार में हो, उस पर खुले बाजार में चीनी खरीदे। उस लैवी दर पर चीनी क्यों दी जाती है? और भारतीय कम्पनियों की तुलना में कोका कोला निर्माताओं को लैवी चीनी क्यों दी जाती है? मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1968 के बाद भारतीय कम्पनियों को लैवी चीनी का कोटा क्यों नहीं दिया गया तथा कोका कोला को कोटा क्यों दिया। क्या यह कोका कोला बोटलिंग संयंत्रों के विस्तार को प्रत्साहन देने के लिये किया जा रहा है?

श्री टी० ए० पाई: यह प्रश्न 1968 से सम्बन्धित है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सात वर्ष पुराना है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है हम यह पता लगा रहे हैं कि क्या अलाट की गई लैवी चीनी का उपयोग किया जाता है अथवा नहीं।

श्री वसंत साठे : बहुत अच्छा। आप मुझे चालू वर्ष में अलाट की गई लैवी चीनी के आंकड़े बताइये।

श्री टी० ए० पाई : चीनी का आवंटन मेरे मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता ।

श्री वसंत साठे : मैं आप पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं चाहता हूं कि आप दूसरे विभागों से पता लगायें।

श्री टी० ए० पाई : मैं अवश्य दूसरे मंत्रालयों से जानकारी एकत्र करूंगा और माननीय सदस्य को सूचित करूंगा।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, it was alleged by Shri Babu Rao Patel a member of the Fourth Lok Sabha that the Coca Cola drink produced by Sanghi Breweries, Indore results in head ailment and it was stated by the Government in the House that an inquiry would be made in this regard. I want to know whether any such complaint was

received and whether any inquiry was got conducted in this regard and if so, the results thereof ? Is it a fact that blood pressure increases by taking Coca Cola ? May I know whether any such complaint was received?

श्री टी० ए० पाई : हृदय रोग के सम्बन्ध में कोका कोला के गुण और दोषों पर चर्चा करने के लिये मैं सक्षम नहीं हूं। यदि यह हानिकारक पय है, तो मुझे विश्वास है कि स्वाथ्य मंत्रालय इस पर विचार करेगा।

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker Sir, I have asked a specific question regarding Sanghi Breweries, Indore. It was assured by the Government that an inquiry would be made in that regard but nothing had been told so far about that.

Mr. Speaker : To my mind taking Coca Cola is less trouble some for the heart than controlling Members like you.

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : महोदय, क्या मंत्रालय को ज्ञात है कि ये 22 संयंत्र, विशेषतया कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के संयंत्र अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं तथा अपने उत्पादन को बिना रसीद पांच तारक होटलों को बेच रहे हैं? क्या ऐसी शिकायत मिली है और क्या सरकार इस बारे में नये सिरे से जांच कर रही है? मैं कहना चहता हूं कि कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली के पांच तारक होटल कोका कोला निगम से 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत कोका कोला बिना रसीद के खरीदते हैं? दूसरे अर्थव्यवस्था की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुये क्या सरकार की औद्योगिक नीति बहुराष्ट्रीय संगठनों को बढ़ावा देना है अथवा उन पर नियंत्रण करना ?

श्री टी० ए० पाई : महोदय, इस में कई मामले अन्तर्ग्रस्त हैं। कोका कोला का विक्रय कोका कोला निगम द्वारा नहीं अपितु कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास स्थित भारतीय बोटलिंग कम्पनियों द्वारा किया जाता है। वे बोटलिंग कम्पनियां रसीदें देती हैं अथवा नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोका कोला के फुटकर वितरण में रसीदें देना आवश्यक नहीं है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है डी० जी० टी० डी० ने यह सूचना दी है कि इन संयंत्रों की क्षमता उत्पादन से कहीं अधिक है। इसलिये क्षमता से अधिक उत्पादन करने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक विदेशों में धन भेजने का सम्बन्ध है, इन मामलों पर ध्यान दिया जा रहा है, और हम अवश्य इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कोका कोला जैसे निगमों के कार्य को, जिस से किसी आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, सीमित रखा जाये।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यदि कोका कोला निर्यात निगम विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा उस की धारा 29 के अन्तर्गत दिये गये मार्गदर्शन का पालन करने से इन्कार कर दे, तो सरकार इन बोटलिंग एककों को किस प्रकार आत्म निर्भर बनायेगी ?

श्री टी० ए० पाई : यह सोचना बोटलिंग कम्पनियों का काम है कि वे किस प्रकार आत्म निर्भर बनना चाहती है। इस बारे में उन्हें जो सहायता चाहिये, हम वह सहायता देंगे। वे चाहते हैं कि कोका कोला निर्यात निगम का कार्यकरण विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाये तथा तदुपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाये।

श्री के० गोपाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने बताया है कि सरकार विदेशी साम्य पूंजी को कम करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह चहती है कि गैर निवासी अंशधारी अपने अंश भारतीयों को बेच दें अथवा यह चाहती है कि भारतीय साम्य पूंजी को बड़ाया जाये ताकि प्रतिशतता के अनुसार न कि वास्तव में विदेशी अंश कम हो जाए।

श्री टी० ए० पाई : कोका कोला निर्यात निगम विदेशी कम्पनी की शत प्रतिशत सहायक कम्पनी है। जब इसमें लगी पूंजी परिवर्तित की जायेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम 60 प्रतिशत पूंजी भारतीय जनता को मिलेगी।

उड़ीसा में 'पेपर बोर्ड' का कारखाना

*222. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री गजाधर माझी :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में पेपर बोर्ड, पैक करने और लपेटने के कागज बनाने का कारखाना लगाने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कितनी लागत आयेगी, इस में कितना उत्पादन होगा और यह किस स्थान पर लगाया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) गत्ता, पैकिंग तथा लपेटने का कागज बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का तथा पार्टियों द्वारा सूचित किये गये अनुमानित उत्पादम, स्थापना स्थल और आश्वयक पूंजी निवेश का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

उड़ीसा में गत्ता, पैकिंग तथा लपेटने का कागज बनाने के लिये अनुमोदित योजनाओं का विवरण

पार्टी का नाम	उत्पादमिश्र	क्षमता	स्थापना स्थल	पार्टी द्वारा सूचित परि-योजना की लागत
		मी० टन प्रतिवर्ष		
1. मै० स्ट्रा प्रोडक्टस लि० 4, बी० ए० जैड० मार्ग, नई दिल्ली	एम० जी० औद्योगिक तथा आधार कागज	5,500	जै० के० पुर	3 करोड़
2. श्री प्रभात पण्डा	कोरूगेटिंग मीडिया तथा लाइ-नर पेपर	4,000	उड़ीसा के पिछड़े जिले	215 लाख
3. श्री विजेन्द्र कुमार	पैकिंग तथा रैपिंग पेपर	10,000	कटक जिला	250 लाख
4. श्री उमा शंकर मोदी	पैकिंग तथा रैपिंग पेपर	6,000	कटक जिला	118 लाख
5. ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	लेखन तथा मुद्रण का कागज रेपिंग तथा पैकिंग पेपर	30,000 20,000	कोरापुट जिला	34.62 करोड़
6. श्री एस० आर० गोयंका	डुप्लेक्स बोर्ड,	6,000	मयूरभंज	175 लाख
7. श्री जी० पी० टोडी	गत्ते, पैकिंग और रेपिंग पेपर	7,500	तलचर तालूक जिला धनकेनल	220 लाख

श्री अर्जुन सेठी : विवरण से पता चलता है कि कारखानों के लिये स्थानों का चयन अभी तक नहीं किया गया है। दूसरे, उन पिछड़े जिलों की ओर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जहां पेपर बोर्ड के लिये कच्चा माल उपलब्ध है। क्या वे उड़ीसा सरकार को इस सम्बन्ध में सूचना देंगे ताकि स्थानों का अन्तिम रूप से चयन करते समय वे उड़ीसा के पिछड़े जिलों के हितों का ध्यान रखेंगे ?

श्री टी० ए० पाई : उत्तर में इन परियोजनाओं के स्थापना स्थल भी दिये हुये हैं। वे किसी विशेष स्थान पर स्थापित किये जायेंगे या नहीं यह उस उद्यमी के निर्णय पर निर्भर करता है जो कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखेगा और राज्य सरकार पर भी निर्भर करता है जो उन उद्यमियों को आवश्यक कच्चा माल देगी और ये उद्यमी यह भी देखेंगे कि उन्हें एक पिछड़े इलाके में जाने के लिये क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : हमारा यह अनुभव रहा है कि आशय-पत्र अथवा लाइसेंस जारी किये जाने के बाद भी थे उद्योगपति कारखाने स्थापित करने में कई वर्ष ले लेते हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखे कि ये कारखाने शीघ्र स्थापित कर दिये जायें ताकि वे जनता का हितसाधन कर सकें।

श्री टी० ए० पाई : हम देखेंगे कि ये कारखाने शीघ्र ही स्थापित हो जायें और हम इनकी समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : विवरण के क्रमांक 2 पर बताया गया है कि कोरूगेटिंग मीडिया और लाइनर पेपर संयंत्र 'उड़ीसा के पिछड़े जिले' में स्थापित किया जायेगा। किन्तु उड़ीसा में तो 'उड़ीसा का पिछडा जिला' नामक कोई जिला नहीं है। तो फिर यह संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जायेगा?

श्री टी० ए० पाई : कौन से जिले पिछड़े जिले हैं यह फैसला योजना आयोग ने किया है और उड़ीसा सरकार को बता दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : तब आपको जिलों का नाम बताना चाहिये जैसा कि मद संख्या 7 में किया गया है।

श्री टी० ए० पाई : लाइसेंस जारी होने पर हम केवल यह कहते हैं कि किसी भी पिछड़े जिले में यह बात उद्योगपति पर छोड़ दी जाती है कि वह किस जिले में कारखाना स्थापित करना चाहता है। हम जिले का नाम नहीं बताते। हम उद्योगपति को किसी विशेष स्थान पर कारखाना खोलने के लिये बाध्य नहीं कर सकते।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतें क्या बड़े-बड़े व्यापारियों को भी मिलेंगी? मेरे विचार में सूची में बहुत से बड़े-बड़े व्यापार गृहों के नाम भी दिये गये हैं।

श्री टी० ए० पाई : स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड को छोड़कर बाकी व्यापार गृह बड़े व्यापार गृह नहीं हैं। यदि कोई व्यापारी इन सुविधाओं से लाभ नहीं उठाना चाहता तो हम उसे इसके लिये मजबूर नहीं कर सकते। सामान्यतः उन्हें इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिये।

रोजगार की विकास दर

*223. **श्री शरद यादव** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं, वितरण और व्यापार के त्रिमुखी क्षेत्र में रोजगार की विकास दर विकासशील देश के लिये अधिक नहीं है;

(ख) यदि हां तो क्या यह गलत योजना प्राथमिकताओं और कृषि, लघु उद्योग और उपभोक्ता सामग्री उद्योगों की उपेक्षा का परिणाम है; और

(ग) यदि हां, तो इस अस्वस्थकर प्रवृत्ति को बदलने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

Shri Sharad Yadav : May I know the funds earmarked for big and small schemes in the next Five Year Plan?

Shri Vidya Charan Shukla : We have not made any distinction between the big and small schemes in the Five Year Plan. If the Hon'ble Member specifies the scheme in respect of which he wants information. I can furnish figures.

Shri Sharad Yadav : I would like to know the funds earmarked for being spent to solve unemployment problem among the educated and uneducated people and also on luxury items.

Shri Vidya Charan Shukla : We spend funds on the development of industries and agriculture and this way help people in getting employment. The funds thus spent in the welfare of the people are also utilised for increasing employment potential and for helping people in getting employment.

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या उद्योगों में महिला मजदूरों की लगातार छंटनी हो रही है क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं हैं ? सरकार इन महिला मजदूरों को छंटनी से बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं आई है ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : वह महिलाओं के दर्जे सम्बन्धी प्रतिवेदन को पढ़ें जिनसे पता चलता है कि महिला मजदूरों की निरन्तर छंटनी की जा रही है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमें इसका पता नहीं है । हो सकता है किन्हीं क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कुछ कठिनाइयां सामने आई हों ।

श्रीमती टी० लक्ष्मीकान्तम्मा : महिलाओं के रोजगार की दर कम हो गई है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमारी नीति महिलाओं को उपयुक्त क्षेत्रों में, विशेषकर इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की है । हम सरकारी और गैर-सरकारी उपक्रमों में भी महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं ।

Shri Madhu Limaye : I had also given notice of this question. The question has been mutilated and my name has been omitted.

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दे सकते हैं ।

Shri Ganeshwar Misra : The question stood in his name as well as in the name of Shri Sharad Yadav.

अध्यक्ष महोदय : यहां केवल एक ही नाम है ।

Shri Madhu Limaye : It is height of nonsense on the part of Parliament Secretariat...... (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

Shri Madhu Limaye : Why was my name omitted ? Why was the question mutilated?

Mr. Speaker : All have stood up. What is it all happening ?

Shri Madhu Limaye : The question has become meaningless........(*Interruptions*). Let me read it out. It is not a question of any party. It was as under :

यह एक नीति कर मामला है जिस के बारे में हम स्पष्टीकरण चाहते है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये । आप हर बार इस तरह खड़े हो जाते हैं ।

Shri Madhu Limaye : You never admit your mistake. I have not said any wrong thing.

कृपया प्रश्न पढ़िए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में केवल शरद यादव का नाम है । यदि कोई और बात है तो आप मुझे लिख कर दीजिये । मैं कैसे जान सकता हूं ? हजारों प्रश्न आते हैं ।

Shri Madhu Limaye : He is new man and that is why you mutilated the question.

मुझे मूल प्रश्न पढ़ने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । आप जो चाहते हैं वह मुझे लिखकर दीजिये ।

श्री मधु लिमये : मुझे प्रश्न पढ़ने दीजिये । इसमें आपत्ति की कौनसी बात है । आप सुनना ही नहीं चाहते हैं।

Mr. Speaker : There is only one name in the question that I have with me.

Shri Madhu Limaye : If you want that I should quit the House. I am prepared to resign here and now. If things are to move like this. I will not stay here even for a single moment.

Mr. Speaker : Why are you making a noise?

Shri Madhu Limaye : I do not make a noise. You do not allow me to speak. You listen to me for a minute.

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया प्रश्न सुन लीजिये । उनका नाम प्रश्न में था ।

अध्यक्ष महोदय : जो भी हो, अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप मुझे लिखकर दीजिये । (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : आप श्री मधु लिमये की बात को क्यों नहीं सुनते । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मेरी इजाजत लिये बिना अचानक खड़े हो गये और असंगत बातें करने लगे। यह प्रश्न श्री शरद यादव के नाम में है। इसमें दूसरा नाम नहीं है।

Shri Ganeshwar Mishra : But Shri Madhu Limaye has said that he had also given notice of that question.

श्री पीलू मोदी : एक बात निश्चित है कि जब तक आप सुनेंगे ही नहीं कि उनकी शिकायत क्या है . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों सुनूं। यह बात यहां स्पष्ट है।

श्री पीलू मोदी : आधी सूचना तो सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : वह सदन में बार-बार खड़े नहीं हो सकते ?

श्री पीलू मोदी : उनकी बात सुने बिना आप किसी उचित निर्णय पर नहीं पहुंच सकते।

अध्यक्ष महोदय : कार्यालय द्वारा मुझे बता दिया गया है, और मैंने देख लिया है।

श्री पीलू मोदी : आप बीसवीं बार बोल चुके हैं और हमने बीसों बार सुन लिया है। लेकिन आपने हमारी बात एक बार भी नहीं सुनी है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप केवल इसी लिये आये हैं।

डा० कैलाश : श्री लिमये को अपने वह शब्द वापस लेने चाहियें। इनसे कहा जाये कि वह अपने शब्द वापिस लें।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना खड़े हुए हैं। मैं इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

प्रश्न चाहे कैसा भी है, मैं सदन में कुछ बात सुनने को तैयार नहीं हूं। आप मुझे लिख कर दे सकते हैं। मैंने आप को बुलाया नहीं है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : यह प्रश्न काल है। केवल प्रश्न किये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह अपने को अतिमानव समझते हैं।

श्री समर गुह : मेरा एक अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : किस सम्बन्ध में है ?

श्री समर गुह : इस बारे में तो मैं सहमत हूं कि उन्हें आपसे कक्ष में परामर्श करना चाहिये, लेकिन साथ ही मेरे मित्र श्री शरद यादव यहां नव आगंतुक हैं। उनका यह पहला प्रश्न है। उनका मूल प्रश्न इस प्रकार है :

> "(क) क्या सरकार/योजना आयोग ने योजना के 20 वर्षों में विनिर्माण और निष्कर्षण तथा खानों, सेवाओं तथा वितरण और व्यापार में रोजगार की वार्षिक विकास दर का अनुमान लगाया है।"

यदि यह प्रथम भाग निकाल दिया जाये तो प्रश्न न केवल असंगत बनेगा अपितु नितान्त निरर्थक भी बन जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रश्न का सम्पादन प्रश्न कर्ता सदस्यों की सलाह से किया गया है। कभी कभी मैं स्वयं कार्यालय से अनुरोध करता हूं कि मेरे प्रश्न को विशेष प्रकार से सम्पादित किया जाये। इस मामले में क्या यह सम्पादन प्रश्न कर्ता सदस्यों की सलाह से किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जहां नियम सुस्पष्ट होता है वहां सलाह लेना आवश्यक नहीं, यह प्रश्न अतीत के इतिहास में जाता है । इसमें 20 वर्ष पुरानी सूचना मांगी गई है जबकि उन्हें केवल गत तीन वर्ष की ही सूचना दी जा सकती है । परामर्श का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मधु लिमये : नियम लागू करने में आप यांत्रिकी न बने।

श्री समर गुह : वह नये हैं और उनका यह पहला प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रश्न कर सकते हैं लेकिन नियमों के अन्तर्गत होने चाहिये । प्रथम या दूसरे प्रश्न का कोई विकल्प नहीं है ।

श्री मधु लिमये : इससे कौन से नियम का उल्लंघन हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका यहां उत्तर देने के लिये तैयार नहीं हूं ।

Shri Sharad Yadav : I am a new comer. I wanted to ask two questions. First, I was saying that my question has completely been distorted. I made hectie efforts to know how this has been changed. I was putting these two questions, but you made me sitdown.

(*interruptions*).

Shri Madhu Limaye : This question was put because Government Budget has been upset.

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास सैंकड़ों नहीं बल्कि हजारों प्रश्न आते हैं और उन सभी का अनुसचिवीय स्तर पर निपटारा किया जाता है । आप इसे बार बार पूछ रहे हैं । इसके बारे में तत्काल पता लगाने के लिये अध्यक्ष से कैसे आशा की जा सकती है । मुझे कार्यालय से सूचना प्राप्त करनी होती है कि इसके बारे में क्या टिप्पण दिये गये थे और इसके क्या कारण हैं । आपका अचानक खड़ा होना और तत्काल प्रश्न करना गलत बात है । मैंने आप को स्पष्ट रूप में बता दिया है कि इस प्रथा का कभी पालन नहीं किया गया है । आप मुझे लिखें और मैं इसकी जांच करूंगा । यदि कोई गलती हुई है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं । लेकिन यहां नहीं । मैं इस तरह से झुकने वाला नहीं ।

श्री मधु लिमये : मैं अध्यक्ष के कक्ष में तो जाना ही नहीं चाहता ।

श्री समर गुह : अभी इस प्रश्न पर विचार स्थगित किया जा सकता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप उन्हें प्रश्न करने के लिये कोई और अवसर दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव, आप प्रतिभाशाली नवयुवक हैं । यदि कोई गलती हो गई है तो आप उसे मेरे ध्यान में ला सकते हैं । मैं आप को सही सलाह दे सकता हूं । लेकिन अब आप बाधा न डालें । Please be patient

Shri Sharad Yadav : I note it for future. I shall met you in your chamber; because it is an important question. I request you to give me an opportunity, at least in the next week. Infuture I shall meet you in your Chamber.

अध्यक्ष महोदय : आप फिर इसे आरम्भ कर रहें । कृपया शान्त हो जायें ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे अगले सप्ताह के लिये स्थगित कर दिया जाये . . . (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जायें ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत अधिक है । खेतीहर मजदूर, बटाई पर खेती करने वाले तथा छोटे किसान अधिकतर हरिजन और आदिवासी हैं । मैं मंत्री महोदय या प्रधान मंत्री, जो भी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, से यह जानना चाहता हूं कि पांचवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर अगस्त-सितम्बर-अक्तूबर तथा फरवरी-मार्च-अप्रैल के मन्दी के महीनों में रोजगार के पर्याप्त अवसर बनाने की दृष्टि से सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी गम्भीर बेरोजगारी फैली हुई है । अतः हमने पांचवीं योजनावधि में कृषि विकास को उच्चतम प्राथमिकता दी है ।

कृषि विकास के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के लिये अनेक योजनायें तैयार की गई हैं । यह अत्यन्त विस्तृत और व्यापक प्रश्न है । लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि कृषि सम्बन्धी योजना तैयार करते समय उनके प्रश्न में उठाये गये मुद्दे को दृष्टि में रखा गया है । हमें विश्वास है कि यदि यह योजना क्रियान्वित हुई तो इससे अवश्य ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुलेंगे ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने मन्दी की अवधि के लिये, जबकि हजारों खतीहर मजदूर भूखों मर जाते हैं, उठाये गये ठोस कदमों के बारे में एक स्पष्ट प्रश्न किया है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैंने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है ।

श्री नवल किशोर सिंह : क्या यह सच है कि चौथी योजना में की गई राशि निवेश की प्रतिशतता की तुलना में पांचवीं योजना अवधि में कृषि विकास के लिये राशि नियतन की प्रतिशतता बहुत कम है ?

श्री विद्याचरण शक्ल : मेरा सविनय अनुरोध है कि इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में पता लगाऊंगा और माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

श्री डी० बसुमतारी : क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने बार-बार योजना आयोग को यह सुझाव दिया है कि जब कभी कोई राष्ट्रीय परियोजना पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्रों में बनाई जाती है तो वहां स्थानीय क्षेत्रों के विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास किया जाना चाहिये और उनके पुनर्वास के लिये धनराशि नियत की जानी चाहिये और यदि हां तो क्या इस सुझाव को स्वीकृत किया जायेगा या नहीं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मामला महत्वपूर्ण है और हम इसे सदैव ध्यान में रखते हैं । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि इसको कभी नजर अन्दाज नहीं किया जायेगा ।

16 LSS/75—2.

गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्युत् परियोजनाओं की स्थापना

*224. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों ने देश में विद्युत् परियोजनाओं की स्थापना के लिये अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कहां स्थापित किया जायेगा और उनकी विद्युत् उत्पादन क्षमता कितनी है तथा प्रत्येक मामले में अनुमानित लागत कितनी होगी ?

ऊर्जा मंत्री : (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है :

विवरण

मैसर्स टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी—जो गैर-सरकारी क्षेत्र में एक विद्युत् व्यावसायिक (युटिलिटी) संस्थान है—ने अपने ट्राम्बे ताप-विद्युत् केन्द्र में 87.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 500 मै• वा० के एक यूनिट के प्रतिष्ठापन के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

कैप्टिव विद्युत् संयंत्र स्थापित करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित चार यूनिटों के आवेदनों की सरकार द्वारा जांच की जा ही है :—

(1) मैसर्स स्टार पेपर मिल्ज़, सहारनपुर, (उत्तर प्रदेश)	4.5 मै० वा०
(2) मैसर्स जे०के० स्टार प्रोडक्ट्स लि०, रायागोडा (उड़ीसा)	4.0 मै० वा०
(3) मैसर्स वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्ज़, डांडेली (कर्नाटक)	10.00 मै० वा०
(4) मैसर्स आंध्र प्रदेश पेपर मिल्ज लि०, राजाहमुन्दरी (आंध्र प्रदेश)	10.00 मै० वा०

श्री शंकर राव सावन्त : औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की भारी कमी, जिससे देश की अर्थ-व्यवस्था बिगड़ गई है, को दृष्टि में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि ये प्रस्ताव सरकार के सम्मुख कब प्रस्तुत किये गये थे और उन्हें तुरन्त स्वीकृत क्यों नहीं किया ?

श्री कृष्ण चन्द्र ां त : मैसर्स टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी की परियोजना प्रतिवेदन की एक अग्रिम प्रति हमारे पास आ गई थी लेकिन राज्य बिजली बोर्ड की मंजूरी का कोई औपचारिक पत्र हमें नहीं मिला है । हमारे पास राज्य सरकार से पत्र आ गया है जिसमें परियोजना की स्वीकृति देने के बारे में राज्य विद्युत् बोर्ड को निदेश दिया गया है । हम इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे । वस्तुतः हमने इसे पहले ही देख भाल लिया है । राज्य सरकार और राज्य विद्युत् बोर्ड से पत्र मिलने के बाद ही हम इस पर विचार करेंगे । विवरण में उल्लिखित अन्य चार प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन हैं ।

Shri Narsingh Narain Pandey : Whether the hon. Minister is aware that the U.P. Government has sold many power generating sets which were under State Electricity Board to the private parties without his permission ? Whether the private sector is being encouraged like this and today the private owners are supplying electricity to the consumers at double the rate as compared to those charged the State Electricity Board ? If so, whether permission was accorded for the same, and whether it is in accordance with Centre's policy ?

Shri K. C. Pant : If any state Government desire it can sell its power houses. When they become old, they are useless, and therefore, there is no other way to dispose them of. Therefore, no permission is necessary for their disposal. The Centre is consulted only when a new plant is to be set up by a private undertaking.

We had asked the State Governments in this regard and they have stated that those sets have become useless and Uttar Pradesh was facing acute power shortage. Therefore they sold it to the private sector to avoid its impact on industrial production. As far as I know the industries themselves purchased those sets for their own use so that they may run their industries. This does not make any difference. We will have to see when they supply electricity to other consumers.

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने उन परियोजनाओं के बारे में बताया है जो लागू किये जाने की स्थिति में हैं और जिसका अर्थ मैं यह समझा हूं कि इन मामलों में कोई परियोजना प्रतिवेदन नहीं दिये गये । मैं जानना चाहता हूं कि ये परियोजनाएं तापीय बिजली घर में या पन बिजली घर, विशेषकर कर्नाटक में डंडेली स्थित वैस्ट कोस्ट पेपर मिल के सन्दर्भ में और आन्ध्र प्रदेश में राजा मुन्दरी स्थित आन्ध्रा पेपर मिल के सन्दर्भ में, जिनके प्रबन्धक एक ही हैं ? यदि हां, तो वे बिजली घर कहां-कहां स्थित हैं ? क्या 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प या सैद्धांतिक नीति निर्णयों में ऐसा कोई उपबन्ध है, जिसके अनुसार देश में ऊर्जा की कमी होने पर ऐसे उद्योग धन्धों को देश में बिजली का अधिक उत्पादन करने की अनुमति दी जा सकती है ? क्या प्रशासनिक, कानूनी और बिजली बोर्डों की बाधाओं को छोड़कर इसमें और कोई आपत्ति है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ये तापीय बिजली घर हैं और संभवतः वहीं लगाये जायेंगे जिनका उल्लेख विवरण में किया गया है ।

जहां तक मोटे तौर पर नीति का संबंध है, नयी ऊर्जा क्षमता सरकारी क्षेत्र में ही उत्पन्न की जानी चाहिये लेकिन जहां यह राष्ट्रीय हित में हो वहां गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इसकी अनुमति दी जा सकती है ।

Shri Shiv Kumar Shastri : Mr. Speaker, the hon. Minister has just stated that the unserviceable power houses could be disposed of by the State Govts. without Centre's permission. I want to know, whether a part of Kasampur Power House in Aligarh District has been sold to a Modi Firm, and whether it is also a fact that the same power house is producing electricity after repairs and thus a source of earning for the Modis ?

Shri K. C. Pant : As far as I know Yes, Sir.

Shri D. N. Tiwary : I want to know whether Government would allow private parties for supplying Power in those areas where power consumption is very low such as north Bihar where the per Capita power consumption is 10 units as compared to the all India figure of 90 units and where Government have so far failed to supply adequate power ?

In places like Muzaffarpur and Kathiahar in north Bihar, Government, instead of setting up power plants there have shifted the sanctioned scheme elsewhere. May I know whether private parties would be encouraged to set up power plants there ?

Shri K. C. Pant : As I have stated, our policy is to set up power plants in public sector only. There is no question of encouraging any party, but if some private party submits any such proposal we will certainly consider.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ऊर्जा के उत्पादन के लिए भूतापीय शक्ति की खोज

*225. **श्री एच० के० एल० भगत :**

श्री समर गुह :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा के उत्पादन के लिये सरकार ने उपलब्ध भूतापीय शक्ति की खोज के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस कार्यक्रम में बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के गरम पानी के चश्मों को सम्मिलित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) भू-तापीय विद्युत् के विकास का कार्यक्रम अभी भी अधिकांशतः अनुसंधान और विकास की स्थिति में है । इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण क्षेत्र में और भारत के पश्चिमी समुद्र-तट पर अनुसंधान करने के लिये एक संयुक्त-राष्ट्र विकास परियोजना प्रारम्भ की गई है । इसके अलावा, लद्दाख में पुगा घाटी और हरियाणा में सोना के क्षेत्र में भी अनुसंधान किये जा रहे हैं । ये क्षेत्र अत्यधिक आशाजनक प्रतीत हुए थे । इन स्थलों पर प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर, भू-तापीय शक्यता वाले अन्य स्थलों पर अनुसंधान प्रारम्भ किये जायेंगे ।

प्रदूषण के खतरे के बारे में सरकार द्वारा किया गया अध्ययन

*226. **श्री सरदीश राय :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरे के बारे में कोई अध्ययन किया है जिसके परिणामस्वरूप भारत के लोगों का स्वास्थ्य गम्भीर रूप से खराब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम रहा है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान नागपुर ने 1968-69 में बम्बई, देहली, कलकत्ता तथा कानपुर—चार बड़े शहरों में एक से दो महीने की अवधि तक वायु के प्रकार का अल्पकालीन सर्वेक्षण किया। संस्थान ने आगरा तथा वजीराबाद (देहली) के मध्य जमुना में कानपुर के पास गंगा में दुर्गापुर में दामोदर तथा आसनसोल क्षेत्र (कलकत्ता) में हुगली नदी में जलप्रदूषण पर भी अध्ययन किया गया था।

(ख) प्रदूषण हेतु चुने हुए स्थानों के अध्यन से यह प्रतीत होता है कि वहां प्रभाव तो है परन्तु इतनी मात्रा में नहीं है कि स्वास्थ्य के लिये हानिकर हो।

(ग) जल उपचार हेतु उपयुक्त विधियों, मल प्रवाह, औद्योगिक श्राव, वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा छोर अपशिष्ट को निपटाने के लिये नगर निगम, औद्योगिक क्षेत्रों तथा राज्य सरकार आदि बहुत-से अभिकरणों को संस्थान ने परामर्श रूप में सहायता प्रदान की है ।

वायु और जल प्रदूषण को रोकने के लिये भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :--

(एक) सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों और औद्योगिक क्षेत्रों को वायु एवं जल प्रदूषण से संबंधित परामर्श देने के साथ ही साथ पर्यावरण आयोजन एवं समन्वय हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई है ।

(दो) जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, (1974) को लागू कर दिया गया है । राज्यों द्वारा उसी के अनुरूप कदम उठाने की आवश्यकता को दर्शाते हुए केन्द्र ने राज्यों को भी इनकी सूचना भेज दी है ।

(तीन) वायु प्रदूषण नियन्त्रण बिल की रूप रेखा तैयार की जा रही है ।

(चार) नये कारखानों के लिये प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपना अनिवार्य कर दिया गया है। औद्योगिक अनुज्ञापत्र के लिये आवेदन पत्र के प्रोफार्मा में स्राव को युक्त करने से संबंधित नया खंड शामिल किया गया है ।

(पांच) जल एवं वायु प्रदूषण के कुछ विशेष विशिष्ट तत्वों को रोकने के लिये इनसे इनसैक्टिसाइड अधिनियम (1968) और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, (1962) भी साथ ही साथ है ।

सरकारी उपक्रमों के शेयरों की गैर-सरकारी क्षेत्र में बिक्री

***227. श्री वरके जार्ज :**

श्री शशि भूषण :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 49 प्रतिशत ईक्विटी शेयरों को गैर-सरकारी क्षेत्र को बेचने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित पेशकश से इस बात का पता चलता है कि सरकार अपनी औद्योगिक नीति से हट रही है; और

(ग) इस नई पेशकश की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र की कम्पनी स्कूटर्स इंडिया ने 43% इक्विटी शेयर सार्वजनिक अभिदान के लिए देने की योजना बनाई है। इसका अर्थ किसी प्रकार से सरकार की औद्योगिक नीति से हट जाना नहीं है।

Visit of Russian Technicians

*228. **Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether a team of Russian technicians visited India in January, 1975 to study the utilisation of Indian equipment and the capacity of Indian engineering industry in the setting up of industries in India ; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) In response to an invitation extended by the Union Minister of Industry and Civil Supplies, Mr. V.F. Zhigalin, the Soviet Minister for Heavy, Power & Transport Industry and two groups of experts visited India during January/February 1975. During their stay in India, the team visited the Hardwar Unit of BHEL, Heavy Engineering Corporation, the Bokaro Steel Project, as also two other public sector units. The purpose of the visit was to discuss the various problems relating to the fuller utilisation of the capacity of the Soviet aided projects, such as the supply of component and materials and the requirement of balancing plant and machinery; the purpose was also to find out the extent to which these public sector enterprises could supply equipment for projects that are being set up by the Soviet Union in third countries. As a result of the discussions, a Protocol was signed between India and USSR on the 10th February, 1975, at New Delhi.

आदिवासी कल्याण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि

*229. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आदिवासी कल्याण केन्द्रों की संख्या आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु अपर्याप्त है ;

(ख) इस समय केन्द्रों की, राज्यवार, कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) उनकी संख्या में वृद्धि करने और उनके कार्यकरण में कार्यकुशलता लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासन सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) आदिवासी कल्याण केन्द्रों के लिये केन्द्रीय प्रायोजित कोई कार्यक्रम नहीं है। किन्तु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक आदिवासी विकास खण्डों की 504 युनिटों की थी जिसमें मोटे तौर पर वे क्षेत्र आते थे जिनमें दो तिहाई से अधिक आदिवासी जनसंख्या थी। यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं समझी गयी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उन सभी क्षेत्रों में जहां 50 प्रतिशत से अधिक बसाकत है एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत लाये जा रहे हैं। आशा है कि अब देश की कुल आदिवासी जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत भाग इसके अन्तर्गत आ जायेगा जबकि पिछले कार्यक्रमों में लगभग 40 प्रतिशत भाग इसके अन्तर्गत था। कारगर कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक प्रबन्धों का पुनरीक्षण करने तथा उनको प्रभावी बनाने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है।

कलकत्ता, मद्रास और मसूरी में टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना

*230. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री एम० कत्तामुत्तु :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, मद्रास और मसूरी में टैलीविजन केन्द्र स्थापित करने क लिए कोई तारीखें निश्चित की गई हैं ; और

(ख) टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के कार्य को बार-बार एक वर्ष से दूसरे वर्ष के लिये स्थगित करने के क्या कारण हैं जिससे आशावादी दर्शकों और टेलीविजन निर्माताओं में अनिश्चितता पैदा हो रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) इन केन्द्रों पर निर्माण कार्य अभी विभिन्न अवस्थाओं में है, अतएव, इन स्थानों से प्रेषण शुरू करने की अभी कोई निश्चित तारीखें तय नहीं की गई हैं।। तथापि, उम्मीद है कि ये केन्द्र इस वर्ष के दौरान चालू हो जायेंगे।

(ख) टावरों की सप्लाई और उनको खड़ा करने तथा उपकरणों की प्राप्ति में कठिनाइयों के कारण कुछ देरी हुई है।

ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, टीटागढ़ (पश्चिम बंगाल) को नियंत्रण में लेना

*231. **श्री रोबिन सेन** : (क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि उसे टीटागढ़, पश्चिम बंगाल में स्थित ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी एकक को अपने नियंत्रण में लेने की अनुमति दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (ग) पं० बंगाल सरकार ने अक्तूबर 1974 में सूचित किया था कि वे इस विशिष्ट बात पर विचार करके कि वित्तीय अथवा प्रबंधकीय जिम्मेदारी केन्द्र की न होकर स्वंय राज्य सरकार की होगी, मे० ब्रिटेनिया इंजीनियरी कंपनी के टीटागढ़ एकक का अधिग्रहण करना चाहते थे। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि इस प्रकार के अधिग्रहण करने की सिफारिश करने से पहले उपकरणों की स्थिति का अधुनातम मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि चूंकि एकक चार वर्षों से भी अधिक समय बन्द रहा है, इसलिए यह भी आवश्यक है कि उत्पादन की जीव्यता और वित्तीय अनुमानों का भी पता लगाया जाना चाहिए। राज्य सरकार की अंतिम सिफारिश हाल ही में प्राप्त हुई है और यह विचाराधीन है। इस पर शीघ्र ही अंतिम रूप से निर्णय होने की आशा है।

देश में औद्योगीकरण में शान्ति

*232. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार देश में विशेषकर सरकारी क्षेत्र में औद्योगीकरण में पूर्ण क्रांति लाने के लिए नीति और प्रशासन के मामले में अनेक कदम उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्या उपाय किए जाएंगे और वे कब तक किए जायेंगे ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) और (ख) औद्योगिक क्षेत्र में विकास, सामाजिक न्याय तथा आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी नीतियां 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प से शाषित होती हैं। 1956 के औद्यौगिक नीति के इस संकल्प में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का सरकार का विचार नहीं है? औद्योगिक नीति संकल्प के ढांचे के अंदर रह कर सरकार ने

औद्योगिक लाइसेंन्स प्रक्रिया में समय समय पर परिवर्तन किए हैं जिससे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिल सके। हाल ही में लिए गए अधिक महत्वपूर्ण निर्णय नीचे दिए जाते हैं।

वर्तमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने के और उत्पादन बढ़ाने के दृष्टिकोण से सरकार ने निर्णय किया है कि उत्पादों की सूची सीमा के अन्दर तथा उपक्रम की कुल लाइसेंस क्षमता के अन्दर विशिष्ट अनुमोदन प्रक्रिया के आधार पर मशीनरी तथा मामूली मशीनी औजार वाले उद्योगों को उत्पादन में विविधता लाने की पूरी पूरी आजादी दी जाए। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि वे औद्योगिक उपक्रम जो एक और दो पाली के आधार को निर्दिष्ट करते हुए औद्योगिक लाइसेंसधारी हैं, सयंत्र और मशीनरी के उपयोग में छूट प्राप्त कर अपने लाइसेंसों को दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं सरकार ने हाल ही में यह भी घोषणा की है कि विशिष्ट क्षमता का लाइसेंस रखने वाले उपक्रम कुछेक शर्तों के अधीन निर्यात के लिए और अधिक उत्पादन करने हेतु बढ़ायी गयी क्षमता की मान्यता दिए जाने की सुविधा भी हासिल कर सकते हैं। विदेशी बहुलांश वाली कंपनियों व उपक्रमों एवं जिन्हें एकाधिकार की बंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अधीन मंजूरी लेना आवश्यक है उनके बारे में उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में एक टास्क फोर्स का गठन करके एक विशेष प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

फरवरी 2, 1973 के औद्योगिक लाइसेंस नीति विवरण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका की व्याख्या कर दी गयी है। औद्योगिक नीति संकल्प के विशद ढांचे के भीतर ही देश में औद्योगिक विकास करने हेतु सरकारी क्षेत्र को और अधिक निश्चित भूमिका अदा करने का कार्य सौंपा जा रहा है।

पांचवीं योजना में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

*233. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में विद्युत उत्पादन के क्या लक्ष्य रखे गए हैं ;

(ख) लक्ष्य प्राप्ति के लिए बनाई गई योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजनाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के प्रारूप में 16.55 मिलियन कि० वा० की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता परिकल्पित है। परियोजनाओं के नाम तथा उनकी क्षमता उपाबन्ध में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया** । देखिए संख्या एल० टी० -9090/75]

(ग) अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं के कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का पुनर्गठन तथा उसे सुदृढ़ बनाना।

(2) राज्य बिजली बोर्डों की प्रबंध-व्यवस्था को व्यावसायिक रूप देना, जिससे परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की उनकी क्षमता में सुधार किया जा सके।

(3) केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कम्पनियों की स्थापना करना।

(4) इस्पात, सीमेंट, विस्फोटक पदार्थों, गैसों ग्रादि जैसी दुर्लभ सामग्रियों का, विद्युत परियोजनाग्रों के लिए प्रतिरक्षा के बाद प्राथमिकता के ग्राधार पर ग्रावंटन।

(5) देशी उपस्कर की सुधरी किस्म ग्रौर उसकी समय पर उपलब्धता जिससे ग्रायात से संबंधित देरी से बचा जा सकेगा।

(6) ताप-विद्युत् केन्द्रों में विन्यास ग्रौर उपस्कर का मानकीकरण।

(7) जल-विद्युत तथा ताप-विद्युत् परियोजनाग्रों के लिए विकसित ग्रनुसंधान ग्रौर विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना।

(8) कठिनाईयों ग्रौर ग्रड़चनों का पुर्नानुमान लगाने तथा उन्हें दूर करने के उद्देश्य से परियोजनाग्रों के निर्माण की प्रगति के प्रभावी पर्यवेक्षण की व्यवस्था को लागू करना।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति कोटे में वृद्धि करना

*234. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार ग्रायोग ने 1968 में यह सिफारिश की थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति कोटे को 25% से बढ़ाकर 40% कर दिया जाये ;

(ख) क्या लगभग सभी राज्य सरकारों ने इस सिफारिश का समर्थन किया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार ग्रायोग की सिफारिशों को स्वीकार करने में विलम्ब किये जाने के कारण समूचे देश के राज्य सिविल सेवा ग्रधिकारियों में पर्याप्त ग्रसंतोष व्याप्त है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किया गया है ; ग्रौर

(ङ) यदि नहीं, तो निर्णय किस तारीख तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक ग्रौर प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ग्रोम मेहता): (क) प्रशासनिक सुधार ग्रायोग ने यह सिफारिश की है कि

"ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिये जो श्रेणी 1 में नहीं है—उन्नति के ग्रधिक ग्रवसरों की व्यवस्था करने के लिये—

(क) पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली श्रेणी-1 की रिक्तियों के कोटे को ग्रधिकतम 40 प्रतिशत तक, जहां वर्तमान कोटा इस प्रतिशत से कम हो, बढ़ा दिया जाए।"

यह एक सामान्य सिफारिश है जो राज्य सिविल सेवा के ग्रधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नति के सम्बन्ध में भी लागू होती है।

(ख) जिन राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है, उनमें से ग्रधिकांश ने इस सिफारिश का समर्थन किया है।

(ग) राज्य सिविल सेवा ग्रधिकारियों एसोसिएशनों से ग्रनुरोध प्राप्त हुए हैं कि इस सिफारिश पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाए।

(घ) तथा (ङ) समुचित प्राधिकारियों के साथ परामर्श से ग्रभी इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है ग्रौर यथाशीघ्र ग्रावयश्क निर्णय ले लिया जाएगा।

कच्चे माल के कोटे का दुरुपयोग करने वाले छोटे एककों को काली सूची में रखने के बारे में विधान

*235. **श्री एन०ई० होरो :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के कोटे का दुरुपयोग करने वाले लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को स्थायी रूप से काली सूची में रखने के बारे में सरकार एक विधेयक लाने की स्थिति में है ;

(ख) क्या सरकार ने सभी जिला हैड क्वार्टरों में कच्चे माल के शृंखला बद्ध बैंक खोलने का भी कोई प्रयास आरम्भ किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों में परिचालित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार यह सिद्ध हो जाने पर कि नियत किए गए कच्चे माल का किसी एकक ने दुरुपयोग किया है उस पूर्व पंजीकृत एकक को पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा विपंजीकृत किया जा सकेगा । अत. इस प्रयोजन के लिए कानून बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

(ख) तथा (ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में स्थित राज्य लघु उद्योग निगमों के माध्यम से लोहा तथा इस्पात जैसे दुर्लभ कच्चे मालों का प्रणाली कृत वितरण किया जा रहा है । सम्बद्ध राज्यों के विभिन्न स्थानों पर इन निगमों के डिपो हैं । अब तक स्थापित किए गए राज्य लघु उद्योग निगमों की सूची संलग्न है ।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नाम जहां पर राज्य लघु उद्योग निगम स्थापित किए गए हैं ।

राज्य

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. प० बंगाल
4. बिहार
5. केरल
6. गुजरात
7. मध्य प्रदेश
8. महाराष्ट्र
9. कर्नाटक
10. उड़ीसा
11. पंजाब
12. राजस्थान

13. उत्तर प्रदेश

14. तमिलनाडु

15. हरियाणा

16. हिमाचल प्रदेश

17. त्रिपुरा

18. मनीपुर

19. जम्मू तथा काश्मीर

केन्द्र शासित प्रदेश

1. दिल्ली

रबड़ की वस्तुएं बनाने वाली कम्पनियों में क्षमता का उपयोग

*236. **श्री निम्बालकर : क्या उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ की वस्तुएं बनाने वाली कम्पनियों की क्षमता के उपयोग में भारी कमी के कारण उनके उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1973 की तुलना में 1974 में रबड़ की वस्तुएं बनाने वाली कम्पनियों की क्षमता के उपयोग में कोई भारी कमी नहीं आयी है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिजो लोगों से निपटने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए 'आसुका' का प्रयोग

*237. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मिजो लोगों से निपटने के लिये 'आंसुका' का प्रयोग करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिये भी 'आंसुका' का दुरुपयोग किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो दिसम्बर, 1974 से अब तक राज्यों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(घ) उनको गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के सभी उपबंध समस्त मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र में पहले से ही लागू हैं और भारत की रक्षा अथवा विदेशी

शक्तियों के साथ भारत के संबंधों अथवा भारत की सुरक्षा अथवा राज्य की सुरक्षा अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने अथवा समाज के लिए सप्लाई तथा अनिवार्य सेवाएं बनाए रखने के लिए किसी प्रतिकूल ढंग से कार्य करने से किसी व्यक्ति को रोकने के उद्देश्य से मिजोराम में उसको नजरबंद करना सम्भव है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। किसी व्यक्ति की राजनैतिक सम्बद्धता आंसुका के अन्तर्गत उसकी नजरबन्दी के लिए स्वयं में एक तत्सम्बन्धी तत्व नहीं हो सकती । यह बिल्कुल आकस्मिक बात है कि यदि आंसुका में प्रदत्त प्रयोजनों के लिए नजरबंद किए गए व्यक्ति की कोई विशिष्ट राजनैतिक सम्बद्धता है ।

(ग) तथा (घ) कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1-12-74 से 15-2-75 तक की अवधि के दौरान आंसुका के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दी जाती है ।

शष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

1-12-74 से 15-2-1975 तक की अवधि आंसुका के अधीन नजरबन्द व्यक्ति की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निम्नांकित कारणों से संबंधित नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या				जोड़
	राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था अनुरक्षण	आवश्यक पूर्ति व सेवा अनुरक्षण	भारत में विदेशियों के ठहरने का नियमन	तस्करी आदि	
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	1	16	--	—	17
असम	--	11	—	ऋ	11
बिहार	76	—	—	ऋ	76
गुजरात	2	—	—	—	2
मध्य प्रदेश	1	—	—	ऋ	1
कर्नाटक	—	3	—	—	3
मणिपुर	—	--	--	1	1
उड़ीसा	—	6	—	ऋ	6
पंजाब	—	—	32	2	34
तमिलनाडु	—	25	—	—	25

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा	2	—	—	ऋ	2
उत्तर प्रदेश	5	1	—	ऋ	6
जोड़	87	62	32	3	184

टिप्पणी : (i) ऋ—अभी सूचना आनी है।

(ii) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा अन्दमान व निकोबार अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, लक्षद्वीप तथा पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सूचना "शून्य" है ।

(iii) 19 दिसम्बर, 1974 तक जब विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधिरोक अधिनियम लागू, हुआ तस्करों तथा विदेशी मुद्रा की ठगी करने वालों की नज़रबन्दी 17 दिसम्बर, 1974 को आंसुका अध्यादेश द्वारा तथा संशोधित आंसुका के अधीन की जाती थी जो 19 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हो गया था । अतः 19 दिसम्बर, 1974 तक तस्करी आदि की नजरबन्दी के आंकड़े भी उपरोक्त विवरण में दिए गए हैं ।

तापीय बिजली घरों के संचालन और रख-रखाव के बारे में केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् बोर्ड द्वारा आयोजित गोष्ठी

*238. **श्री धामनकर :**

श्री वसंत साठे :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड तथा विद्युत् बोर्ड ने देश के तापीय बिजली घरों के संचालन और रख-रखाव की विशेष समस्याओं के बारे में हाल में एक गोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त गोष्ठी में हुए विचार-विमर्श के आधार पर केन्द्रीय सिचाई तथा विद्युत्? बोर्ड ने सरकार से कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) गोष्ठी द्वारा कोई औपचारिक सिफारिशें नहीं की गई हैं । बहरहाल, गोष्ठी में उठाए गए प्रश्नों का शारांश उपाबंध में दिया गया है ।

(ग) गोष्ठी में उठाए गए प्रश्नों का अध्ययन किया जा रहा है । बहरहाल, इनमें से अधिकांश प्रश्नों पर पहले ही समुचित कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है ।

विवरण

(1) यूनिटों की दक्षता तथा उपलब्धता में सुधार लाने के लिए प्रचालन तकनीकों और रख-रखाव कार्य विधियों में सुधार करने की गुंजाइश है ।

(2) ईंधन तेल की कीमतें बढ़ जाने के कारण, तेल के प्रयोग में किफायत बरतने की आवश्यकता है ।

(3) वृहद यूटिलिटी बायलरों की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से, उनके बार बार सांविधिक निरीक्षण को कम करने के लिए बायलर अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए ।

(4) विद्युत् केन्द्रों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले की किस्म को सुधारने की आवश्यकता है और चूक के लिए राष्ट्रीयकृत खनन एजेंसियों पर जुर्माना लागू होना चाहिए जैसा कि राष्ट्रीयकरण से पहले गैर सरकारी खानों के मामले में होता था ।

(5) प्रयोग के दौरान कट जाने वाले पुर्जों के लिए कटाव-रोधी सामग्रियों के प्रयोग और विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(6) आयात किए जाने वाले तथा देशी दोनों प्रकार के अतिरिक्त पुर्जों की उपलब्धता में सुधार किया जाना चाहिए ।

(7) विद्युत् केन्द्रों के निर्माण/प्रचालन के कार्यभारी प्राधिकारियों को प्रशासनिक और वित्तीय दोनों प्रकार के पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिएं, जो कि उनके द्वारा निभाए जाने वाले उत्तरदायित्वों के अनुकूल हों ।

(8) पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, व्यावहारिक विचारों और सूचना या आंकड़ों के आदान-प्रदान द्वारा प्रचालन और रख-रखाव से संबंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(9) ताप-विद्युत केन्द्रों में प्रचालन और रख-रखाव के काम में लगे स्टाफ को, उनके कठिन कर्तव्यों के प्रति सम्मान के रूप में तथा इन केन्द्रों में कार्य करने हेतु सुयोग्य कार्मिकों को आकर्षित करने के लिए उचित प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं ।

(10) समस्त सामान की लागत को कम करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर अतिरिक्त पुर्जों के सामान्य पुल बनाये जाएं ।

(11) सतर्क दक्षता नियंत्रण और निरोधक-रखरखाव से केन्द्रों की उपलब्धता पीकिंग क्षमता और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा ।

(12) कोयले की ढुलाई में वैगनों की उपलब्धता में कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पिट-हैड सुपर स्टेशन स्थापित किए जाने चाहिएं ।

(13) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण जैसे एक केन्द्रीय अभिकरण द्वारा विद्युत केन्द्रों को पेश आने वाली सामान्य समस्याओं की राष्ट्रीय स्तर पर जांच की जानी चाहिए, ताकि उचित सुधारात्मक उपाय विकसित किए जा सकें ।

पूर्वी क्षेत्र में एक ईसाई राज्य बनाने का कथित षड्यंत्र

*239. **श्री मख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार प्राप्त हुए हैं कि कुछ विदेशी मिशनरी देश के पूर्वी क्षेत्र में एक ईसाई राज्य बनाने का षड्यंत्र कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे विदेशी मिशनरियों की योजना कुचलने के लिये इस बीच कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिर भी सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में सामान्य सतर्कता बरती जा रही है।

राज्यों में विद्युत् की आवश्यकता

*240. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य की वर्तमान विद्युत् आवश्यकताओं पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी बिजली की आवश्यकता है ;

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य को कुल कितने यूनिट विद्युत् उपलब्ध है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को विद्युत् उत्पादन की योजनाएं बनाने के क्या उपाय सुझाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फरवरी, 1975 के दौरान राज्य-वार विद्युत् की अनुमति आवश्यकताएं, उपलब्धता और कमी मिलियन यूनिटों में उपाबंध एक में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9091/75]

(घ) पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में, योजना के अन्त तक 16.5 मिलियन कि० वा० की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का निर्माण करना परिकल्पित है, जिसके ब्यौरे उपाबंध दो में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-9091/75] इस अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से ताप्-विद्युत् केन्द्रों से अधिकतम संभव उत्पादन प्राप्त करके, जिसके लिए राज्यों को ठोस उपायों के सुझाव दिए गए हैं, और विभिन्न राज्य तथा क्षेत्रीय विद्युत् प्रणालियों के एकीकृत प्रचालन द्वारा विद्युत् की मांगों के पूर्ण हो जाने की प्रत्याशा है।

सार्वजनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के लिये समन्वित राष्ट्रीय नीति

*241. **श्री श्री किशन मोदी :**

श्री शिव शंकर प्रसाद यादव :

क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार देश में सार्वजनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के संबंध में एक समन्वित राष्ट्रीय नीति तयार करने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस नीति के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं को लिया गया है ;

(ग) क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रियों का एक सम्मेलन इस नीति पर विचार करने के लिये फरवरी 1975 में कोचीन मे हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो वहां पर क्या मुख्य निर्णय किये गये ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्राथमिकता और जनता के कमजोर तथा गरीब वर्गों की जरूरी आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार करने तथा उसे मजबूत बनाने के बारे में राज्य सरकारों के खाद्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रियों के साथ उत्तरी तथा केन्द्रीय क्षेत्र पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों के चार क्षेत्रीय सम्मेलन में चर्चा की गई थी। दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों का सम्मेलन 4 फरवरी, 1975 को कोचीन में हुआ था। सर्वप्रथम राय यह थी कि प्रारम्भ में महानगरों तथा बड़े शहरी क्षेत्रों, खानों, औद्योगिक तथा बागानी क्षेत्रों मजदूरों के रहने वाले इलाकों, जिला मुख्यालयों, पहाड़ी इलाकों और बार-बार अभाव कमी से प्रभावित होने वाले जिलों के ग्रामीण जैसे जरुरतमंद क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं अर्थात खाद्यान्नों, जिनमें, जहां आवश्यक हों, मोटे अनाज तथा दालें शामिल है, चीनी, स्टैंडर्ड कपड़ा, वनस्पति, जिसमें खाने के तेल भी शामिल हैं, सस्ता इंधन (साफ्ट कोक तथा मिट्टी का तेल) और नमक के वितरण को प्राथमिकता दी जाए। पूर्वी तथा दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्रों में दालों, पहाड़ी क्षेत्रों और महाराष्ट्र तथा गुजरात में मोटे अनाजों, पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल और पूर्वी तथा उत्तर-पुर्वी क्षेत्रों में नमक जैसे पदार्थों की मांग की विशेष रूप से पूरा करना होगा। यह सिफारिश भी की गई थी कि सीमेंट, विद्यार्थियों के लिए कागज तथा लेखन-सामग्री, कृषि प्रयोजनों के लिए डीजल तेल, आवश्यक दवाओं, साबुन, दियासलाइयों, बवी फूड, टायर तथा ट्यूबों, आम जूतों तथा सोडा राख का उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय किये जाएं।

पश्चिम बंगाल में पुरलिया तथा बांकुरा जिलों में कोयला खानों से कोयला निकालना

2191. **श्री शंकर नारायण सिह देव :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान किसी भी नई कोयला खान से कोयला नहीं निकाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल में पुरुलिया तथा बांकुरा जिलों में नई कोयला खानों से कोयला निकालने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री, (प्रो० सिघेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पांचवीं योजना में कोयले का उत्पादन

2192. **श्रीटुना उरांव :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवी योजना में कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 14.3 करोड टन निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि. हां, तो आगामी मार्च में समाप्त होने वाले पांचवी योजना के प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वरप्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के मसौदे में सम्मिलित कोयला कार्यक्रम में 1978-79 तक 1350 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। पांचवी योजना के पहले वर्ष में लगभग 880 लाख टन कोयला उत्पादन होने की आशा है।

Leakage of Water from Pong Dam

2193. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Energy be** pleased to state :

(a) whether water had been leaking from the broken seal of the gates of Pong Dam for two or three months continuously but the same was not repaired;

(b) whether about 6 thousand cusecs of water is still leaking from such cracks due to which the work on the Pong Dam has lagged behind by about a year; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) While the regulating gate in one of the outlet tunnel of the Pong Dam was being tested, some defects were noticed in the gate seal seats which are being set right. Flow through this tunnel was immediately stopped by closing the emergency gates. Water for downstream canals is allowed to pass through one of the penstock tunnel.

Fall in Per Capita Income

2194. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the per capita income has undergone considerable change during the year 1973-74 in comparison to the year 1972-73; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. The per capita income at constant (1960-61) prices during 1973-74 has been estimated at Rs. 340.1 as against Rs. 337.4 in 1972-73, showing a rise of 0.8 per cent only.

(b) Does not arise.

पंजाब और हरियाणा को भाखड़ा से विद्युत सप्लाई

2195. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाखडा प्रबंधक बोर्ड ने दैनिक विद्युत् उत्पादन को बढ़ाने का निर्णय किया है।

(ख) क्या पंजाब और हरियाणा को अब तक विद्युत् सप्लाई नहीं हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) 11-2-1975 से भाखड़ा से उत्पादन 8 मिलियन यूनिटं प्रतिदिन से बढ़ाकर 8.4 मिलियन यूनिट प्रतिदिन कर दिया गया है और तदनुसार पंजाब और हरियाणा दोनो राज्यों को विद्युत की वास्तविक सप्लाई में भी वृद्धि हुई है।

एक कलेण्डर वर्ष में छुट्टियां

2196. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या दूसरी तथा तीसरे वेतन आयोगों ने यह सिफारिस की थी कि रविवारों और दूसरे शनिवारों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की एक कलेण्डर वर्ष में 16 छुट्टियां दी जायें ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था ; और

(ग) इस वर्ष (1975) छुट्टियों की संख्या घटाकर 12 करके इस स्वीकृत सिद्धान्त का किन परिस्थितियों में उल्लंघन किया गया ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) द्वितीय वेतन आयोग ने यह अनुभव किया था कि उस समय चल रही 23 छुट्टियां काफी अधिक हैं तो उसने कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये छुट्टियों की संख्या घटाकर 16 करने की सिफारिश की थी, जिनमें 3 राष्ट्रीय छुट्टियां और 13 धार्मिक तथा अन्य ऐसी छुट्टियां शामिल थीं, जिन्हें बहुत ही व्यापक रूप में मनाया जाता था। यह सिफारिश स्वीकार करली गई थी और एक वर्ष में 16 प्रभावी छुट्टियां रखे जाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए थे। तृतीय वेतन आयोग ने आगे और विचार किया और यह सिफारिश की कि किसी भी वर्ग के कर्मचारियों को एक वर्ष में सोलह से अधिक छुट्टियां नहीं दी जानी चाहिए और यह भी सिफारिश की कि जब कभी 16 अनुमोदित छुट्टियों में से कोई छुट्टी रविवार अथवा दूसरे शनिवार को पड़ती हो तो एक वैकल्पित छुट्टी की सरकारी छुट्टी घोषित किए जाने को प्रथा को जितना जल्दी हो सके बन्द कर दिया जाना चाहिए। वर्ष 1975 को छुट्टिओं को सूचीका निश्चय पुर्णतया तृतीय वेतन आयोग को उप-र्युक्त सिफारिश के अनुसार किया गया, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 1975 के दौरान दिल्ली नई तथा दिल्ली में मनाए जाने वाले सोलह में से चार पर्व जैसे गणतन्त्र दिवस (26-1-1975), रामनवमी (20-4-1975), बुद्धपूर्णिमा (25-5-1975) तथा ईदुलजुहा (बकदोर) (14-12-1975) रविवार को पड़ते हैं और तृतीय वेतन आयोग की उपर्युक्त स्वीकृत सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, उनके स्थान पर अन्य छुट्टियां नहीं रखी गई हैं।

Production of Cars and increase in their prices

2197. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the various types as well as the number of cars presently being manufactured by different car manufacturing companies in the country and the price of each of them; and

(b) the extent by which the prices of these cars were increased during the last one year?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George): (a) Three makes of cars, namely, Ambassador, Premier Padmini and Standard Gazel are being manufactured in the country at present. Their production during the year 1974 was as follows:—

Ambassador	20,333 nos.
Premier Padmini	14,757 nos.
Standard Gazel	1,666 nos.

(b) Government have lifted the price control on passenger cars with effect from 1-1-75. Whereas the manufacturers of Ambassador and Standard Gazel cars have not effected any increase in the ex-factory price of their cars after the de-control, the manufacturers of Premier Padmini cars have increased the price of their cars by Rs. 1,501/- with effect from 8-1-75.

नई दिल्ली में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

2198. **श्री एम०एस० पुरती :**

श्री के० मालन्ना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूर संचार अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली की प्रयोगशाला में स्थापित देश के प्रथम इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज का परीक्षण सेवा के परिणाम क्या हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : देश का यह पहला इलेक्ट्रनिक टेलिफोन एक्सचेंज दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र की प्रयोगशालाओं में स्थापित किया गया था । इस एक्सचेंज को 22 नवम्बर, से 28 दिसम्बर तक 5 सप्ताह की सीमित अवधि के दौरान प्रयोगिक तौर पर काम में लाया गया । इस प्रायोगिक एक्सचेंज से लगभग 75 चुने हुए विभागीय अधिकारियों को टेलिफोन सेवा की गई थी । यह एक्सचेंज दिल्ली टेलीफोन और दिल्ली से उपलब्ध एस० टी० डी० प्रणाली से पूर्णतः जुड़ा हुआ था । इस टेलीफोन सेवा के प्रयोगों से बहुत ही आशजनक परिणाम निकले हैं और इन से देश में बने इस डिजाइन की सार्थकता सिद्ध होती है । दिल्ली में वर्ष 1977 के प्रारंभ में जो व्यापारिक प्रयोगिक एक्सचेंज चालू किया जाना है, उसके डिजाइन को अन्तिम रूप देने में इस प्रयोग ने बहुत उपयोगी जानकारी दी है।

केरल में रिफ्रेक्टरी परियोजना की स्थापना के लिए आशय पत्र

2199. श्री सी० जनार्दनन :
श्री वयालार रवि :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में स्थापित की जाने वाली एक रिफ्रेक्टरी परियोजना के लिए एक आशय पत्र दिया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की रूपरेखा क्या है तथा निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) और (ख) केरल स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को केरल में, विदेशी सहयोग के प्रबन्ध को अंतिम रूप दिये जाने और पूंजीगत माल के आयात के बारे में सरकार के समाधान की शर्तों के अधीन, नीचे बतायी गयी क्षमताओं की विभिन्न किस्म की नयी विशेष प्रकार की रिफ्रेक्ट्रियां स्थापित करने हेतु 31 अक्तूबर, 1972 को एक आशयपत्र जारी किया गया था।

1. फ्यूज्ड आलूमिना	1000 मी० टन प्रति वर्ष
2. कैलशियम अलूमिनेटस	1000 ,, ,,
3. जिरकोनिया अलूमीना सिलीका प्रोडक्ट्स	2500 मी० टन प्रतिवर्ष
4. जिरकोन नोजल्स	1000 मी०टन प्रतिवर्ष
5. जिरकोन ब्रिक्स	1500 मी० टन ,,
6. सुपर ड्यूटि ब्रिक्स फार ब्लास्ट फर्नेस अलूमीनियम इण्डस्ट्रीज	10000 ,, ,,
7. लैडल क्वालिटी ब्रिक्स	10000 , ,,
8. इन्सूलेशन ब्रिक्स	1000 मी० टन प्रतिवर्ष
9. क्लीब्ज	3000 मी० टन प्रतिवर्ष
कुलः	31000 मी० टन प्रतिवर्ष

परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 8 करोड़ रु० है । विदेशी तकनीकी सहयोग से परियोजना का कार्यान्वयन किया जायेगा । निगम के बताये अनुसार 1976 के उत्तरार्ध अथवा 1977 के आरम्भ में निर्माण कार्य के प्रारम्भ किए जाने की आशा है ।

Effect of Shortage of Yarn on Tyre Industry in Madhya Pradesh

2200. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether the shortage of yarn has adversely affected the tyre industry in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) : (a) and (b) No unit engaged in the manufacture of automobile tyres and tubes in the organised sector is located in Madhya Pradesh.

नारियल जटा उद्योग के लिए वृत्त चित्र

2201. **श्री वयालार रवि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने देशी तथा विदेशी बाजारों में नारियल जटा उत्पादों तथा प्रचार करने हेतु नारियल जटा उद्योग तथा नारियल जटा उत्पादों के संबंध में वृत्त चित्र बनाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है : और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यदि नारियल जटा बोर्ड निहित खर्चा वहन करने के लिये तैयार होगा तो फिल्म प्रभाग फिल्म बनाने का कार्य हाथ में लेने के लिए तैयार होगा ।

नागा विद्रोहियों से बातचीत

2202. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नागा विद्रोहियों के साथ बातचीत के विरुद्ध थी ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार का विचार है कि जब तक विद्रोही की ओर से हिंसक तथा अवैध गतिविधियों के शपथ पूर्वक त्यागने के स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं तब तक नागा विद्रोहियों के साथ बात-चीत करने से कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

(ग) एसी गतिविधियों को रोकने के लिये कड़े सुरक्षा उपाय जारी है ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की चांदमारी कोयला खान पर आक्रमण

2203. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनबाद क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की चांदमारी कोयला खान को लगभग 400 व्यक्तियों ने जिनके पास हथियार थे, 9 फरवरी, 1975 को लूट लिया ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री, (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मजदूर संघों की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण, 8-2-1975 को धनबाद क्षेत्र में कोलियरि कार्यालय के निकट स्थिति कुछ दुकानदारों द्वारा भारत कोकिंग कोल लि० की चांद मारी कोयला खान के कामगार, पर कथित हमला किया गया था । बदले में लगभग 400 कामगार, धनुषवाण, लाठियों और बन्दूकों से लैस होकर बस्ताकोला से आए, तीन दुकानों को लूटा और उन में आग लगा दी, जिससे एक दुकान पूरी तरह जल गई तथा दो आधी जल गई। आरोप है कि उन्होने विरोधी गुट कामगारों के कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचाया और लूटपाट की।

(ख) पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब तक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया जा चुका है।

भारत में शीतल पेय बनाने वाली विदेशी कम्पनियां

2204. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में शीतल पेय बनाने वाली विदेशी कम्पनियों की संख्या और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) भारत में इन कम्पनियों की शाखायें कितनी हैं ;

(ग) क्या शीतल पेय बनाने के लिये कच्चे माल का आयात किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो किस देश से ; और

(ङ) वर्ष 1972-73 और वर्ष 1973-74 में आयात किये गये कच्चे माल पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०पी० मौर्य) : (क) और (ख) 40 या इससे अधिक प्रतिशत क्विटी रखने वाली निम्नलिखित विदेशी कम्पनियां हलके पेय पदार्थ या सान्द्रण या हल्के पेय पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सुरस (फ्लेबर) बना रही है।

क्रमांक	फर्म का नाम	विदेशी शेयर धारिता
1.	मै० कोका कोला एक्सपोर्ट कार०	100 प्रतिशत
2.	मै० बिसलेरी (इंडिया) प्रा०लि० बम्बई	49 ,,
3.	मै० नारदेन इण्डिया लि० बम्बई	49 ,,

(ग) हल्के पेय पदार्थों के निर्माण के कुछेक तत्वों और सान्द्राणों का आयात किया जाता है ।

(घ) अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपिय देश ।

(ङ) तकनीकी विकास के महानिदेशक ने हल्के पेय पदार्थों, सान्द्राण के व फलेवरों के निर्माण के लिए मुख्यतः कच्चे माल के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की स्वीकृति की सिफारिस की है जैसा कि नीचे स्पष्ट है :

1972-73	32,78,599 रु०
1973-74	33,12,472 रु०

आसाम-नागालैंड सीमा विवाद

2205. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड और आसाम के बीच सीमा विवाद की जांच के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक सदस्यीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और यदि नहीं, तो सरकार को उक्त आयोग का प्रतिवेदन कब तक मिलने की आशा है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) अभी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान में नियुक्त इंजीनियरों को दिया जाने वाला विशेष भत्ता

2206. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान लोक निर्माण विभाग में नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर पुनरीक्षित मूल वेतन के संदर्भ में किस दर पर अंडमान विशेष भत्ता पाने के हकदार हैं ; और

(ख) इंजीनियरों को 1 नवम्बर, 1973 को देय राशि तक भत्ता सीमित करने के बजाय पुनरीक्षित वेतनमान के 25 प्रतिशत पर आधारित विशेष भत्ता देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी, 1975 को जारी किए गये संशोधित आदेशों के अनुसार अंडमान व निकोबार प्रशासन के अधीन सेवा के लिए मुख्य भूमि से प्रतिनियुक्ति किये गये सभी सरकारी कर्मचारी (अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियरों समेत) 1 नवम्बर, 1973 से निम्नलिखित दरों पर विशेष भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं :—

जब दक्षिण अंडमान में नियुक्ति हो	मूल वेतन का 20 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम 300.00 रु० मासिक।
जब उत्तर तथा मध्य अंडमान में नियुक्ति हो	मूल वेतन का 25 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम 350.00 रु० मासिक।
जब छोटा अंडमान, निकोबार द्वीप समूह और नारकोंडम द्वीप में नियुक्ति हो	मूल वेतन का 30 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम 400.00 रु० मासिक।

(ख) तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई विशेष भत्ते की दरों में संशोधन करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन था। अन्तरिम उपाय के रूप में भत्ते की मात्रा 1-11-73 को ली गई मात्रा तक सीमित रखी गई थी।

भारत में कोयला धावन सेवा की स्थापना

2207. **डा० के० एल० राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका इंगलेण्ड तथा भारत में तापीय बिजली घरों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है ; और

(ख) सरकार द्वारा भारत में कोयला धावन सेवा की स्थापना के लिए गत दो वर्षों में क्या उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत में विद्युत केन्द्रों में प्रयुक्त होने वाले कोयले में ऐश की मात्रा 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न होती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्रिटेन में ताप-विद्युत केन्द्रों में प्रयुक्त कोयले में ऐश की मात्रा में बहुत भिन्नता होती है, जो 6 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच है । फ्रांस में 25 प्रतिशत तक ऐश की मात्रा वाले कोयले का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में ऐश की मात्रा 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक भिन्न भिन्न है ।

(ख) देश में 14 वाशरी हैं--चार कोल माइन्स अथारिटी लि०, 5 भारत कोकिंग कोल लि० और शेष 5 इस्पात संयंत्रों (सरकारी तथा गैर सरकारी, दोनों) के नियंत्रणाधीन हैं। निकट भविष्य में तीन और कोयला वाशरीज स्थापित करने के प्रस्ताव है।

वास्तुविदों (आर्किटेक्टों) का देश छोड़कर जाना

2208. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

श्री डो०डी० देसाई :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बड़ी संख्या में वास्तुविद भारत से चले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में भवन-निर्माण उद्योग में मन्दी के कारण इन वास्तुविदों को देश से बाहर जाना पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी सी०एस०आई०आर० द्वारा चलाये गये राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर 31-1-75 को पिछत्तर भारतीय वास्तुविद विदेशों में थे। रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक है।

(ख) वास्तुविदों के प्रवास का कारण ज्ञात नहीं है। फिर भी शिक्षित व्यक्ति विदेशों में विविध कारणों से जाते हैं। उनमें से अधिकांश अध्ययन, प्रशिक्षण तथा अपने अनुभव को बढ़ाने हेतु जाते हैं। विदेशों के प्रति झुकाव, भारत में रोजगार के क्षेत्र में उनके अपने मूल्यांकन को बढ़ाना है।

(ग) देश में रोजगार के सुअवसरों को पैदा करने और भारतीय वैज्ञानिकों प्रोद्योगिकी विदों तथा चिकित्सा कार्मिकों की विदेशों से भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार समय समय पर विभिन्न उपाय करती आ रही है। किये गये उपायों की एक प्रति साथ में संलग्न है । [ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल०टी०-9092/74]

दूषण के खतरे के संबन्ध में नई दिल्ली में आयोजित 'इंडियन साइंस कांग्रेस' के विचार

2209. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समूचे भारत में दूषण के बढ़ते हुए खतरे के संबंध में हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 'इंडियन साइंस कांग्रेस' में व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) 'इंडियन साइंस कांग्रेस' के नई दिल्ली में हुए 62वें अधिवेशन के दौरान, प्राणि विज्ञान एवं कीट विज्ञान संबंधी अनुभाग की कार्यवाही के एक अंग के रूप में 'दूषण और पशु जीवन' पर एक संगोष्ठी हुई थी। इसमें नाशक जीव नियंत्रण के लिए प्रयुक्त रसोवंध्यक (कैमोस्टैरिलैंटस) के आनुवंशिक प्रभाव, मनुष्य, पशु और वनस्पति जीवन पर विभिन्न प्रकार के दूषण के प्रभाव और मछली पर डाइमैथीएट कीटनाशकों के प्रभाव जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

(ग) भारत सरकार, पर्यावरणीय दूषण से उत्पन्न समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और उन्हें कम करने के लिए वह पहले ही अनेक कदम उठा चुकी है।

Loans taken by Morena Division Cooperative Sugar Mill Ltd., Kailaras

2210. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the amounts of loans taken by the Morena Division Cooperative Sugar Mill Ltd., Kailaras during 1972-73 and 1973-74, for production from different financial institutions and banks and also the mode of repayment of the above loans and the balance still outstanding;

(b) whether a large sum has been shown as loss and has been written off; and

(c) if so, the total amount written off and the reasons for loss ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.C. George): (a) The requisite information, as furnished by the Government of Madhya Pradesh, is as follows :

Source of the loans	Year	Amount of loans obtained by the Morena Division Coop. Sugar Mill Ltd., Kailaras	Mode of repayment
1	2	3	4
1. Rajya Sahkari Bank, Jabalpur	1972-73	Rs. 5 lakhs	Repayable from sale proceeds
2. Central Coop. Bank, Morena	1973-74	Rs. 27 lakhs	-do-
3. Govt. of Madhya Pradesh	1972-73	Rs. 20 lakhs	Repayable in 20 equal annual instalments, first instalment starting from 1979-80
4. Govt. of Madhya Pradesh	1973-74	Rs. 30 lakhs	-do-

(b) and (c) The unaudited accumulated loss till 30-6-1974 is estimated at Rs. 118 lakhs. No amounts of loss has been written off so far. The main reasons for loss are non-availability of good quality of cane in sufficient quantity in the factory zone, slightly higher price paid for cane to growers and high price of furnance oil used, because of inadequate quantity of bagasse available for fuel.

अंडमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ, पोर्ट ब्लेयर से ज्ञापन

2211. **श्री नूरुल हुडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को अंडमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ, पोर्ट ब्लेयर का 2 जनवरी, 1975 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उन कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) 20-1-75 को सरकार द्वारा महामंत्री, अंडमान कृषक कर्मचारी संघ से कृषि निदेशक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर को संबोधित 6 जनवरी, 1975 को एक मांग पत्र प्राप्त हुआ था। महामंत्री ने निम्नलिखित शिकायतें हल करने की मांग की थी :

(1) कृषि विभाग के कर्मचारियों को शिविर भत्ते का भुगतान।

(2) विभाग में नैमित्तिक तथा दैनिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों में से नियमित स्थापना पर मजदूरों की नियुक्ति।

(3) सभी अन्य लम्बे अर्से से लम्बित शिकायतें जैसे पेंशन के मामले, समयोपरि भत्ते का भुगतान, पहले से ही बताई गई तिथि को मासिक वेतन का भुगतान, श्रम कल्याण निधि का गठन तथा कर्मचारियों के स्थायीकरण की घोषणा आदि।

की गई कार्यवाही निम्नलिखित है :--

विभाग में नैमित्तिक तथा दैनिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों में से नियमित स्थापना पर मजदूरों की नियुक्ति	जब आवश्यकता पड़ती है तो नैमित्तिक मजदूरों को काम पर रखा जाता है। नियमित मजदूरों की रिक्तियां, नैमित्तिक मजदूरों तथा अवकाश रिक्तियों पर काम करने वाले मजदूरों द्वारा उनके गुण दोष के अनुसार नियुक्त करके भरी जाती है।
पेंशन के मामलों का निपटान	पेंशन के छः मामले लंबित हैं। इन सभी मामलों में पेंशन के कागज तैयार कर लिए गये हैं और भुगतान के आदेश जारी करने के लिए संबंधित उप महा लेखाकार को भेजे गए हैं।
पहले बताई गई तिथि को मासिक वेतन का भुगतान	सभी मजदूरों तथा हैडवर्करों को मासिक वेतन का भुगतान महीने की पहली तिथि को किया जाता है।

कर्मचारियों के स्थायीकरण आदि की घोषणा कृषि विभाग में मजदूरों के 292 पदों तथा हैड-वर्करों के 25 पदों में से मजदूरों के 80 पद तथा हैड वर्करों के 6 पद स्थायी हैं और शेष पद अस्थाई हैं। वरिष्ट मजदूर तथा हैड वर्करों को उपलब्ध पदों में पहले ही स्थाई कर दिया गया है।

अन्य मांगों के संबंध में स्थिति मालूम की जा रही है और सूचना प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले से गैस बनाने संबन्धी योजना में पूंजी निवेश करने के लिए यूनियन कार्बाइड की पेशकश

2212. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री हरी सिंह :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की बहुत से देशों में काम करने वाली कम्पनी यूनियन कार्बाइड ने हमारे देश में कोयले से गैस बनाने संबंधी एक योजना में 400 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Minimum Needs Programme

2213. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister **of Planning** be pleased to state :

(a) the concrete steps taken so far by Government in regard to the decision taken to accord priority in the Plan for a Minimum Needs Programme in the country;

(b) whether drinking water is still not available in thousands of villages and lakhs of people do not have the purchasing power to buy their ration; and

(c) if so, the main features of the scheme being formulated by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) In order to ensure effective implementation of the Minimum Needs Programme, the total as well as the sectoral outlays of the individual constituent programmes are earmarked in the Annual Plans of States. As a result, a shortfall in the approved outlays under MNP would lead to a corresponding proportionate reduction in the overall allocated Central Assistance to States.

(b) While it is true that many villages do not have an assured supply of drinking water and many people in the country are poor, the development programmes including the National Programme of Minimum Needs being undertaken are oriented towards solving these problems.

(c) The problem of availability of drinking water is sought to be solved through the Rural Water Supply Programme which is a constituent of the National Programme of Minimum Needs. While formulating this programme, the following criteria are being kept in view :

(i) to make drinking water available within a distance of 1.6 k.m.

(ii) to take up schemes for villages where water although available is not safe due to infestation by disease like gunea worm or due to the presence of harmful salts.

The removal of poverty is one of the objectives of the draft Fifth Plan and is sought to be achieved by a mix of measures which will raise the consumption levels of the lowest 30% of the population.

रानीगंज की कोयला खानों का कार्यकरण

2214. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री डी०डी० देसाई :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री श्रीकिशन मोदी :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज की कई कोयला खानें काम करने के लिए अनुरक्षित हो गई है और अभी भी अनुरक्षित दशाओं से कार्य कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इनमें से किसी कोयला खान में खनन कार्य निलम्बित किया गया है; यदि हां, तो उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कोयला मूल्यों विषयक अन्तः मंत्रालय समिति का प्रतिवेदन

2215. **श्री डी०बी० चन्द्र गौडा :**

श्री वीरभद्र सिंह :

श्री भान सिंह भौरा :

श्री नवर किशोर शर्मा :

क्या **ऊर्जा** मंत्री कोयला के मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में 27 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2377 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले के उपयुक्त मूल्यों की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय अन्तः मंत्रालय समिति नियुक्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) एक अंत:मंत्रालय समिति 8 जनवरी, 1975 को गठित की गई है, जो अन्य बातों के अलावा 1-1-1975 से कोयला खान मजदूरों की मजूरी में वृद्धि तथा कोयला उत्पादन हेतु अपेक्षित अन्य निवेश सामग्री की लागत में वृद्धि के वित्तीय परिणामों को ध्यान में रखते हुए कोयला और कोक की विभिन्न किस्मों के खान-मुहाना मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न पर विचार करेंगी। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

कोयले की कमी

2216. **श्री ई०आर० कृष्णन :**

श्री आर०पी० उलगनम्बी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की बहुत अधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) अपेक्षित निवेश सामग्री जिसमें बिजली भी शामिल है, को मुहैया करने हेतु किए गए ठोस और समन्वित प्रयासों तथा रेल-परिवहन जैसी कुछ बाधाओं पर काबू पाने के फलस्वरूप कोयले का उत्पादन बढ़ा है तथा हाल के महीनों में देश के अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए कोयले की कोई गंभीर कमी नहीं हुई है।

विभिन्न कोयला खानों में कोयले के नमूने संयुक्त रूप से लेने की योजना लागू करना

2217. **श्री सी० एम० सिन्हा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न कोयला खानों के 'टचिंग प्वाइंट' से कोयले के नमूने संयुक्त रूप से लेने की पद्धति लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो नमूने लेने की संयुक्त पद्धति को कब तक लागू किया जायगा ; और

(ग) कोयले की 'ब्लक' सप्लाई लेने वाले उपभोक्ताओं को इससे कहां तक लाभ होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) उपभोक्ताओं को अपेक्षित किस्म के कोयले की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा हर संभव प्रयास किए जाते हैं। उन थोक उपभोक्ताओं के लिए लदान स्थलों पर संयुक्त रूप से नमूना लेने की व्यवस्था है, जिनके लिए करार में ऐसी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा, कम्पनियों का किस्म नियंत्रण विभाग भी लदान के समय नियमित निरीक्षण करता है तथा जब कभी उपभोक्ता चाहते हैं, संयुक्त निरीक्षण का भी प्रबंध किया जाता है।

तमिलनाडु में सीमेंट की कमी

2218. **श्री आर०वी० स्वामिनाथन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में सीमेंट की अत्यन्त कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन मास के लिए राज्य को कुल कितना सीमेंट आबंटित किया गया ; और

(घ) सप्लाई की स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क), (ख) और (घ) तमिलनाडु में सीमेंट की कमी के बारे में इस मंत्रालय को कोई भी शिकायत नहीं मिली है। राज्य सरकार से स्थिति बताने के लिए कहा गया है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) अक्तूबर से दिसम्बर, 1974 तथा जनवरी से मार्च, 1975 की तिमाहियों में तमिलनाडु को निम्नलिखित परिमाण में सीमेंट आबंटित किया गया था :—

अक्तूबर-दिसम्बर, 1974	3,17,750 मी०टन
जनवरी-मार्च, 1975	3,17,750 मी०टन

गैर-सरकारी एजेंसियों के अधीन कोयला खानों को नियंत्रण में लेना

2219. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शेष कोयला खानों को नियंत्रण में लेने के संबंध में अग्रेतर क्या प्रगति हुई है जोकि अभी भी गैर-सरकारी एजेंसियों के अधीन हैं; और

(ख) इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

उप-मंत्री, ऊर्जा मंत्रालय (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार की नीति गैर-सरकारी पार्टियों को किसी भी स्थान पर कोयले का खनन करने के लिए अनुमति देने की नहीं है, केवल निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र की ग्रहीत खानों को, जिन्हें विशेषरूप से कोयला खान राष्ट्रीयकरण के विधान की सीमा से बाहर रखा गया था, यह छूट है। निजी पार्टियों द्वारा कोयले का खनन किए जाने के बारे में जैसे ही कोई मामला सरकार के ध्यान में आता है, उसे रोकने के लिए समुचित कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है।

Fall in National Income

2220. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether India's national income is the lowest in the world;

(b) whether during the last three years it has further gone down; and

(c) if so, the year-wise decline and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No Sir.

(b) and (c) The year-wise rates of growth of national income and per capita income at constant (1960-61) prices for the last three years are as follows :

Year	Net national product at 1960-61 prices		Per capita income at 1960-61 prices	
	(Rs. crores)	growth rate (per cent increase over previous year)	(Rs.)	growth rate (per cent increase over previous year)
1	2	3	4	5
1971-72 . .	19299	1.4	348.4	(—)1.0
1972-73	19130	(—)0.9	337.4	(—)3.2
1973-74 . .	19724	3.1	340.1	0.8

The fluctuations in the rate of growth of national income were mainly due to the changes in agricultural production.

नारियल जटा बोर्ड द्वारा विकसित 'कायारूल' नामक नारियल जटा ऊन

2221. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने नारियल जटा अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय नारियल जटा प्रशिक्षण एवं डिज़ाइन केन्द्र के संयुक्त अनुसंधान के परिणामस्वरूप 'कायारूल' नामक नारियल जटा ऊन का, जो कि एक नया उत्पाद है, विकास किया है ;

(ख) क्या इसके विकास से नारियल जटा उद्योग की निर्यात आय में बहुत सुधार होने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो इसका वाणिज्यिक उत्पादन कब तक प्रारंभ होने की संभावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी, हां। कयर बोर्ड द्वारा मुलायम किये गए कयर रेशों से एक नए उत्पाद का विकास किया गया है।

(ख) और (ग) इस नए उत्पाद से निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि हो सकेगी तथा परीक्षण क्रयादेश पूरे किए जा रहे हैं। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए कयर संस्थानों के सहयोग से कयर बोर्ड द्वारा संस्थागत प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

दमन, दादरा और नागर हवेली के कलेक्टर की मृत्यु के बारे में जाँच

2222. **श्री भगतराम राजाराम मनहर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में 29 नवम्बर, 1974 को सड़क दुर्घटना जिसमें मारो और भागो की नीति अपनाई गई थी, के परिणामस्वरूप मरने वाले दमन, दादरा और नागर हवेली के कलेक्टर, श्री अनिल चोपड़ा की मृत्य के संबंध में पुलिस तथा अन्य संबद्ध अधिकारियों द्वारा की गई जांच की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या स्वर्गीय श्री चोपड़ा अनेकों प्रमुख तस्करों की गिरफ्तारी और नजरबन्दी के लिए उत्तरदायी थे और समाचारपत्रों एवं जनता द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि दुर्घटना के पीछे कोई अन्य बात थी ; और

(ग) जांच को तेज करने तथा दोषियों को पकड़ने के लिए और क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) श्री अनिल चोपड़ा 29 नवम्बर, 1974 को एक सड़क दुर्घटना में मारे गये थे। दूर्घटना उस समय हुई जब श्री अनिल चोपड़ा एक स्कूटर पर जा रहे थे जिसे उनके मामा श्री जे० सी० सोवती चला रहे थे। एक ट्रक ने दाहिनी ओर से स्कूटर से आगे निकलने का प्रयास किया और ऐसा करते समय टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद ट्रक तेज रफ्तार से भाग गया। दिल्ली पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई थी और थाना चाणक्यपुरी में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279/337/304 ए के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 548 में मामला दर्ज किया गया। ट्रक की पहचान करने के लिये तुरन्त जांच आरम्भ की गई। दुर्भाग्यवश श्री चोपड़ा के रिश्तेदार जो कुछ ही फासले पर पीछे-पीछे आ रहे थे तथा दुर्घटना के कुछ ही मिनटों बाद घटना स्थल पर पहुंच गये थे उनके समेत कोई व्यक्ति उसका नम्बर नहीं लिख सका।

(ख) स्वर्गीय श्री अनिल चोपड़ा, कलक्टर, दमण, दादर और नागर हवेली आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द करने वाले प्राधिकारी थे और उन्होंने 12 व्यक्तियों के नजर बन्दी के आदेश जारी किये थे जिनमें से 10 को नजरबन्द किया गया था और 2 फरार थे। मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि यह दुर्घटना का मामला है और ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह मालूम हो कि दुर्घटना के पीछे कोई अन्य बात थी।

(ग) वाहन तथा दोषी चालक का पता लगाने के लिए सभी संभव प्रयास किये गये थे और ये प्रयास जारी हैं।

निर्धनों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की रियायती दरों पर सप्लाई

2223. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के पिछड़े क्षेत्रों में निर्धनों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की रियायती दरों पर अथवा उपयुक्त दरों पर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : लगभग 2.13 लाख उचित मूल्य की दूकानें शहरी और ग्रामीण इलाकों, जिनमें पिछड़े इलाके भी शामिल हैं, कार्य कर रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्राथमिकता और जनता के कमजोर तथा गरीब वर्गों की जरूरी आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार करने तथा उसे मजबूत बनाने के बारे में हाल ही में राज्य सरकारों के खाद्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रियों के क्षेत्रीय सम्मेलनों में चर्चा की गई थी। सर्वसम्मत राय यह थी कि प्रारम्भ में महानगरों तथा बड़े शहरी क्षेत्रों, खानों, औद्योगिक तथा बागानी क्षेत्रों के मजदूरों के रहने वाले इलाकों, जिला मुख्यालयों, पहाड़ी इलाकों और बार-बार अभाव तथा कमी से प्रभावित होने वाले जिलों के ग्रामीण इलाकों जैसे जरूरतमन्द क्षेत्रों में बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं के वितरण को प्राथमिकता दी जाये।

सहकारी विपणन समितियों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का वितरण

2224. **श्री डी० पी० जडेजा :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों के वितरण का काम करने वाली सहकारी विपणन समितियां इस कार्य को छोड़ने को सोच रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) पहली और दूसरी फरवरी, 1975 को नई दिल्ली में हुए राज्य सहकारी विपणन परिसंघों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारियों के सम्मेलन द्वारा पारित किये गए संकल्प के अनुसरण में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ ने, देश के सहकारी विपणन ढांचे की शीर्ष संस्था होने के तौर पर सरकार को एक ज्ञापन पेश किया है, जिसमें यह कहा गया है कि उर्वरकों के वितरण के लिये छः वर्षों से भी पहले नियत किये गये वर्तमान मार्जिन सहकारी वितरण माध्यमों, जो अधिकतर रेल हैडों से दूर के इलाकों में स्थित हैं, के लिए इन कारणों से बहुत ही अपर्याप्त हैं—ढुलाई में, मजदूरी में, गोदाम के किराये में अत्यधिक वृद्धि होना, बैंक ऋण पर ब्याज की ऊंची दर होना आदि। इस ज्ञापन में सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि साज-सम्भाल और वितरण लागतों में हुई वृद्धि के अनुसार अधिक वितरण मार्जिनों की मंजूरी दी जाये, ताकि सहकारी सोसायटियां हानियों से बच सकें और किसानों को अपनी सेवायें देना जारी रख सकें।

यह ज्ञापन सरकार के विचाराधीन है।

सिख ब्रदरहुड इन्टरनेशनल द्वारा पंजाबी को दिल्ली की दूसरी भाषा बनाने की मांग

2225. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिख ब्रदरहुड इन्टरनेशनल के प्रेसिडेन्ट तथा अन्य सिख संगठनों ने मांग की है कि पंजाबी को दिल्ली की दूसरी भाषा बनायी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सिख ब्रदरहुड इन्टरनेशनल से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु कुछ अन्य संगठनों ने मांग की है कि पंजाबी को दिल्ली की दुसरी भाषा बनाई जाये।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली में पंजाबी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। 1974 में पंजाबी सलाहकार समिति का भी पुनर्गठन किया गया था।

ड्रिलिंग रिग्स का निर्माण

2226. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री ह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रिलिंग रिग्स का देश में निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आवंटत किया गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) आयल ड्रिलिंग रिगों का निर्माण करने के लिए मे० भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, जो इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है को एक आशय पत्र दिया गया है। इसने निम्न-लिखित दो प्रकार की रिगों के लिये जानकारी लेने के बारे में अमरीका की एक फर्म के साथ सहयोग करार किया है :—

(1) 6000 एम० टी० एस० ड्रिलिंग रिगें।

(2) 3600 एम० टी० एस० ड्रिलिंग रिगें।

(ग) रिगों के विभिन्न हिस्सों का निर्माण करने के लिए अलग से सुविधा स्थापित करने का इरादा नहीं है किन्तु इसके स्थान पर इनका निर्माण विद्यमान एककों में उपलब्ध फालतू क्षमताओं का उपयोग करके भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के एककों और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किया जाएगा। संतुलित पूंजी निवेश के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा भेजे गये एक लाख रुपये की नाममात्र की व्यवस्था के अलावा अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

औद्योगिक गैस की आवश्यकता एवं उसकी उपलब्धता

2227. **श्री एच०एम० पटेल :**
श्री बक्शी नायक :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औद्योगिक गैस की कुल कितनी आवश्यकता है और कितनी गैस उपलब्ध है ;

(ख) क्या वर्तमान उपलब्धता इंजीनियरिंग उद्योग की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो औद्योगिक गैस की पर्याप्त मात्रा उद्योग को दिलाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : (क) पांचवी योजना के अन्त तक आक्सीजन गैस की मांग 17.50 करोड़ घन मीटर हो जाने का अनुमान है जिसके लिये 20 करोड़ घन मीटर की क्षमता उत्पन्न करने की आवश्यकता पड़ेगी। विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता करीब 8.265 करोड़ घन मीटर है तथा 29.30 करोड़ घन मीटर की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण करने की स्वीकृति दी गई है ।

(ख) आक्सीजन गैस की विद्यमान उपलब्धता आमतौर पर इन्जीनियरी उद्योग की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी, क्षेत्रीय आधार पर कुछ असंतुलन अवश्य बने हुए हैं।

(ग) परिवहन सम्बन्धी रुकावटों के कारण आक्सीजन गैस की क्षेत्रीय कमी को पूरा करने तथा गैस सिलेन्डरों की उत्पादन दर में वृद्धि करने के लिए उद्योग की क्षेत्रीय समीक्षा की गई है तथा 250 किलो मीटर की परिधि में जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, अतिरिक्त क्षमता के लिये स्वीकृति दे दी गयी है।

बाट तथा माप समिति का प्रतिवेदन

2228. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बाट तथा माप (विधि पुनरीक्षण) समिति का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने ये मुख्य प्रस्ताव रखे हैं:—

(i) उचित अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा अनुशासित तोल तथा माप की अन्तर्राष्ट्रीय यूनिट पद्धति और दूसरी यूनिटें अपनाना;

(ii) बाट तथा माप का आयात तथा निर्यात और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य और तोल, माप अथवा संख्या द्वारा बेची अथवा वितरित की जाने वाली वस्तुओं का नियंत्रण और नियमन।

(iii) पैकेज्ड वस्तुओं के व्यापार तथा वाणिज्य का नियंत्रण और नियमन;

(iv) परिष्कृत बाटों तथा मापों के नमूनों का अनुमोदन; और

(v) अपराधों के लिए दंड।

(ग) सरकार ने इस बारे में उपयुक्त कानून पेश करने के उद्देश्य से रिपोर्ट की जांच की है।

Expenditure on Ministers

2229. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannathrao Joshi :
Shri R.V. Bade :
Shri S.N. Misra :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred during each of the last three years on the Union Ministers towards (1) Pay, (2) Allowances, (3) Purchase, maintenance and operation of cars including pay and allowances of drivers, (4) Inland tours, (5) Foreign tour, (6) Telephones, (7) Water and Electricity, and (8) Maintenance and furnishing of residences, separately; and

(b) the extent to which and the manner in which the economy drive started in August, 1973 has affected these items of expenditure ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The expenditure on Salary and Sumptuary Allowance of Union Ministers during the last three years is indicated below :

(Rs. in lakhs)

	1971-72	1972-73	1973-74
Salary	12.32	12.38	14.42
Sumptuary Allowance	0.99	0.98	1.17

The information relating to the expenditure on other items is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) As the instructions for economy in the expenditure on Ministers were issued in August 1973 i.e. in the year 1973-74 and since the accounts are maintained yearwise, it may be possible to determine the effect of economy drive on various items of expenditure after the financial year 1974-75 is over and the expenditure incurred during that year becomes known.

ऊडबाथी उद्योग को वरीयता प्राप्त उद्योग का दर्जा

2230. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर ऊडबाथी निर्माता संघ द्वारा इस आशय की कोई मांग की गई है कि केन्द्र सरकार किसी उद्योग को वरीयता प्राप्त उद्योग मानने हेतु 20 प्रतिशत निर्यात का मानदण्ड बदल दे तथा ऊडबाथी उद्योग को शीघ्र ही वरीयता प्राप्त का उद्योग का दर्जा दे दे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं। सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Increase in Atrocities on Harijans

2231. **Shri Jambuwant Dhote :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shrimati Roza Vidyadhar Deshpande :
Shri Ranen Sen :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether instead of giving protection to Harijans in the country, the incidents of atrocities and inhuman treatment towards them are on the increase and the number of such incidents during the period of last two years is considerably large;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the State-wise number of such incidents during the last two years and the number of persons killed and;

(d) the special steps being taken to put an end to such incidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) The State Governments take appropriate preventive as well as penal action under the law in such cases. The Central Government have been stressing upon the State Governments, from time to time, the imperative need for efficient investigation and prosecution of cases involving crime against members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In the meetings of the Zonal Councils held during 1974-75, the Home Minister drew the attention of the Chief Ministers to this problem and stressed the need for special arrangements at the State and district levels for promot investigation of the complaints involving offences against members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Special cells/committees to look into the grievances of Scheduled Castes/Tribes or to review the position in regard to employment of Scheduled Castes/Tribes in Government services etc. have been set up directly under the respective Chief Ministers in Andhra Pradesh, Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal. In Uttar Pradesh a special cell has been set up under the charge of a D.I.G. of Police to undertake prompt inquiries into complaints involving offences against members of Scheduled Castes and to initiate action according to law. In Gujarat, special cells have been set up under the charge of police officers at Rajkot and Baroda to investigate into serious complaints of atrocities on Harijans and other minorities. Besides, this problem is specially dealt with in the office of the State of I.G. of Police by an officer of the rank of Assistant Inspector-General of Police.

The Untouchability (Offences) Amendment and Miscellaneous Provision Bill, is already before the Parliament. The Bill seeks to ensure better implementation of the provisions of the Untouchability (Offences) Act, 1955 and to provide for more stringent punishment for Untouchability Offences.

पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्र

2232. **श्री पी० ग्रार० शिनाय :** क्या **उद्योग ग्रौर नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना ग्रवधि में ग्रौद्योगिक रुप से पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चुने जा चुके विकास केन्द्रों के नाम क्या हैं; ग्रौर

(ग) भविष्य में इन केन्द्रों का चयन किन सिद्धांतों के ग्राधार पर किया जाएगा ?

उद्योग ग्रौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों का इकट्ठा विकास करने के लिए विकास केन्द्रों/फोकल पाइन्टों का चुनाव करने का निर्णय किया है।

(ख) ग्रब तक छांटे गये विकास केन्द्रों/फोकल पाइन्टों की सूची संलग्न है।

(ग) विकसित भूमि, परिवहन, संचार, पानी बिजली ग्रौर कच्चे माल की उपलब्धि जैसी ग्रवस्थापना सुविधायें ऐसे कुछ मुख्य तत्व हैं जिन पर विकास केन्द्रों/फोकल पाइन्टों का चुनाव करने समय विचार किया जाता है।

विवरण

चुनें हुये विकास केन्द्रों की सूची

क्र० सं० राज्य का नाम	पिछड़े जिले का नाम	चुने हुए विकास क्षेत्र
1 आंध्र प्रदेश	चित्तूर	त्रिरूपथी
2 बिहार	भागलपुर	गालगोग
	चम्पारन	रेक्सोल
	दरभंगा	जैनगर
3 गुजरात	जूनागढ़	तालाला बिलोगक
	सुरेन्द्रानगर	सुरन्द्रानगर (पूरा जिले)
4 गोवा	मापुरा टाउन	मापुरा टाउन
5 हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	डामटला
6 केरला	एलेप्पी	शेरटलाई
7 मैसूर	मैसूर	ननजागुड
8 महाराष्ट्र	रतनागिरी	कुदाल
9 उड़ीसा	कोरापुट, केओनजार, मयूरभंज	जैपुरे बारबिल रायरामपुर
10 पंजाब	होशियारपुर	ऊमार टान्डा, दासुया गढ़
	संगरूर	शंकर, मकेरेन अहमदगढ़, दूरी
11 राजस्थान	टौंक	नेवलाई
12 तमिल नाडु	रामानाथापुरम, धर्मापुरी	त्रिरूपत्तुरटल्क कृष्णागिरी, होसुर
13 उत्तर प्रदेश	रायबरेली	रायबरेली
14 पश्चिम बंगाल	नादिया	कल्यानी
15 हरियाना	मोहिन्द्र गढ़	रिवाड़ी
16 जम्मू और काश्मीर	अनन्तनाग, जम्मू	शोफीयन, दयाल खाक
17 असम	होजाई	रानगिया नगलदाई
18 मध्य प्रदेश		दिवास

अरुणाचल प्रदेश में डीजल से चलने वाले बिजली घर

2233. **श्री सी०सी० गोहेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश में डीजल से चलने वाले बिजली घर कितने हैं और उनमें से कितने बिजली घरों के लिये डीजल तेल को विमान से भेजना पड़ता है;

(ख) अरुणाचल प्रदेश के कामेंग/सूबानसोरी जिलों में (एक) सीमा सड़क संगठन द्वारा टांगा। रूपा में सेना आवासन परियोजना के लिये; (दो) सेना द्वारा; (तीन) अरुणाचल की अस्थायी राजधानी के लिये अरुणाचल प्रशासन द्वारा और (चार) टांमा घाटी (कामेंग) जल-विद्युत परियोजना की बिजली की प्रारम्भिक आवश्यकताओं के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा बनाये गये डीजल से चलने वाले बिजली घरों पर कुल कितनी पूंजी-गत लागत आई अथवा आयेगी, उनकी बिजली बनाने की क्षमता क्या है और उनकी स्थापना किस-किस वर्ष में की गई; और

(ग) अरुणाचल प्रदेश में 1971 में की गई जांच के अनुसार पन बिजली परियोजनाओं अर्थात् सेप्परसं, ग्यारोंग छू, जिरो-चरण-I और जिरो-चरण-II की अनुमानित लागत, विद्युत् उत्पादन की क्षमता तथा उनके कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी, धारवाड़ की क्षमता

2234. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, धारवाड़ की किलोवाट क्षमता कितनी है;

(ख) क्या वह अपने प्रसारण क्षेत्र में प्रसारण के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और ऐसा कब तक कर दिया जायेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) आकाशवाणी का धारवाड़ केन्द्र 10 किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमिटर पर काम कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तापीय जनन एककों के नक्शों को अन्तिम रूप देना

2235. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 500 मेगावाट तापीय जनन एककों के विस्तृत नक्शों को (ब्लू प्रिंट्स) इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो नक्शों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना के विद्युत् कार्यक्रम पर लागत में वृद्धि का प्रभाव

2236. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना का विद्युत् कार्यक्रम लागत में वृद्धि के कारण खतरे में पड़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) लागतों में वृद्धि होने के कारण, पांचवीं योजना के प्रारूप दस्तावेज में प्रस्तावित 16.55 मिलियन किलोवाट क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

छोटे भाषायी क्षेत्रीय समाचारपत्रों के लिए विज्ञापन की दरें

2237. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक भाषाओं के छोटे समाचारपत्रों के लिए केन्द्र सरकार के विज्ञापनों की दरें मूल्य-स्तर में वृद्धि की तुलना में बहुत कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दरों को पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) विज्ञापन दरें स्वयं समाचारपत्रों द्वारा अपनी खपत संख्या, कवर किये जाने वाले क्षेत्र, पाठकों की श्रेणी इत्यादि बातों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं न कि सरकार द्वारा। तथापि, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय केवल उन्हीं समाचारपत्रों तथा नियतकालिक पत्रों का उपयोग करता है जिनकी दरें सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से मितव्ययी पाई जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपराधों की संख्या में वृद्धि

2238. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1973-74 के दौरान राज्यवार हत्याएं, डकैतियां तथा अन्य अपराधों के कितने मामले हुए;

(ख) क्या अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) एक विवरण संलग्न है। 1974 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1973 के दौरान देश में भारतीय दंड संहिता के अधीन कुल प्रज्ञेय अपराधों में 1972 तथा 1971 की तुलना में मामूली वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का कारण जनसंख्या में वृद्धि नागरीकरण, औद्योगिकरण और अन्य सामाजिक-आर्थिक तत्व हैं। अपराधों को रोकने के लिये सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1973 में अपराध की घटनाओं का विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	हत्या के मामले	डकैती के मामले	अज्ञेय अपराधों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश .	4,219	188	34,338
2.	असम	437	259	33,276
3.	बिहार	1,686	1,813	95,153
4.	गुजरात	769	128	45,143
5.	हरियाणा .	208	8	11,443
6.	हिमाचल प्रदेश	65	4	5,179
7.	जम्मू और काश्मीर .	84	14	7,434
8.	कर्नाटक	733	253	42,865
9.	केरल .	451	45	40,145
10.	मध्य प्रदेश .	1,705	354	1,08,796
11.	महाराष्ट्र	1,556	723	12,8405
12.	मणिपुर	37	13	2,962
13.	मेघालय	50	7	1,799
14.	नागालैंड	44	19	1,342
15.	उड़ीसा	383	159	33,526
16.	पंजाब	689	9	14,871
17.	राजस्थान	699	149	44,229
18.	तमिलनाडू .	956	28	66,362
19.	त्रिपुरा .	24	74	3,218
20.	उत्तर प्रदेश	3,924	4,098	2,05,532
21.	पश्चिम बंगाल	907	1,287	84,776
	जोड़ .	16,606	9,632	10,10,734
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4		1,360
2.	चंडीगढ़	2	..	1,334

1	2	3	4	5
3.	दादरा एवं नागर हवेली	1	..	89
4.	दिल्ली .	148	27	34,242
5.	गोवा, दमन और दीव	22	2	1,695
6.	लक्षदीप .	..	..	19
7.	पांडिचेरी .	5	2	917
	योग	182	31	39,556
	कुल योग	16,788	9,663	10,50,350

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन मिलों में नियंत्रित कपड़े का स्टाक

2239 **श्री भान सिंह भौरा** :

श्री वीरेन्द्रा सिंह राव :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कपड़ा मिलों में बहुत नियन्त्रित कपड़ा जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) से (ग) 31 जनवरी, 1975 को राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीनस्थ मिलों में कन्ट्रोल के कपड़े की लगभग 33,000 गांठे पड़ी हुई थी जो लगभग 12-13 सप्ताहों में होने वाले उत्पादन का स्टाक है जबकि सामान्यतया स्टाक 6 से 8 सप्ताहों में हुए उत्पादन का ही होता है। ऐसा प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा स्टाक उठाने में हुए विलम्ब के कारण हुआ है। निगम इस संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ से बात कर रहा है।

कोयला खत्तों की स्थापना

2240. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के समुद्र द्वारा परिवहन तथा कोयला खत्तों की स्थापना करके उसके वितरण को सुनियोजित करने की योजना कुछ अधिक प्रगति नहीं कर पाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके असफल होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कलकत्ते से पहले ही समुद्री जहाजों द्वारा कोयले का संचलन किया जा रहा है। वर्तमान संचलन के अलावा आशा है 1976 के

अंत तक हल्दिया मैकेनिकल कोल बर्थ भी संबद्ध रेल क्षमता सहित पूर्णतया चालू हो जाएगा जिससे कोयले की अधिक मात्रा समुद्र द्वारा भेजना संभव हो सकेगा। पैरादीप बन्दरगाह से देश के दक्षिणी और पश्चिमी तटों को समुद्री जहाजों द्वारा कोयला भेजने की योजना भी अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है। लगभग 8,000 टन कोयले की पहली जहाजी लदान शीघ्र किए जाने की आशा है।

हावड़ा में स्थापित कोयला-टाल के अलावा हाल में ही कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में 6 और टालें स्थापित की गई हैं। पहले से खाली गई टालों के कार्य-फल को देखने के बाद इस योजना को धीरे-धीरे अन्य चुने हुए स्थानों पर लागु भी किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन

2241. **श्री वेकारिया** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी उपभोक्ता वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पई) : (क) सरकारी क्षेत्र के लिए परियोजनाएँ बनाते समय जन साधारण के उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है जिससें भविष्य में उल्लेखनीय उत्पादन अंतराल होने की संभावना है।

(ख) सरकारी एवं केन्द्रीय दोनों ही क्षेत्रों में ऐसे एकक विद्यमान हैं जो कुछ उपभोक्ता वस्तुएं बनाते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएँ ये हैं :—

(1) सीमेंट,

(2) चमड़े के जूते एवं अन्य चमड़े के उत्पाद,

(3) कलाई घड़ियाँ,

(4) डबल रोटी,

(5) साधारण नमक,

(6) पैनिसिलीन, स्ट्रैटोमाइसिन, सल्फा की दवाइयाँ , टी० बी० निरोधक दवाइयां आदि जैसी दवाइयां,

(7) तरल पैट्रोलियम गैस, डीजल आयल सहित पैट्रोलियम के उत्पाद आदि,

(8) गर्भ निरोधक,

(9) वस्त्र, और

(10) फोटो फिल्में आदि।

कुछ अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को केन्द्र एवं राज्य के सरकारी क्षेत्र में और राज्यों के संयुक्त क्षेत्र में बनाने का भी विचार है। इस उद्देश्य के लिए कई उपकरणों में सरकारी क्षेत्र/राज्य सरकार के उपक्रमों को आशयपत्र भी जारी किए जा चुके हैं। इस विषय में कुछ चुने हुए उद्योग लिखाई का कागज, बिजली के लेम्प, टायर तथा ट्यूब, चीनी, सेफ्टी रेजरब्लेड, स्कूटर, सिगरेटें आदि हैं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में वस्त्र, सीमेंट, चीनी जैसे उद्योगों की अनेक केन्द्रीय/राज्य की सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के विस्तार करने का निश्चय किया गया है।

गैस एककों के लिए मशीनों तथा सिलिंडरों का आयात

2242. **श्री रामकंवर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक गैस की भारी कमी को देखते हुये सरकार का विचार गैस एककों के लिये मशीनों और सिलिण्डरों के आयात की अपनी वर्तमान नीति का पूर्नविलोकन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार अन्तिम मिर्णय कब तक कर लेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में औद्योगिक गैसों का निर्माण करने के लिये संयंत्रों का आयात करने सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा की है। देश के दृष्टिकोण से औद्योगिक गैसें बनाने के लिये संयंत्रों का आयात करने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है किन्तु वास्तविक उपयोगताओं को गैस सिलेण्डरों का आयात करने की अनुमति दी जा रही है। फिर भी, आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अधीन आक्सीजन गैस और 3,000 गैस सिलैण्डरों का निर्माण करने के लिये संयंत्रों का आयात करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि आवेदक अपने निजी साधनों से 25 लाख रुपये तक की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर लें।

जय प्रकाश नारायण के सुरक्षा प्रबंधों पर खर्च

2243. **श्री सतपाल कपूर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री जय प्रकाश नारायण के विभिन्न स्थानों के दौरों के समय उन्हें पुलिस संरक्षण प्रदान करने तथा अन्य सुरक्षा प्रबन्धों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) भविष्य में इस बारे में सरकार की क्या नीति होगी?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) पंजाब तथा हरियाणा सरकारों ने उनके राज्यों में श्री जय प्रकाश नारायण के दौरे के दौरान सुरक्षा के प्रबन्धों पर 4599 रु० व्यय किये।

इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा आन्ध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय उड़ीसा, तथा त्रिपुरा राज्य सरकारों द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया।

अन्य राज्य सरकारों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है। उसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ख) राज्य सरकारों से श्री जय प्रकाश नारायण के लिये ऐसे सुरक्षात्मक प्रबन्ध करने को कहा गया है जो स्थानीय स्थिति को देखते हुये आवश्यक समझे जायें।

अकौला जिले के धकली गांव में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों की आंखें निकालना

2244. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकोला जिले के धकली गांव में स्वर्ण हिन्दुओं द्वारा अनुसूचित जाति के दो व्यक्तियों की 26 सितम्बर, 1974 को आंखें निकाल ली गई थीं; और

(ख) क्या स्थानीय पुलिस की इस मामले में उपेक्षापूर्ण रवैये को देखते हुये सरकार इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिये सौंपेगी?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 26 सितम्बर, 1974 को जिला अकोला ने गांव धकली में एक घटना हुई थी जिसमें दो नव-बौद्ध भाई अन्य कुछ व्यक्तियों के साथ हुई एक झड़प में चोट लगने के कारण अन्धे हो गये थे।

(ख) इस सम्बन्ध में 9 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था और सभी 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और 4 दिसम्बर, 1974 को न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था। बताया जाता है कि मामला न्यायाधीन है। अतः मामले की जांच पड़ताल केन्द्रीय जांच पड़ताल ब्यूरो को सौंपने का प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशनों को मान्यता देना

2245. **श्री एस० एम० सिद्दया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सरकारी कर्मचारियों को एसोसियेशनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें मान्यता दी जाये;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कब आवेदन-पत्र दिया था; और

(ग) क्या उन्हें मान्यता दे दी गई है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी, हां श्रीमान्। गत तीन वर्षों के दौरान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित ऐसोसियेशनों ने, प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों को, मान्यता देने के लिये अनुरोध किया था :—

क्रम सं०	एसोसिएशन का नाम	तारीख
1	2	3
1.	दी नैलोर डिस्ट्रिक्ट शैड्यूलड ट्राइबज एम्पलाइज़ एसोसियेशन, नैलोर	7-2-72
2.	इन्डिया गवर्नमेंट मिन्ट शैड्यूल्ड कास्ट/शैड्यूल्ड ट्राइबस एम्पलाइज़ काउंसिल, कलकत्ता।	3-4-72
3.	दी आल इन्डिया फेड्रेशन आफ शैड्यूल्ड कास्टस/ट्राइबस, बैकवर्डस एण्ड माइ-नारिटीज एम्पलाइज़ वेल्फेयर एसोसिएशन (रजिस्टर्ड), नई दिल्ली।	16-2-73
4.	आल इन्डिया शेड्यूल्ड कास्टस एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एम्पलाइज़ वेल्फेयर एसोसिएशन, लखनऊ।	20-2-73

1	2	3
5.	आल इन्डिया शेड्यूल्ड कास्टस/शेड्यूल्ड ट्राइबस गवर्नमेंन्ट एम्पलाइज़ कोआर्डिनेशन काउसिल, कलकत्ता	19-7-73 तथा दिसम्बर 1974
6.	दी गवर्नमेंट आफ इन्डिया प्रेस शेड्यूल्ड कास्टस एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइबस वेल्फेयर एसोसिएशन, शिमला	3-9-73
7.	दी हिमाचल प्रदेश शेड्यूल्ड कास्टस गवर्नमेंट एण्ड सेमी-गवर्नमेंट एम्पलाइज़ एसोसिएशन, मंडी (हिमाचल प्रदेश)	30-12-73

(ग) जी नहीं श्रीमान् । सरकार की सदा ही यह नीति रही है कि जाति, वंश अथवा धर्म के आधार पर बनाई गई सरकारी कर्मचारियों की सेवा एसोसिएशनों को मान्यता न दी जाए ।

'हाफ ए मिलियन जोब्स प्रोग्राम' के अन्तर्गत पैदा किये गये रोजगार के अवसर

2246 **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **योजना** मंत्री हाफ-ए-मिलियन जोब्स स्कीम' के बारे में 19 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न संख्या 398 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ; और

(ख) उस के परिणामस्वरूप कितने अवसर पैदा हुए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :(क) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम वर्ष 1973-74 में आरम्भ किया गया था । कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत सी स्कीमें तैयार की थीं । कार्यक्रम में निम्नांकित तीन व्यापक श्रेणियों की स्कीमें आती हैं :—

(1) इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, प्रोद्योगिकविदों इत्यादि सहित शिक्षित बेरोजगारों के लाभ के लिए कृषि, लघु उद्योगों, सेवाओं, व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्रों में स्वत: स्फूर्त उत्पादक रोजगार स्कीमें ;

(2) सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों अथवा सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा वृत्तिभोगी रोजगार स्कीमें ;

(3) निजी क्षेत्र में इमदादी रोजगार के लिए रोजगार प्रोत्साहन स्कीमें ।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में की गई प्रगति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । [देखिये संख्या एल० टी०-9093/75]** उल्लेखनीय है कि अनेक स्वीकृत स्कीमों को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप 3.34 लाख रोजगार अवसर सृजित किये गये थे। मोटे तौर पर विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में प्राप्त की गई उपलब्धियां, संगठनात्मक और आधारभूत सुविधा घटकों, सक्षम परियोजनाओं को बढ़ावा देने की क्षमता तथा योजना परियासों के जरिये, अथवा निजी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों के विस्तार करने पर, निर्भर करती है।.

पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय भारत विरोधी तत्व

2247. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भारत विरोधी तत्व सक्रिय हैं;

(ख) इन तत्वों की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) भूमिगत नागा और मिजो लोग नागालैंड तथा मिजोरम में विद्रोही गतिविधियों में लगे हुये हैं।

(ग) सरकार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये आवश्यक सुरक्षा उपाय कर रही है।

कोका कोला निर्यात निगम

2248. **श्री मधु लिमये :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री 24 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 7993 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा फैन्टा का उत्पादन शुरू करने के परिणाम स्वरूप स्वदेश भेजी गई धनराशि में वृद्धि के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है; और

(ख) क्या कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को 15.12 लाख रु० के आयात लाइसेंस की स्वीकृति से भारतीय बोतल भरने वालों को अपने पृथक पेय पदार्थ बनाने के लिये किसी प्रकार प्रोत्साहन मिलेगा?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन पेय सान्द्रण बना रहे हैं जिसमें 'फैन्टा' शामिल है जिसका निर्माण उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के क्षेत्र में नहीं आता है। 'फैन्टा' के लिये अलग से भेजी गई धनराशी के बारे में जानकारी एकत्र कर सकना संभव नहीं है क्योंकि मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारोपोरेशन को हुये लाभ और इसके फलस्वरूप भेजी गई राशि अलग-अलग न दिखाकर अपितु इकट्ठी दिखाई जाती है।

(ख) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को आयात लाइसेंस देने से कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा बनाये जाने वाले सान्द्रण को भारत में कोका कोला की बोतलें भरने वाले 22 एकक उससे सान्द्रण लेकर उत्पादन कर सकेंगे। पूर्व रुपेण देश में ही हल्के पेय का विकास करने की संभावना का अलग से पता लगाया जा रहा है।

विदेशी धन प्राप्त कर रहे संगठन

2249. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन संगठनों के नाम क्या हैं जो 5,000 रुपये से अधिक मूल्य की विदेशों से धन राशि प्राप्त कर रहे हैं?

(ख) क्या ये संगठन इस राशि के अपने व्यय का लेखा-जोखा सरकार को प्रस्तुत करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह राशि किन-किन क्षेत्रों में व्यय की जा रही है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) बाहर से धन के आने पर इस समय कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है। विदेशी धनराशि (विनियमन) विधेयक, 1973 जिसमें "विदेश धन राशि" और "विदेशी आतिथ्य सत्कार" की स्वीकृति तथा उपयोग को नियमित करने की व्यवस्था है संसद के दोनों सदनों की एक सयुंक्त समिति के विचाराधीन है। किन्तु रिजर्व बैंग आफ इंडिया 10,000,00 रुपये और उससे अधिक बाहर से आने वाली धनराशि का रिकार्ड केवल सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिये रखता है। प्रतिवर्ष 5,000,00 रुपये से अधिक विदेशी धनराशि प्राप्त करने वाले संगठनों का कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखा जाता है। विदेशी धन के उपयोग के बारे में सरकार को लेखा जोखा प्रस्तुत करना प्राप्तकर्ता सगठनों के लिये अनिवार्य नहीं है।

गाजियाबाद में दूर संचार प्रशिक्षण केन्द्र

2250. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाजियाबाद में दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र आरंभ हो गया है;

(ख) क्या सर्व विदित अन्तर्राष्ट्रीय अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगम के साथ सहयोग किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली के समीप होने के कारण यह आधुनिक उपकरणों के माध्यम से हमारी वायु सेना संचार प्रणाली को "इण्टरसैप्ट" कर सकेगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेलीफोन्स पटना और जनरल मैनेजर टेलीकम्यूनीकेशन्स, बिहार सर्किल

2251. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेलीफोन्स, पटना को जनरल मैनेजर टेलीकम्युनिकेशन्स बिहार सर्किल के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन लाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने पटना टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के दूर संचार कर्मचारियों की सर्किल वरिष्ठता को जनरल मैनेजर टेलीकम्युनिकेशन्स बिहार सर्किल के साथ मिला देने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो विलय की स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मैनेजनर टेलीफोन्स, पटना सर्किल के प्रशासनिक अनुभाग की क्या स्थिति होगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खान प्राधिकरण को कोयला खानों से कोयला उठाने के लिए ट्रक ड्राइवरों द्वारा दी गई राशि

2252. **श्री दामोदर पांडेय** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हजारी बाग क्षेत्र में कोयला खान प्राधिकरण की विभिन्न कोयला खानों से कोयला उठाने वाले ट्रकों से सरकारी सम्पत्ति अथवा कोयला खान सम्पत्ति पर बड़े-बड़े द्वार बनाना 11 रुपये तक अवैध राशि एकत्र की जा रही है;

(ख) क्या कुछ कोयला खानों में ट्रक चालकों को लोगों के संगठित गिरोह को 4.50 रुपये प्रति ट्रक लदान के लिए देने पड़ते हैं और ये लोग ट्रक लादने वाले मजदूरों को केवल 3 रुपये देते हैं और इस प्रकार से वहां गैर-कानूनी ठेकेदारी चल रही है, जबकि कुछ अन्य कोयला खानों में विभागीय श्रमिकों द्वारा ट्रक लादे जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस गैर-कानूनी प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री, (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) से (ग) ऐसी रिपोर्टें ध्यान में आई हैं तथा इन्हें स्थानीय जिला प्राधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए भेजा जा चुका है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा मावलंकर आडिटोरियम पर फिल्म समारोह के टिकटों की बिक्री

2253. **श्री मधु दंडवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मावलंकर आडिटोरियम के निकट स्थित विट्ठलभाई पटेल भवन के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा टिकटों की बिक्री खुले रूप से की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कवर्यवाही की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों आदि के द्वारा टिकटों की बिक्री की कोई बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है। मावलंकर आडिटोरियम में टिकट फिल्म समारोह निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा नियमित काउन्टरों पर बेचे गये थे।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारत में विदेशी समाचार एजेंसियां

2254. **श्री के० लकप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कौन-कौन सी विदेशी समाचार एजेन्सियां काम कर रही हैं; और

(ख) किन भारतीय समाचार एजेन्सियों के संवाददाता विदेशों में हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) उन विदेशी समाचार एजेन्सियां जो भारत में कार्य कर रहीं हैं, की एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया, युनाइटिड न्यूज आफ इंडिया तथा हिन्दुस्तान समाचार।

विवरण

1. एजेन्से फ्रान्स प्रेस्से	(फ्रान्स)
2. ए०एन०एस०ए०, इटेलियन न्यूज एजेन्सी	(इटली)
3. एसोसियेटिड प्रैस आफ अमरीका	(अमरीका)
4. एलेजीमेन्नर ड्यूटश्चेर नाक्रीचटेंडीयेस्ट (ए.०डी०एन०),	(जी०डी०आर०)
5. बंगला देश संघवाद संगस्था	(बंगला देश)
6. चैकोस्लोवाक न्यूज एजेन्सी	(चैकोस्लावाकिया)
7. ड्यूटसे प्रैस एगेन्चचोर (जर्मन प्रैस एजेन्सी)	(एफ०आर०जी०)
8. इकानोमिक न्यूज सर्विस	(हांगकांग)
9. ईराकी न्यूज एजेन्सी, बगदाद	(ईराक)
10. क्योडा न्यूज सर्विस	(जापान)
11. पोलिस प्रैस एजेन्सी	(पोलैंड)
12. रियूटर्ज	(ब्रिटेन)
13. तंजुग	(यूगोस्लाविया)
14. तास	(सोवियत संघ)
15. युनाइटिड प्रेस इन्टरनेशनल	(अमरीका)
16. नोवोस्ती प्रैस एजेन्सी	(सोवियत संघ)
17. वर्ल्ड फीचर सर्विसेज लि०	(ब्रिटेन)
18. रूमानियन न्यूज एजेन्सी	(रूमानिया)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा उड़ीसा में नई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं की स्थापना

2255. **श्री अनादि चरण दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नई ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) वहां कुल कितनी परियोजनायें स्थापित की जायेंगी और उनके नामों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जाता है तथा राज्य बिजली-बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है । राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भेजी गई स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त ऋण सहायता की व्यवस्था की जाती है । निगम स्वयं किसी परियोजना को कार्यान्वित नहीं करता ।

(ख) निगम ने उड़ीसा में अब तक 24.66 करोड़ रुपये की कुल ऋण सहायता वाली 61 ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाएं स्वीकृत की हैं । ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 9094/75]

उड़ीसा में न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम के लिए आबंटन

2256. **श्री चिन्तामणि पाणीग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में 1974-75 और 1975-76 में न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम का निष्पादन करने के लिए राज्य के आयोजना परिव्यय में कोई आवंटन किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे राशियां क्रमशः क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत 71, 24 करोड़ रुपये की उड़ीसा की वार्षिक योजना 1974–75 में, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 13,21 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जहां तक वर्ष 1975-76 का संबंध है, राज्य की वार्षिक योजना, जिसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी शामिल है, के आकार पर निर्णय योजना आयोग में हाल में हुए विचार-विमर्श को ध्यान में रखकर शीघ्र ही लिया जाएगा।

नवम्बर 1974 से जनवरी 1975 के बीच उद्योगों और कृषकों पर बिजली की कटौती लागू करना

2257. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में नवम्बर, 1974 से जनवरी, 1975 के बीच उद्योगों और कृषकों की बिजली की कितने प्रतिशत कटौती की गई; और

(ख) इससे उत्पादन की कितनी क्षति हुई ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित सूचना दिखाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–9095/75]

(ख) केवल विद्युत की कमी के कारण, उत्पादन में होने वाली हानि की मात्रा का निर्धारण करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कई अन्य तत्व भी शामिल होते हैं ?

'आंसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

2258. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :**

श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आंसुका" के अन्तर्गत, राज्यवार, कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और इस समय कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं;

(ख) क्या उनके विरूद्ध मुकद्दमे चलाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने मुकद्दमों के फैसले हो चुके हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 31-12-1974 को आंसुका के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 4784 थी। राज्यवार आंकड़े संलग्न अनुलग्नक में दिये गए हैं।

(ख) और (ग) : आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम में विशिष्ठ प्रयोजनों के लिए लोगों की निरोधात्मक नजरबन्दी की व्यवस्था है तथा उसके लिए प्रणाली निर्धारित करता है। इसमें ऐसे गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध अलग से कोई कार्रवाही करने की व्यवस्था नहीं की गई है।

विवरण

31-12-1974 को आंसुका के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	24
2. असम	11
3. बिहार	53
4. गुजरात	2
5. हरियाणा	—
6. हिमाचल प्रदेश	—
7. जम्मू व कश्मीर	109
8. कर्नाटक	2
9. केरल	8
10. मध्य प्रदेश	24
11. महाराष्ट्र	76
12. मणिपुर	—
13. मेघालय	3
14. नागालैंड	—
15. उड़ीसा	10
16. पंजाब	117
17. राजस्थान	8
18. तमिल नाडू	26
19. त्रिपुरा	21
20. उत्तर प्रदेश	11
21. पश्चिम बंगाल	4,265
22. अन्दमान व निकोबार	—
23. अरुणाचल प्रदेश	—
24. चण्डीगढ़	—
25. दादरा व नगर हवेली	—
26. दिल्ली	7
27. गोवा दमन व दीव	1
28. लक्षद्वीप	—
29. मिजोराम	6
30. पाण्डिचेरी	—
जोड़	4,784

Request by Madhya Pradesh Government for Raising limit of Public Loan

2259. **Dr. Laxmi Narayan Pandeya** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government has requested the Planning Commission to raise the limit of public loans up to 30 crore rupees; and

(b) if so, the decision taken by the Commission thereon?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) At the time of assessment of the State's resources for 1975-76, the State Government has suggested allocation of a net public loan of Rs. 31.01 crores for it for that year.

(b) It was not found possible to accede to the State Government's request, since as a matter of policy the allocations of net public loans to the States in 1975-76, exclusive of the amounts provided to take care of their repayments to the Centre in respect of the Centralised market borrowing of 1963-64, have been kept broadly at the 1973-74 levels of such loans.

पांचवीं योजना में बिहार के लिये तापीय विद्युत संयंत्र

2260. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं योजना के ग्रन्तर्गत बिहार के लिये मंजूर किये गये तापीय विद्युत् संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : निम्नलिखित विद्युत् संयंत्रों को पांचवीं योजना के दौरान बिहार को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के रूप में स्वीकृति दी गई है:--

1. कोसी जल-विद्युत् स्कीम	5 मै०वा०
2. सुवर्णरेखा जल-विद्युत् स्कीम	130 मै०वा०
3. पतरातु ताप विद्युत् केन्द्र विस्तार-एक	220 मै०वा०
4. बरौनी ताप विद्युत् केन्द्र विस्तार-एक	110 मै०वा०
5. पतरातू ताप विद्युत् केन्द्र विस्तार-तीन	220 मै०वा०
6. बरौनी ताप विद्युत् केन्द्र विस्तार	110 मै०वा०
7. तेनुघाट ताप-विद्युत् केन्द्र	200 मै०वा०

Arrests under Misa in Bihar in Connection with Students Agitation

2261. **Shri G. P. Yadav**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of students and workers of the political parties so far arrested under "MISA" in connection with the student agitation in Bihar and the number of those acquitted by the High Court;

(b) whether Bihar Government have misused "MISA"; and

(c) if so, the reasons therefore ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें

2262. **श्री नीति राज सिंह चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार समिति ने केन्द्रीय मंत्रालय को अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें करने के बारे में निदेश/अनुदेश जारी किये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और क्या केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अपनी-अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकें की गई हैं अथवा की जा रही हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय मंत्रालयों के लिये अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की नियमित बैठकें करना आवश्यक करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) अधिकांश मंत्रालय अपनी-अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठक नियमित रूप से कर रहे हैं । किन्तु, यह देखा गया था कि इनमें से कुछ ऐसा नहीं कर रहे थे और इसलिए 26 नवम्बर, 1974 को हुई केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि गृह मंत्रालय को विभिन्न मंतालयों व विभागों को लिखकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करना चाहिए कि वे अपनी-अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की नियतकालिक बैठक नियमित रूप से किया करे । गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इस संबन्ध में संबन्धित मंत्रालय को पत्र लिख दिया है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मंत्रालयों के लिये ये बैठकें नियमित रूप से बुलानी आवश्यक है और यदि यह पाया जाता है कि किसी मंत्रालय से भूल हुई है तो मामले को आवश्यक कार्यवाई के लिय गृह मंत्रालय द्वारा सम्बन्धित मंत्रालय के ध्यान में लाया जाता है ।

Opening of Schools for Adivasis

2263. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the State Governments from whom proposals regarding opening of schools for Adivasis on Ashram pattern in the country have been received and whether this pattern is meant for those places where the school facilities are not easily available; and

(b) whether Government propose to consider the importance of its utility; and

(c) the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c) Ashram School is one of the approved programmes under the State Plan educationa schemes for tribal areas. These institutions are useful in covering the sparcely populated areas where other educational institutions are not viable. A number of States have included a programme of Ashram Schools in the sub-plans for tribal areas which are currently under examination of the Planning Commissin in consultation with the State Governments.

राज्यों से केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर गए हुए अधिशासी अधिकारियों को खपाना

2264. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रत्येक राज्य से प्रतिनियुक्ति पर आये ऐसे अधिशासी अधिकारियों को संख्या क्या है जो गत पांच वर्ष या इससे अधिक समय से आए हुए हैं ; और

(ख) ऐसे अधिकारियों को केन्द्रीय सेवाओं में खपाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

औद्योगिक फास्टनर्स के निर्माताओं को कच्चे माल की सप्लाई

2265. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक फास्टनर्स के निर्माताओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि उद्योग द्वारा अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए उचित प्रकार के कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किए जाएं ;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक फास्टनर्स के निर्माताओं को किन-किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) उनके अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) औद्योगिक फास्टनर बनाने वाले एकक देशी और आयातित कच्चे माल के नीति संगत नियतन के लिए नियमित रूप से अनुरोध करते रहे हैं। इनमें से कुछ एककों ने बताया है कि उनका उत्पादन पर्याप्त देसी इस्पात, कच्चा माल की अनुपम्यता और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के जरिए प्रणालीबद्ध आयातित इस्पात की सप्लाई में देरी होने के कारण कम है। तकनीकी विकास का महानिदेशालय फर्म की अनुमोदित क्षमता के आधार पर देसी इस्पात के कच्चे माल के नियतन की सिफारिश करता है, जहां तक आयातित कच्चे माल का संबन्ध है त०वि०म०नि० उस समय लागू आयात नीति के अनुसार आयात हेतु आवेदनों के बारे में सिफारिश करता है। किन्तु इस्पात प्राथमिकता समिति समग्र उपलभ्यता और मांग पर विचार करके ही देसी कच्चे माल की वास्तविक सप्लाई करती है। हिन्दुस्तान स्टील लि० आयातित वर्ग के कच्चे माल की सप्लाई कर रहा है।

साहा आणविक भौतिकी संस्थान, कलकत्ता में काम कर रहे कर्मचारियों की शिकायतें

2266. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहा आणविक भौतिकी संस्थान, कलकत्ता के कर्मचारियों की काम की शर्तों के बारे में लम्बे समय से चली आ रही शिकायतों और संस्थान के निदेशक के उच्छृंखल व्यवहार की उन्हें जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) पदोन्नति, समयोपरि भत्ता, पुस्तकालय के उपयोग, नई भर्ती आदि के बारे में संस्थान के कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में सरकार के नवीनतम निर्णयों का ब्यौरा क्या है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नाभिकीय भौतिकी में काम करने वाला सहा संस्थान के कर्मचारियों से प्राप्त कुछ शिकायतें परमाणु ऊर्जा विभाग के ध्यान में लाई गई थीं। ज्यादातर शिकायतें वर्तमान निदेशक के विरुद्ध थीं तथा संस्थान के कर्मचारियों के कुछ [illegible] द्वारा वर्तमान प्रशासन के विरुद्ध शुरू किये गए आन्दोलन का एक भाग थीं। तथापि, अभी हाल [illegible] कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) नाभिकीय भौतिकी में काम करने वाला साहा संस्थान एक स्वायत्तशासी संगठन है तथा इसका प्रबन्ध एक परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत सरकार के चार प्रतिनिधि, पश्चिम बंगाल सरकार का एक प्रतिनिधि एवं कलकत्ता विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधि (उपकुलपति सहित) शामिल हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति इस परिषद के अध्यक्ष हैं। परिषद को स्थिति की पूरी जानकारी है तथा वह वर्तमान प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के संबन्धों में सुधार लाने के लिए समुचित कदम उठा रही है। इस संबन्ध में परिषद स्थिति का अध्ययन लगातार करती रहती है तथा उसने संस्थान के कर्मचारियों की जायज शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।

राज्यों में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के बारे में पूर्वी जोन के मुख्य मंत्रियों की बैठक

2267. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में रांची में पूर्वी जोन के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत हुई तथा पूर्वी जोन के राज्यों में कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों को भी बाद में होने वाली बैठकों में बुलाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन बैठकों में तथा देश में अन्य राज्यों को शान्ति और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के बारे में क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किए है?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क), (ख) और (घ) : केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 3 फरवरी, 1975 को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई थी जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा अन्य दो मंत्रियों ने भाग लिया था। परिषद ने अन्य बातों के साथ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुझाये गये एक ऐसे मामले पर विचार विमर्श किया था जो पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों में उग्र पंथियों की गतिविधियों से निपटने के लिए एक समन्वित नीति बनाने से संबन्धित था। परिषद ने तय किया कि इन समस्याओं पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय के एक प्रतिनिधि संबन्धित राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महा निरीक्षकों की एक समिति गठित की जाये। अन्य राज्यों से संबन्धित ऐसी समस्याओं पर सदस्य राज्यों के सुझाव पर तत्संबन्धी क्षेत्रीय परिषद् में विचार किया जा सकता है।

(ग) क्षेत्रीय परिषदों की कार्यविधि के नियमों के अनुसार कार्य सूची के मदों से संबन्धित केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों को परिषद की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

जमाखोरों, चोर बाजारियों के विरुद्ध कार्यवाही

2268. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमाखोरी, चोरबाजारी, तस्करी, मिलावट, सूदखोरी और अन्य अपराधों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई, अथवा करने का प्रस्ताव है और उसके राज्य वार क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत आर्थिक अपराधों के लिए कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और संशोधित दण्ड प्रक्रिया की संहिता की धारा 110 के अधीन कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, उनकी संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन):(क) तथा (ख) प्रश्न में उल्लिखित "अन्य अपराध" तथा "आर्थिक अपराध" वाक्यांशों के संबन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

विदेशी हवाई डाक तथा स्थल डाक सेवा के दरों का पुनरीक्षण

2269. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी हवाई डाक तथा स्थल डाक सेवा की दरों का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) विदेश डाक प्रभार की दरें पिछली बार सन् 1971 में संशोधित की गई थीं। उनमें आगे और संशोधन किया गया है और ये दरें तारीख 10-2-75 से लागू की गई हैं। पिछले संशोधन के बाद कर्मचारियों पर होने वाले खर्च और व्यय-लागत में वृद्धि होने के कारण इन दरों में संशोधन करना आवश्यक हो गया था । ये संशोधित दरें विश्व डाक संघ कन्वन्शन की उन व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित की गई हैं, जिनके आधार पर सदस्य देशों के लिए डाक दरें निश्चित की जाती हैं। डाक सूचना की एक प्रतिलिपि, जिसमें विदेश डाक प्रभार की संशोधित दरें दिखाई गई हैं, सभा-पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल०टी० 9096/75]

राज्यों में उर्वरक संयंत्रों के लिए 'रक्षित विद्युत् संयंत्र'

2270. **श्री नरसिंह नारायण पांडे :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग का विभिन्न राज्यों में उर्वरक संयंत्रों के लिए "रक्षित विद्युत् संयंत्रों" की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ख) क्या संयंत्रों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया है ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शक्ल) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्यों के सभी उर्वरक कारखानों में संरक्षित विद्युत् संयंत्र की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । बिजली की कमी के दौरान और फीडर लाइनों का भार बढ़ जाने से उर्वरक कारखानों को भी वाल्टेज और प्रवाह के उतार-चढ़ाव का तथा बिजली में कटौती का सामना करना पड़ता है । जिसके परिणामस्वरूप कारखाने में ब्रेकडाउन / संवेदनशील उपकरणों को हानि होती है और उर्वरक के उत्पादन में कमी आती है । जहां इस तरह की असकन बिजली पूर्ति की स्थिति होती है वहां के प्रत्येक उर्वरक कारखाने की परीक्षा गुण-दोषों के आधार पर की जाती है और वहां बिजली की कुल मांग को पूरा करने के लिए अथवा संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मात्रा का उत्पादन करने के लिए बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है ।

दिल्ली पुलिस में रसोइए

2271. **श्री हरिसिंह :**

श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में रसोईयों की पारी ड्यूटी आज तक लागू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस समय दिल्ली पुलिस में कितने रसोइये काम कर रहे हैं तथा उनकी मंजूरशुदा संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में पारी की कोई व्यवस्था नहीं है और रसोइये पूरे दिन ड्यूटी पर रहते है तथा सुबह एंव शाम के भोजनकाल के बीच कुछ अवकाश होता है । यही प्रथा दिल्ली पुलिस में है ।

(ग) इस समय दिल्ली पुलिस में 362 रसोइये काम कर रहे हैं जबकि स्वीकृत संख्या भी 362 है ।

पश्चिमी देशों के समाचारपत्रों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह की आलोचना

2272. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों के समाचार पत्रों द्वारा हाल ही में दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह के आयोजन में मंत्रालय के कुप्रबंध के बारे में गम्भीर आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस चलचित्र समारोह के आयोजन से पूर्व इस समारोह के बारे में संसद सदस्यों की राय जानने हेतु सलाहकार समिति की कोई बैठक की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ऐसी कोई आलोचना सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

जेसप कम्पनी द्वारा युगोस्लाविया को माल डिब्बों की सप्लाई

2273. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की जेसप कम्पनी युगोस्लाविया को माल डिब्बों की सप्लाई के क्रियादेश को निष्पादित करने में असफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कराण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुलिस की हिरासत से भागे अभियोगाधीन व्यक्ति

2274. **श्री शशि भूषण :**
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री सत पाल कपूर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में वर्ष 1974-75 में 28 फरवरी, 1975 तक पुलिस की हिरासत से कुल कितने ऐसे व्यक्ति भाग गये जिन पर मुकदमा चल रहा था;

(ख) पुलिस की हिरासत से कितने नक्सलवादी, आनन्द मार्गी, तस्कर और अन्य व्यक्ति भागे;

(ग) उन्हें फिर गिरफ्तार करने के लिए क्या विशेष प्रयत्न किये गये, और

(घ) क्या उनके भाग निकलने के सम्बन्ध में किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

सोडा वाटर के लिए कनसेनटेट्स बनाने वाली कम्पनियां

2275. **श्री शशि भूषण :**
श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री सत पाल कपूर :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन कम्पनिओं के नाम क्या हैं जो सोडा वाटर के लिए कानसेनटेट्स बना रहीं हैं तथा प्रत्येक कम्पनी में कितने विदेशी शेयर हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : तकनीकी विकास से महानिदेशालय की सूची में दर्ज बोतल भरने वाली कम्पनियों को स्वायतता के आधार पर सप्लाई करने करने हेतु सोड़ावाटर के लिए सांद्रण (कानसेन्ट्रटेस) बनाने वाली प्रमुख कम्पनियों के नाम तथा उनकी विदेशी अंशधारिता नीचे दी गई है :—

क्र०सं०	विदेशी अंशधारित
1. मेसस कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन नई दिल्ली .	100%
2. मे० पार्ले बेबरजेज, बम्बई . . .	कुछ नहीं
3. मे० बिसलेरी इण्डिया लि०, बम्बई	49%

क्षेत्रीय फिल्म उद्योग केन्द्रों में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन

2276. **श्री धामनकर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली की बजाय क्षेत्रीय फिल्म उद्योग केन्द्रों में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है जिससे फिल्म उद्योग और फिल्म समारोहों में अधिक समन्वय स्थापित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) उसकी रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) भारत के अगले अन्तरर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के स्थान के बारे में निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

पूर्वी क्षेत्र में आकाशवाणी केन्द्र

2277. **श्री टुना उरांव : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में आकाशवाणी के कितने केन्द्र हैं ;

(ख) आगामी पांच वर्षो में कितने केन्द्र चालू हो जायेंगे ; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र की कितनी क्षमता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालाय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आसाम, अरुणाचल प्रदेश मेधालय, मिजोरम, नागलेंड, मणिपूर, त्रिपुरा, विहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों (संध प्रशासित क्षेत्रों सहित) में इस समय 20 केन्द्र है ।

(ख) अगले पांच वर्ष के दौरान इटानगर (अरुणाचल प्रदेश) तथा दरभंगा में दो नये रेडियो स्टेशन चालू हो जाने की उम्मीद है बशर्ते कि साधन उपलब्ध हो । शिलांग तथा एजवाल के अल्प शक्ति के केन्द्र क्रमशः उच्च शक्ति तथा मध्यम शक्ति के केन्द्र किए जा रहे हैं । इसी प्रकार आरतला केन्द्र की शक्ति एक और मध्यम शक्ति की ट्रांसमिटर यूनिट लगा कर बढ़ाई जा रही है ।

(ग) आकाशवाणी के वर्तमान 20 केन्द्रों में से 5 केन्द्र लघु शक्ति के दस मध्यमे शक्ति के तथा 5 उच्च शक्ति के ट्रांसमिटरों पर कार्य कर रहे हैं । तथापि, जैसा कि उपयुक्त भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है, शिलांग एजवाल तथा अगरतला इन तीन केन्द्रों की शक्ति बढ़ाई जा रही हैं । स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित दो नये केन्द्रों में से एक उच्च शक्ति का तथा दूसरा मध्यम शक्ति का होगा ।

केन्द्रीय सूचना सेवा का पुनर्गठन

2278 **श्री टुना उरांव : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा के पूनगठन की योजना को अत्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता के शक्तिशाली ट्रांसमीटर की शक्ति में कमी

2279. **श्री टूना उरांव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के शक्तिशाली ट्रांसमिटर की शक्ति को कम करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्राला में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड चार के तदर्थ कर्मचारी

2280. **श्री टुना उरांव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने **की** कृपा **करेंगे** कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड चार के लिये आयोजित प्रथम परीक्षा में उम्मीदवारों के साक्षात्कार के समय केन्द्रीय सूचना सेसा ग्रेड चार में कितने तदर्थ कर्मचारी कार्य कर रहे थे ;

(ख) उक्त कर्मचारियों में से कुल कितने विभागीय उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया तथा केन्द्रीय सूचना सेवा में खपाया गया ;

(ग) ऐसे विभागीय उम्मीदवारों को सम्पिलित किये जाने के लिये संध लोक सेवा आयाग को किन आधारों और शर्तों पर सहमत किया गया ; और

(घ) शेष बचे तदर्थ ग्रेड चार के कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना सेवा में उम्मिलित न किये जाने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालाय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 103

(ख) 101

(ग) संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से तदर्थ कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना सेवा में सम्पिलित करने के प्रयोजन हेतु, केन्द्रीय सूचना सेवा नियमवाली के नियम 2(ख)(2) के अन्तगर्त विभागीय उम्मीदवार मानने का फेसला किया गया है।

(घ) आरम्भ में दो तदर्थ कर्मचारी केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल नहीं किये गये थे, क्योंकि वे उक्त सेवा के प्रारभं होने के समय अर्थात 1-3-1960 को ड्यूटी पदधारी नहीं थे। तथापि, बाद में उनकी सेवा के ग्रेड-4 में संविलीन कर लिया गया था।

Special Screening of Films for Film Festival

2281. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether films for the recent International Film Festival were screened unauthorisedly at different places for distinguished persons;

(b) whether screening of these films time and again at different places is against rules governing international film festivals; and

(c) if so, whether Government are conducting any enquiry into this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) and (b) There was no unauthorised screening of any film at any place for any special audience. However, special screenings were held for the members of the Press in which M.Ps. were also invited.

This was in accordance with the regulations of Federation of International Film Producers Association and is followed by all the International Film Festivals.

(c) Does not arise.

T.V. Programmes for Jaipur

2282. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it will be possible to see television programmes in Jaipur (Rajasthan) and some of its parts as a result of launching of satellite in June, 1975;

(b) whether, after the discontinuance of satellite television programme scheme, a television transmitter is proposed to be set up in Jaipur from where the programmes prepared in Delhi will be telecast; and

(c) if so, the full facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Bradcasting (Shri Dharam Bir Sinha) (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) A proposal is under consideration for setting up in due course a Television transmitter at Jaipur which could provide TV coverage to about 28,000 sq. Kms. of area and 36 lakhs of population.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के कर्मचारियों के बीच मुठभेड़

2283. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पता है कि हाल ही में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स बंगलौर में कर्मचारियों के दो गुटों के बीच मुठभेड़ हुई तथा जिसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में आंशिक हड़ताल हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति का सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की यूनियनों के औद्योगिक संबंधों पर कड़ी निगाह रख रही है और एकक के प्रबंधकों से अनुरोध किया गया है कि वह औद्योगिक शांति बनाये रखें।

Delay in Expansion of Korba and Amarkantak Power Station in Madhya Pradesh

2284. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether the expansion of Korba and Amarkantak power stations in Madhya Pradesh is being delayed on account of non-availability of High pressure alloy steel and carbon steel piping which are not produced in the country; and

(b) the steps being taken by Governmnent in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Sidheswar Prasad) : (a) and (b) There is no such problem in the case of Amarkantak Power Station. In respect of Korba Power Station there has been some delay in the supply of High Pressure Piping. However, the Madhya Pradesh State Electricity Board have decided to divert the Piping ordered for Amarkantak to Korba which would enable Korba unit also to be commissioned according to schedule. At present these pipes are not being manufactured indigenously.

बच्चों पर यौन तथा हिंसा वाले चलचित्रों के प्रभाव का अध्ययन

2285. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार देश में बाल-अपराध के सम्बन्ध में यौन तथा हिंसा वाले चलचित्रों के प्रभाव का अध्ययन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) फिल्मों सहित विभिन्न माध्यमों को पहुंच तथा उनके प्रभाग का मूल्यांकन करते हेतु देश की व्यावसायिक एजेन्सियों के माध्यम से अध्ययन करने के लिए पांचवी योजना के अन्तर्गत सूचना और प्रचार मूल्यांकन निदेशालय की स्थापना को गई है। अपराध फिल्मों के युवकों पर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में निवेश वातावरण के संबंध में किया गया अध्ययन

2286. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **योजना** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालेज आफ बिजनेस एण्ड इकानामिक्स, डेलावेयर यूनिवर्सिटी के एसोसियेट प्रोफेसर, मि० फ्रेड्रिक हंसर तथा 98 अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के उमके दल द्वारा, जिसने 43 विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के निवेश वाता वरण की तुलना की और भारत को उसमें 41 वां स्थान दिया, किये गये अध्ययन की जानकारी है ;

(ख) क्या योजना आयोगं ने उस पर विचार किया है; और

(ख) यदि, हां तो उसकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) मि० फ्रेड्रिक हंसेर द्वारा किए गए अध्ययन की प्रति उपलब्ध नहीं हो अतः उस पर योजना आयोग की प्रतिक्रिया बताना अभी संम्भव नहीं हैं।

भाषाई चलचित्रों को हिन्दी में 'डब' करना

2287. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय प्रदर्शन हेतु भाषाई चलचित्रों को हिन्दी में 'डब' करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नीति की मोटो रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) फिल्म वित्त निगम के निदेशक मण्डल ने फिल्मों को प्रादेशिक भाषाओं से हिन्दी में डब करने और पैरा डब करने के लिए वित्तीय सहायता देने की एक योजना सिद्धान्तया स्वीकार की है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्में "निर्मालियम" (मलयालम) तथा "काडू" (कन्नड़) को पाइलट प्राजेक्टों के रूप में स्वीकार किया गया है। फिल्म वित्त निगम द्वारा योजना का विस्तृत ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

अखबारी कागज की मांग तथा उसका उत्पादन

2288. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अखबारी कागज की कुल मांग कितनी है ;

(ख) देश में इस समय अखबारी कागज का कुल उत्पादन कितना है ;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान अखबारी कागज की कौन सी परियोजना आरम्भ की जाएगी; और

(घ) क्या अखबारी कागज की नई परियोजना के आरम्भ होने से देश अखबारी कागज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) : वर्ष 1975-76 में अखबारी कागज की मांग 270000 मी० टन तक हो जाने की संभावना है। वर्ष 1974 में देश में 54777 मी० टन उत्पादन हुआ था।

(ग) और (घ) : नेशनल न्यूजीप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड का वर्तमान विस्तार कार्यक्रम अप्रैल, 1975 में पूरा हो जाने की आशा है और मिल की क्षमता बढ़कर 75000 मी० टन वार्षिक हो जायेगी। अखबारी कागज के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के हेतु सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं के लिए सहमति दे दी है :—

पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता
1	2	3
		(मी० टन)
1. बलारपुर पेपर मिल्स	हिमाचल प्रदेश	60000
2. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड . . .	केरल	80000

1	2	3
		मी० टन
3. सूरज इण्डस्ट्रियल पैकिंग लि०	उत्तर प्रदेश	60000
4. वैस्ट कौस्ट पेपर मिल्स . .	महाराष्ट्र	3000
5. प० बंगाल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन	पश्चिम बंगाल	60000
6. हरगोलाल एण्ड सन्स . .	पंजाब	30000
7. रामगंगा पेपर मिल्स	उत्तर प्रदेश	30000

अखबारी कागज की प्रारम्भिक अवस्था अवधि लम्बी होने के कारण आगामी अनेक वर्षों में तथा घरेलू उत्पादन में काफी कम बना रहेगा।

फाजिल्का तथा अबोहर के हिन्दी भाषी क्षेत्रों का भविष्य

2289. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में फाजिल्का तथा अबोहर के हिन्दी भाषी क्षेत्रों के भविष्य के बारे में कोई निर्णय किया गया है क्योंकि इस संबन्ध में पहले पंचाट को क्रियान्वित करने सम्बन्धी अन्तिम तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है और किस तारीख को किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो अनुमानतः किस तारीख तक निर्णय किया जायेगा ताकि इन क्षेत्रों के भविष्य सम्बन्धी अनिश्चितता समाप्त की जा सके?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) फाजिल्का अबोहर क्षेत्र के हस्तांतरण के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29 जनवरी, 1970 में समाहित है। उसमें कहा गया था कि कथित क्षेत्र का हस्तांतरण पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमा के संमज्जन के लिए अन्य दावों तथा प्रतिदावों पर विचार करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले आयोग की सिफारिशों पर हस्तांतरण का निर्णय किए जाने के साथ ही किया जायगा। आयोग की नियुक्ति के प्रश्न समेत प्रेस विज्ञप्ति से उत्पन्न विभिन्न मामलों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नैनादेवी स्थित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (पी० सी० ओ०) को स्थानान्तरित करना

2290. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक तार प्राधिकारियों को नैनादेवी स्थित सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र को धर्मशाला टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन में स्थानांतरित करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है क्योंकि नैनादेवी हिमाचल प्रदेश में स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) (क) जी हां।

(ख) नैनादेवी का सार्वजनिक टेलीफोन घर हिमाचल प्रदेश में है जोकि पंजाब राज्य की सीमा के बिल्कुल पास है। यह नांगल टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है जो कि पंजाब राज्य में है। जो लाइनें इस सार्वजनिक टेलीफोन घर को उसके मूल एक्सचेंज नांगल से जोड़ती हैं, वे भी ज्यादातर पंजाब क्षेत्र में पड़ती हैं। इन बातों पर विचार करते हुए इस सार्वजिनिक टेलीफोन घर के उचित रख-रखाव और प्रचालन पर निगरानी रखने के लिए इसे पटियाला इंजीनियरिंग डिवीजन के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है।

लद्राऊर, हिमाचल प्रदेश में एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

2291. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के झरिलौग पंचायत में लद्राऊर पर समानांतर तारों के युग्म पर एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की मंजूरी देने तथा उसे स्थापित करने के बारे में कोई अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर प्राधिकारियों द्वारा क्या निर्णय किया गया है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच हो रही है और निर्णय लेना अभी बाकी है।

अखबारी कागज के मामले में चोर बाजारी संबंधी शिकायतें

2292. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के उन मुद्रकों तथा प्रकाशकों के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को 'अखबारी कागज' के सम्बन्ध में चोर-बाजारी करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति के हतोत्साहित करने के बारे में सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है और क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) उन समाचार पत्रों आदि, जिनके विरुद्ध अखबारी कागज के दुरुपयोग की शिकायतें मिलीं और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई, उसका विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया।देखिए संख्या एल०टी० 9097/75]।

जहां तक आयातित अखबारी कागज का प्रश्न है, आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की सम्बन्धित धारा के अन्तर्गत आयात लाइसेंसों को आयातित सामग्री के आवंटन को अस्वीकार करने तथा उन लोगों, जो आयातित अखबारी कागज के दुरुपयोग के दोषी पाये जाते हैं, के विरुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत जहां जरूरी हो, मुकदमा चलाने की कार्रवाई की जाती है।

अखबारी कागज प्राप्त करने वाले समाचारपत्रों को अखबारी कागज के लिये आवेदन के साथ गत वर्ष में जिस कार्य के लिये अखबारी कागज आवंटित किया गया है उसकी खपत के लिये चार्टर्ड लेखाकार से एक प्रमाण-पत्र देना होता है। नये समाचारपत्रों को अखबारी कागज की जितनी मात्रा के लिये आवेदन किया गया हो, उसके मूल्य के 75 प्रतिशत के लिये अधिसूचित बैंक द्वारा गारन्टी सहित एक बांड भरना पड़ता है और वाण्ड चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रमाणित खपत के संतोषजनक प्रमाण के प्राप्त होने पर ही रिलीज किया जाता है।

अप्रयुक्त लाइसेंसों तथा आशय पत्रों को वापस लेना

2293. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात की जांच करली है कि पुरुषों तथा मशीनरी के रूप में लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं और लाइसेंसों तथा आशय पत्रों का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में कुछ अप्रयुक्त लाइसेंसों तथा आशय पत्रों को वापस ले लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) जी हां। तकनीकी विकास महानिदेशालय की देख-रेख में आने वाले महत्वपूर्ण उद्योगों की 1973 और 1974 की प्रयुक्त क्षमता का प्रतिशत दिखाने वाला एक विवरण अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 9098/75) ये आंकड़े फर्मों द्वारा बताए गए अधिष्ठापित क्षमता और उस समय लाइसेंस प्राप्त के अनुमानों पर आधारित हैं। निरन्तर प्रक्रिया वाले उद्योगों से इतर उद्योगों में खास कर बहुउत्पादीय उद्योगों, पुर्जे जोड़कर मशीनें तैयार करने वाले उद्योग, और उन उद्योगों के लिए जिनकी विशिष्टियों में मांग की कृति में परिवर्तन हो जाने के कारण परिवर्तन करना पड़ता है तथा साधारण तौर पर परिभाषित अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उपलब्ध क्षमता में संशोधन करना पड़ता है के मामलों में उपलब्ध उत्पादन क्षमता की शीघ्रता से परिभाषा निश्चित करने में कुछ कठिनाईयां उपस्थित हो जाती हैं।

(ख) 1973 और 1974 में प्रतिसंह्रत या वापस किए और रद्द किये गए लाइसेंसों की संख्या क्रमशः 21 और 10 है। इन दो वर्षों की अवधि में वापस किए गए, रद्द किए गए अथवा अवधि व्यपगत आशय पत्रों की संख्या क्रमशः 167 और 87 है।

प्रतिसंह्रत लाइसेंसों को रद्द किए गए तथा व्यपगत आशय पत्रों का विवरण "वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज", "इंडियन ट्रेड जनरल" और "जनरल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड", और "मंथली लिस्ट आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज एण्ड लेटर्स आफ इंटेंट" में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

लाइसेंस समिति द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना

2294. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में 19 फरवरी, 1975 के अतारांकित प्रश्न सं० 323 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रस्तावों को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में लाइसेंस समिति का रवैया पिछड़े जिलों में उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी नीति का उल्लंघन करने के बराबर नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार लाइसेंस समिति में किस प्रकार सुधार करने का है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी और भारतीय फर्मों के विस्तार के लिए प्रस्ताव

2295. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्मों को कितने मामलों में लाइसेंसिंग समिति ने विस्तार करने की अनुमति दी है; उन फर्मों तथा उनके प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या ऐसी ही या उसी प्रकार के सामान के लिए भारतीय फर्मों से प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया था; यदि हां, तो भारतीय फर्मों के नाम और उन के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; उन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन वस्तुओं पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) 1972—74 में 51 प्रतिशत या इससे अधिक विदेशी इक्विटी की सहभागिता रखने वाली विदेशी फर्मों की भारतीय सहायक कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों की शाखाओं को 40 आशयपत्र और 31 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए।

समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के विवरण 'वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस,' इम्पोर्ट लाइसेंस और एक्सपोर्ट लाइसेंस "इंडियन ट्रेड जर्नल" जर्नल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड और "मंथली लिस्ट आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस और लेटर्स आफ इंटेंट" में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) 2 फरवरी, 1973 को सरकार द्वारा घोषित मौजूदा औद्योगिक लाइसेंस के अनुसार सरकार विदेशी कम्पनियों से प्राप्त औद्योगिक वेदनों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार करती है। नीति के अनुसार विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियां और बड़े औद्योगिक घराने, अन्य के साथ-साथ कुछ निर्दिष्ट उद्योगों में जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं या जिनकी निर्यात शक्यता यथेष्ठ है भाग ले सकने के पात्र हैं। उद्योग के इन क्षेत्रों में भी विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों और बड़े घरानों से अधिक तरजीह लघु और मझौले उद्यमियों में से यदि हों तो आगे आने वाले उपयुक्त आवेदकों को दी जाती हैं। सामान्यतया, औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों को अस्वीकृत करने के प्रमुख आधार पर्याप्त क्षमता की उपलब्धता या कच्चे माल सम्बन्धी रुकावटें हैं।

चौथी योजना में सी० ओ० बी० लाइसेंसों के लिए प्रस्ताव

2296. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सी ओ बी लाईसेंसों के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए उनमें से कितने प्रस्ताव समय सीमा के अन्तर्गत नहीं प्राप्त हुए थे; आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख और लाइसेंसिंग समिति के निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ख) 26 प्रतिशत से अधिक की विदेशी साम्य पूंजी वाली फर्मों के प्रस्ताव को मंजूरी देते समय विदेशी साम्य पूंजी की मात्रा को कम करने या निर्यात के बारे में कोई शर्त क्यों नहीं लगाई गई; और

(ग) क्या आवेदन पत्रों में तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश करने के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और दोषी पाई गई फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने को निरुत्साहित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) चौथी योजना अवधि में सी०ओ०बी० लाइसेंसों के लिए 1720 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त हुए आवेदनों के विषय में विस्तृत सूचना अलग से नहीं रखी गई है। समय की दृष्टि से विलम्ब से प्राप्त आवेदनों पर भी, विलम्ब से प्रस्तुत करने के तथ्यों को दृष्टिगत रखकर गुणावगुणों पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। 1970–74 में 960 सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी किए गए।

(ख) निर्यात के सम्बन्ध में शर्त ऐसे निर्यातों की व्यवहार्यता और अन्तर्देशीय मांग को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। फिर भी नीति विषयक मामले के अनुसार निर्यात विषयक शर्तों के निर्धारण की जरूरत उन्हीं मामलों में पड़ती है जबकि विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियां और एम०आर० टी०पी० अधिनियम (बड़े घरानों) के अन्तर्गत पंजीकृत और पंजनीय कम्पनियों को उद्योग के उन क्षेत्रों में प्रवेश करने दिया जाए जिनके द्वारा सामान्यतः उनके लिए नहीं खुले हुए हैं। जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विदेशी शेयरधारिता के विलयन सम्बन्धी शर्त केवल उन्हीं विदेशी कम्पनियों के मामले में निर्धारित की जा सकती है जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी 51 प्रतिशत से अधिक है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि लाइसेंसों की अपेक्षा से छूट की अवधियों के दौरान इन क्षमताओं का निर्धारण या तो पहले ही हो चुका है या क्षमता निर्धारण के लिए प्रभावशाली कदम उठा लिए गए हैं। सी०ओ०बी० के मामलों में ऐसे लाइसेंसों के लिए पूर्व शर्त लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सम्बन्धित प्रशासी मंत्रालयों द्वारा आवेदनों में वर्णित तथ्यों के सही गलत की पड़ताल करने के बाद ही सी०ओ०बी० लाइसेंसों की स्वीकृति दी जाती है। यदि किसी आवेदन में वर्णित तथ्य संदेहप्रद हो तो मामले को या तो अस्वीकृत कर दिया जाता है या फिर आगामी जांच पड़ताल के लिए आस्थगित कर दिया जाता है।

आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना का निर्णय

2297. **श्री धामनकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर्थिक अपराधों के मामले में कारगर ढंग से तथा शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्था५**ना** करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कौनसी अग्रेतर कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन : (क) तथा (ख) : मामले पर विचार किया जा रहा है ।

फूलपुर में उर्वरक परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

2298. मौलाना इसहाक सम्भली :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में फूलपुर में सहकारी उर्वरक परियोजना के लिए 1090 लाख डालर का ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की मुख्य शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस में वाणिज्यिक उत्पादन कब से आरंभ होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) ऋण की मुख्य शर्तें ये हैं:—

(1) ऋण पर समय-समय पर न निकाले गए ऋण के मूल धन पर 3/4 प्रतिशत प्रतिवर्ष का वचनबद्धता प्रभार और समय-समय पर निकाली गई तथा बकाया रकम पर 8 प्रतिशत का ब्याज लिया जाएगा ।

(2) ब्याज और दूसरे प्रभार वर्ष में दो बार हर वर्ष 1 जनवरी, और 1 जुलाई को देय होंगे ।

(3) भारत सरकार ने ऋण की गारंटी दी है और इफको भारत सरकार को समय-समय पर निकाली गई और बकाया ऋण की राशि पर सवा दो प्रतिशत गारंटी शुल्क देगा ।

(4) ऋण की वापसी अदायगी पहली जनवरी, 1980 को शुरू होगी और पहली जुलाई, 1990 को समाप्त होगी ।

(ग) परियोजना का हैवी फ्यूल आयल का फीट स्टाक के रूप में उपयोग करके 900 मीटरी टन अमोनिया तैयार करने का इरादा है, जो प्रति दिन 1500 मीटरी टन यूरिया में परिवर्तित किया जाएगा । इस परियोजना का 165.5 करोड़ रुपये का अनुमानित पूंजीगत परिव्यय है । इसके लिए निम्न प्रकार से धन दिया जाना है :—

	(करोड़ रुपये में)
1. विश्व बैंक के विदेशी मुद्रा ऋण के बराबर रुपये	81.75
2. इक्विटी पूंजी में भारत सरकार द्वारा निवेश	36.00
3. सहकारी सोसायटियों और राज्य सरकारों द्वारा एक्विटी निवेश	22.00
4. भारतीय वित्तदायी संस्थाओं से दीर्घकालीन ऋण	17.50
5. भारत सरकार से सबार्डिनेटिड ऋण	8.30
	165.55

इस परियोजना के 31 अक्तूबर, 1978 तक पूरा होने की उम्मीद है । आशा है कि उसके बाद शीघ्र ही व्यापारिक उत्पादन होने लगेगा ।

राष्ट्रपति शासनाधीश राज्यों में चुनाव

2299. **श्री एम० कतामुतु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है और उन के संबंध में की गई उद्घोषणाओं के समाप्त होने की तारीखें कौन-कौन सी हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उन राज्यों में विधान सभा चुनाव कराने के लिए कार्यवाही की है जहां राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने ही वाली है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) गुजरात, उद्घोषणा 10 सितम्बर, 1975 तक विधिमान्य है, उक्त तिथि तक इसके जारी रखने को लोक सभा ने 27 फरवरी, 1975 को तथा राज्य सभा ने 3 मार्च, 1975 को अनुमोदन किया है ।

कलोल और कांडला उर्वरक संयंत्रों का बन्द होना

2300. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कलोल में 64 करोड़ रुपये का उर्वरक समूह, जिस का 8 नवम्बर, 1974 को प्रधान मंत्री ने उद्घाटन किया था, तकनीकी त्रुटियों के कारण, बन्द कर दिया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) संयंत्र बन्द करने के मुख्य कारण क्या हैं और उस के कब तक बन्द रहने की संभावना है;

(ग) क्या इस के कारण अमोनिया संयंत्र जो यूरिया संयंत्र का पोषण करता था बन्द हो गया है;

(घ) क्या कुछ बड़ी समस्याओं के कारण कांडला स्थित 'इफ्कोज' उर्वरक संयंत्र ने भी काम करना बन्द कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस में क्या मुख्य खराबियां हैं और उन के कब तक दूर किये जाने की संभावना हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) कलोल उर्वरक उद्योग के अमोनिया संयंत्र ने 5 नवम्बर, 1974 को अमोनिया का परीक्षण उत्पादन शुरू किया इसे 20 नवम्बर, 1974 तक लगातार चलाया गया । इसे तब रोकना पड़ा, क्योंकि कांडला में यूरिया संयंत्र को विदेश से कुछ महत्वपूर्ण उपस्कर देरी से आने के कारण एक ही समय चलाया नहीं जा सका इसे जनवरी, 1975 में ही आरंम्भ किया गया । यूरिया पहली बार 31 जनवरी, 1975 को तैयार किया गया और इस संयंत्र को एक सीमित अवधि के लिए 60 प्रतिशत की क्षमता पर चलाया गया था । दोनों संयंत्र परीक्षण अवस्था में हैं, जबकि उत्पादन रुक रुक कर होता है । उनके चलाने में अभी तक कोई खास त्रुटि अथवा समस्या नहीं आई है । आशा है नियमित उत्पादन मार्च, 1975 से होने लगेगा ।

(घ) व (ङ) कांडला संयंत्र की दो स्ट्रीमों में से एक को उसकी पूर्ण क्षमता पर सफलतापूर्वक परीक्षण के तौर पर चलाया गया था । इस यूनिट में 28 फरवरी, 1975 तक 15,848 मीटरी टन एन० पी० के उर्वरक तैयार किये गये हैं । इस संयंत्र की दूसरी स्ट्रीम को मार्च, 1975 में फास्फोरिक एसिड का एक और परेषण आ जाने पर चलाया जाएगा । फास्फोरिक एसिड की कमी की वजह से क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है । फास्फोरिक एसिड बाहर से आयात करना होता है और वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तुरन्त उपलब्ध नहीं है । फास्फोरिक एसिड की सप्लाई अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जारी है ।

रेलगाड़ी में स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र के साथ के डिब्बे में यात्रा करने वाले व्यक्ति

2301. **श्री मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो रेल गाड़ी में उस डिब्बे के साथ के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे जिस में श्री मिश्र को दानापुर अस्पताल में ले जाया जा रहा था; और

(ख) क्या वे सदाशयी यात्री थे ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उन व्यक्तियों के नामों का कोई प्रथक रिकार्ड नहीं रखा गया था, जिन्होंने 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर से दानापुर तक घायल स्व० रेल मंत्री को ले जाने वाली विशेष रेलगाड़ी से यात्रा की थी ।

पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर से पाकिस्तान को चोरी छिपे सीमेंट ले जाया जाना

2302. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचार मिले हैं कि पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर के सीमावर्ती क्षत्रों से पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर सीमेंट चोरी छिपे ले जाया जाता है;

(ख) क्या पाकिस्तान इस प्रकार चोरी छिपे लाये गये सीमेंट का उपयोग सीमावर्ती क्षेत्रों में बंकर बनाने के लिये कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने पाकिस्तान को सीमेंट की तस्करी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार इस संबंध में आवश्यक सतर्कता बरत रही है ।

कर्नाटक में रेशम के कारखाने (फिलेचर)

2303. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **उद्योग और नागरिक** पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य ने केन्द्रीय सरकार से रेशम उत्पादकों को 1.5 करोड़ रु० की राशि का ऋण शीघ्र देने का अनुरोध किया है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को इस बात की भी अनुमति दी गई है कि राज्य के रेशम कारखानों को राज्य सरकार अपने नियत्रण में ले लेवे और उन्हें रेशम उद्योग विकास निगम के अन्तर्गत चलावे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं । किन्तु सरकार को कर्नाटक राज्य में रेशम उद्योग का सघन विकास करने के लिए चालू की गई कतिपय योजनाओं में सहायता करने के लिए कर्नाटक के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके विषय में जांच की जा रही है । इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(1) द्रुत कार्यक्रम जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 35 लाख किलोग्राम कच्चे रेशम का उत्पादन किया जायेगा,

(2) केवल बाइवोलटाइन हाइब्रिड सेमिग्स तैयार करने के लिए नये गोदामों की स्थापना करना और बाइवोल्टाइन गति का प्रयोग प्रारंभ करना जिसके परिणामस्वरूप बाइवोल्टाइन रेशम का अधिक उत्पादन हो सकेगा,

(3) कीमतों का स्थिरीकरण करने के लिए स्टेट मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन को 2 करोड़ रुपए का ऋण दने की योजना बनाना ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारी चीनी कारखानों के लिये राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा ऋण दिया जाना

2304. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने सहकारी चीनी कारखानों की शेयर पूंजी में और अधिक धनराशि का योग देने के लिये राज्य सरकार को ऋण दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये पंजाब सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1974-75 में, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत उपलब्ध की गई धनराशि में से राज्य सरकारों को ऋण सहायता दी है, ताकि वे अब तक प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर विचार करने के बाद 7 नई सहकारी चीनी मिलों को अतिरिक्त अंशपूंजी अंशदान दे सकें ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में पंजाब सरकार को उक्त प्रयोजन के लिए कोई वित्तीय सहायता मंजूर नहीं की गई है, क्योंकि इस बारे में निगम को उनसे अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Assistance to States for Modernization of Police Forces

2306. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister for **Home Affairs** be pleased to state: the amount of assistance provided by Government to different States for modernization of their police forces, State-wise, during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): A statement showing the amount of Central financial assistance provided to the different States for modernization of their police forces during 1971-72 to 1973-74 is appended.

Statement

S.No.	Name of the State	Amount of Central financial assistance given during 1971-72 to 1973-74.
1	2	3
		(Rs. in lakhs)
1.	Andhra Pradesh	128.67
2.	Assam	119.68
3.	Bihar	98.53
4.	Gujarat	66.42
5.	Haryana	60.70
6.	Himachal Pradesh	45.98
7.	Jammu & Kashmir	91.25
8.	Kerala	129.25
9.	Madhya Pradesh	140.63

1	2	3
10. Maharashtra		106.65
11. Manipur		11.25
12. Meghalaya		13.00
13. Karnataka		60.76
14. Nagaland		4.00
15. Orissa		129.99
16. Punjab		71.00
17. Rajasthan		151.00
18. Tamil Nadu		176.75
19. Tripura		24.25
20. Uttar Pradesh		141.00
21. West Bengal		113.14

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कोयला खनन प्राधिकरण के साथ मिलाना

2307. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कोयला खनन प्राधिकरण के साथ मिलाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या इस मामले में बिहार राज्य सरकार के मत पर भी विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा सस्ते स्टेण्डर्ड कपड़े की सप्लाई

2308. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का खुदरा दुकानों का जाल बिछा कर देश में सस्ते स्टैण्डर्ड कपड़े की सप्लाई करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों की पहले से ही खुदरा कपड़ा बेचने की 252 दुकानें थीं जो इन मिलों द्वारा निर्मित नियन्त्रित कपड़ों और कपड़े की अन्य किस्मों को बेचती थी। इसके अतिरिक्त, निगम का इन मिलों द्वारा तैयार किये गये कपड़े का वितरण करने के लिए अनेकों खुदरा दुकानें खोलने का प्रस्ताव है। दिल्ली में इस प्रकार की तीन दुकानें पहले ही खोल दी गई हैं।

मैसर्स मारुति लिमिटेड में डा० भट्ट को सौंपा गया कार्य

2309. **श्री मधु दंडवते** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के डा० भट्ट को मैसर्स मारुति लिमिटेड में कुछ कार्य सौंपा गया है ?

(ख) यदि हां तो यह कार्य कब से सौंपा गया है और यह कार्य किस प्रकार का है; और

(ग) यदि नहीं, तो मैसर्स लिमिटेड में उनके बार-बार जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वैज्ञानिक— श्री ए० के० भट्ट के कथनानुसार वह केवल एक बार दिनांक 20 अक्तूबर 1974 रविवार को मैसर्स मारुति हैवी विहिकिल्स (प्रा०) लिमिटेड गया था। श्री भट्ट, फर्म के निदेशक की प्रार्थना पर एक क्रियात्मक प्रदर्शन देखने व्यक्तिगत हैसियत से गये थे।

इस्पात संयंत्रों तथा उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई के लिए बनायी गयी समिति का प्रतिवेदन

2310. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए, कि इस्पात संयंत्रों तथा अन्य प्रमुख उपभोक्ताओं को उपयुक्त कोयले की सप्लाई क्यों नहीं हो सकी, बनायी गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पांचवीं और छठवीं योजना अवधियों में इस्पात कारखानों के कोयला पूर्ति के कार्यक्रमों पर पुनर्विचार के लिए गठित समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

इस्पात ढालने के नए एकक

2311. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इस्पात ढालने के नए एककों के लिए अनुमति न देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) उपयोग के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए सरकार इस अवस्था में सामान्य ढली हुई वस्तुओं की क्षमता की स्थापना करने के लिये और अधिक विशेष निवेष करना अनुपयुक्त समझती है।

(ख) पर्याप्त क्षमता के लिये पहले ही लाइसेंस दिया गया है और अधिष्ठापित की जा चुकी है।

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कोयला खनिकों से की गई कटौती

2312. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतनों से की गयी करोड़ों रुपये की कटौती के लिए कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा पृथक लेखा बही न रख पाने के कारण कोयला खनिकों में बहुत कटुता पैदा हो गयी है;

(ख) क्या इस समय दोनों कम्पनियां अपने पांच लाख नए कर्मचारियों के वेतनों से उनके परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की वृद्धि में से 50 प्रतिशत कटौती कर रही है; और

(ग) क्या सरकार कोयला खानों के कर्मचारियों को यह बताने के लिए कार्यवाही करेगी कि उनकी परिलब्धियों में से कितनी कटौती कर उनके खातों में जमा की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय उप मंत्री के (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) अतिरिक्त परिलब्धियां अनिवार्य जमा (केन्द्रीय तथा स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारी) योजना 1974, तथा बहीखाते व वार्षिक लेखा विवरण रखने संबंधी योजनाएं, जो वित्त मंत्रालय द्वारा नवम्बर, 1974 में जारी की गयी थीं, कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड तथा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

Privy Purses to Successors of Princes

2313. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the successors of the several princes are still being given privy purses in spite of the abolition of privy purses ; and

(b) if so, the names of the successors of such princes and the facts regarding the privy purses paid to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) No' Sir.

(b) Does not arise.

वर्ष 1974 में कागज का उत्पादन

2314. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज का उत्पादन करने वाले बहुत से एककों के उत्पादन नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत निर्धारित मात्रा में उत्पादन नहीं किया ?

(ख) वर्ष 1974 में कागज के उत्पादन सम्बन्धी मुख्य प्रवृत्तियां क्या थीं;

(ग) कमी को पूरा करने और कागज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं, और

(घ) विकास परिषद् की कागज उद्योग विषयक संयुक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) से (घ) कागज मिलें बहुत कुछ कागज (उत्पादन पर नियंत्रण) आदेश 1974 जो 1 अगस्त, 1974 से प्रभावी हैं, के अन्तर्गत विहित छपाई को सफेद कागज के उत्पादन के नमूने पर दृढ़ रही है। 1 अगस्त, 1974 में 31 दिसम्बर, 1974 की अवधि में मिलों में छपाई के सफेद कागज के उत्पादन का प्रतिशत आदेश में उल्लिखित के भीतर ही अर्थात् 28.6 प्रतिशत था जबकि आदेश में यह 30 प्रतिशत तक है। कतिपय मिलों में उत्पादन नमूने पर दृढ़ रहने में तकनीकी सीमाओं के होते हुए भी जिसके परिणामस्वरूप आदेश के खण्ड 6 के अधीन छूट देनी पड़ी थी। यह उत्पादन संतोषजनक ही समझा जाता है। फिर भी उन मिलों में जिनमें छपाई के सफेद कागज का प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से काफी कम था, कारण बताने का निदेश दिया गया है कि उनके विरुद्ध आदेश के अधीन कार्रवाई क्यों न की जाए। अन्य मिलों को जिनमें कमी का निर्धारित प्रतिशत बहुत थोड़ा था उसे भविष्य में इस कमी को पूरा करने का निदेश दिया गया था। कागज के बारे में 5 फरवरी, 1975 को हुई विकास परिषद की बैठक में छपाई के सफेद कागज के उत्पादन और विशेष कर उत्पादन नियन्त्रण आदेश के अधीन निर्धारित प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता पर पुन. बल दिया गया था परिषद द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

उड़ीसा में औद्योगिक परियोजनाएं

2316. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री उड़ीसा में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के बारे में 27 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 2209 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा 1974 के दौरान और अब तक उड़ीसा में जिलावार किन-किन विशेष औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) क्या प्रत्येक एकक को परियोजनाओं की स्थापना के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त बताए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) उड़ीसा में परियोजनाए स्थापित करने के लिए 1974 में 12 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए। ये लाइसेंस मयूरगंज, कोरापुट, कटक, गंजम, धनकनाल और केन्जोर जिला में स्थापित किए जाने के लिए थे। लाइसेंस खाद्य परिष्करण उद्योग, कपड़ा रसायन, अखाद्य तेल और कागज की बनी वस्तुओं सहित कागज एवं लुग्दी उद्योगों से संबंधित थे।

(ख) और (ग) लाइसेंसधारियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी होने की तिथि से परियोजना पूरी करने तथा उत्पादन चालू करने के लिए 2 वर्ष का समय दिया जाता है। इस दो वर्ष की अवधि में अथवा विशेष मामलों में सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि में उद्यमकर्ता को 'रजिस्ट्रेशन एण्ड लाइसेंसिंग आफ इण्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग रूल' में बनाए अनुसार परियोजना स्थापित करने तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने एवं लाइसेंस में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक होता है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये विदेश भेजना

2317. **श्री अर्जुन सेठी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भारत सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, विमुक्त जातियों, खाना बदोश तथा अर्द्ध खाना बदोश जातियों के और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के अधीन विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष उक्त वर्गों के 21 छात्रों को छात्रवृत्ति दे रही है। योजना को 1975-76 के दौरान तथा बाद में जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) छात्रवृत्तियां पुरस्कृत करने के लिये आवेदन पत्र भारत के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं और पर्याप्त रूप से प्रचार के लिए विज्ञापनों की प्रतियां इन वर्गों के कल्याण के लिए कार्यरत संगठनों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी भेजी जाती है। उनका चयन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सहायता से प्रति वर्ष किया जाता है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

2318. **श्री निम्बालकर**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र सरकार द्वारा परिकल्पित की गई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अन्य राज्यों से इसे लागू करने के लिये सिफारिश करने का है;

(ख) क्या सरकार इस योजना की संभाव्यता से सन्तुष्ट है; और

(ग) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। रोजगार गारंटी स्कीम, जो एक राज्य योजना है और जिसे महाराष्ट्र की राज्य योजना में शामिल किया गया है, को अन्य राज्यों में भी आरम्भ करने के लिए योजना आयोग द्वारा सिफारिश करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार की रोजगार गारंटी स्कीम का लक्ष्य ऐसे रोजगार अवसर उत्पन्न करने का है, जिनके परिणामस्वरूप उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण होगा। इस अर्थ में, महाराष्ट्र की इस योजना के मूल ढांचे को योजना आयोग ने स्वीकार कर दिया है।

Loss suffered by Super Bazar, Delhi

2319. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Industry & Civil Supplies** be pleased to state:

(a) whether Super Bazar in Delhi had suffered a loss of Rs. 66,41,000 by 30th Junuary, 1970 and the entire share capital of Rs. 44,35,000 had been wiped out as a result thereof;

(b) Whether the Super Bazar got Rs. 16 lakhs as subsidy from Government in addition to the loan capital and if so, the break-up thereof with dates ; and

(c) the present financial position of the Super Bazar and whether it has earned any profit after 1970, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry & Civil Supplies (Shri A.C. George) : (a) At the end of the Cooperative Year ending the 30th June, 1970, the accumulated loss of the Cooperative Store Ltd. (Super Bazar), New Delhi, incurred during the period from 1966-67 to 1969-70, amounted to Rs. 66.67 lakhs, while its total share capital was Rs. 44.38 lakhs.

(b) The Super Bazar received a subsidy of Rs. 8.22 lakhs, for its various schemes, during the period from 1966-67 to 1973-74. The break-up is given below :

1966-67	Rs. 3.59 lakhs
1967-68	Rs. 1.66 lakhs
1968-69	Rs. 0.60 lakhs
1971-72	Rs. 1.19 lakhs
1972-73	Rs. 0.18 lakhs
1973-74	Rs. 1.00 lakhs

(c) The Super Bazar, for the first time, earned a net profit of about Rs. 51,000 in the cooperative year 1972-73. In respect of the cooperative year 1973-74, the net profit is estimated to be about Rs. 10 lakhs, on the basis of provisional profit and loss account. The exact amount of net profit earned during 1973-74 will, however, be known after audit is duly completed.

Industrial Target in Fifth Plan

2320. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) Whether there is any likelihood of achieving the industrial target during the Fifth Five Year Plan in view of the pace of power generation until the end of 1974 ; and

(b) if not, the steps being taken or already taken to achieve the target ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya): (a) and (b) As the growth of industrial production depends on a number of factors such as the availability of raw materials, labour relations, transport facilities etc., besides availability of power, it is too early to make any precise estimate regarding achievement of Vth Plan industrial targets ; highest priority is being given for increasing power generation side by side with increasing agricultural and industrial production.

उर्वरक संयंत्रों के लिए विश्व बैंक ऋण

2322. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

श्री वयालार रवि :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार को विश्व बैंक से 10 करोड़ 90 लाख डालर के ऋण का आवश्वासन मिला है;

(ख) यदि हां, तो यह ऋण किन-किन संयंत्रों के लिये उपयोग में लाया जायेगा; **और**

(ग) इस ऋण से गुजरात के कितने उर्वरक संयंत्रों को सहायता दी जायेगी ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट फूलपुर में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्र के लिए।

(ग) कोई नहीं।

औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

2323. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1973 अर्थात् सेक्रेटेरिएट फार इण्डस्ट्रियल एप्रूवल की स्थापना के बाद से कितने औद्योगिक लाइसेंस अनुमोदित किए गए हैं; सम्बन्धित फर्मों के नाम, प्रस्ताव और क्षमताएं क्या हैं;

(ख) इस अवधि में कितने औद्योगिक लाइसेंस अस्वीकृत किए गए और सम्बद्ध फर्मों के नाम और प्रस्ताव अस्वीकृत के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस प्रकार के सुझाव मिले हैं कि भारतीय फर्मों को लाइसेंस समिति के समक्ष उसकी बैठकों में अपने प्रस्तावों के सभी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए अनुमति दी जाए ताकि प्रक्रिया विलम्ब को दूर किया जा सके; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) और (ख) नवम्बर 1973 से दिसम्बर 1974 तक 1246 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और 10 औद्योगिक लाइसेंस या तो प्रतिसंहृत किए जा चुके हैं या वापस लौटा दिए गए हैं अथवा रद्द कर दिए हैं। जारी किए गए या प्रतिसंहृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के विवरण "वाकली बुर्लोटन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसज़, इम्पोर्ट लाइसेंस एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसज" और "मन्थली लिस्ट आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसज/लैटर्स आफ इन्टेंट" में प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है। यदि लाइसेंसधारी बिना पर्याप्त कारण और उसके लिए निर्दिष्ट समय में जारी किए गए लाइसेंसों के बारे में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए कारगर कदम उठाने में असफल रहता है तो औद्योगिक लाइसेंस प्रति संहृत किया जा सकता है।

(ग) और (घ) सरकार को लाइसेंस समिति के विचारार्थ विषयों के साथ आवेदकों को संबद्ध करने के सुझाव सहित पहले अनेक सुझाव मिले हैं। फिर भी, लाइसेंस समिति की बैठकों में हुई चर्चाएं की गोपनीय किस्म की होने के कारण आवेदकों को समिति स्तर पर प्रत्यक्षत: सम्बद्ध करना संभव नहीं पाया गया है। यह होते हुए भी इन मामलों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय और तकनीकी प्राधिकरण आवेदकों को अपने प्रस्तावों के पक्ष-विपक्षों का स्पष्टीकरण करने का मौका देते हैं।

जे० के० ग्रुप ग्राफ मिल्स द्वारा रायगढ़ (उड़ीसा) में एक तापीय संयंत्र की स्थापना

2324. **श्री ग्रर्जुन सेठी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे०के० ग्रुप ग्राफ मिल्स ने रायगढ़ (उड़ीसा) में गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्रन्तर्गत एक रक्षित तापीय संयंत्र की स्थापना के लिये ग्रावेदन किया है ग्रौर राज्य सरकार ने केन्द्र से इस ग्राशय की सिफारिश की है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

रोहनी में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाना ग्रौर एक तारघर खोलना

2325. **श्री शरद् यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विहार के पिछड़े जिले संथल परगना में रोहनी में एक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने ग्रौर एक तारघर खोलने की सरकार की कोई योजना है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) ग्रौर (ख) रोहिनी में एक सार्वजनिक टेलीफोन घर ग्रौर तारघर खोलने के प्रस्ताव की विभाग ने पहले ही जांच कर ली है । इस प्रस्ताव में घाटा ग्राता है उसे विभाग की उदार नीति के ग्रधीन भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । तथापि, ये सुविधाएं किराया ग्रौर गारन्टी के ग्राधार पर दी जा सकती हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या तथा ग्रर्थ-व्यवस्था के विकास के बीच परस्पर सम्बन्ध

2326. **श्री शरद् यादव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना ग्रायोग ने पहली 4 पंचवर्षीय योजनाग्रों के दौरान देश में विश्व विद्यालयों एवम् प्रौद्योगिकी संस्थानों के विभिन्न इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विभागों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या तथा ग्रर्थ-व्यवस्था के विकास के बीच परस्पर कोई संबन्ध स्थापित करने का कोई प्रयास किया था ; ग्रौर

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में बिजली की कमी

2327. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में इस समय बिजली की कितनी कमी है ;

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ग) इस कमी की पूर्ति के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित सूचना को दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) देश में विद्युत की कमी का मुख्य कारण बढ़ती हुई लोड मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता की वृद्धियों में कमी होना है । देश के विभिन्न भागों में मानसून के अभाव के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है ।

(ग) विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) वर्तमान ताप-केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना ।

(ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना ।

(iii) पड़ौसी राज्यों/प्रणालियों से राहत का प्रबन्ध करना ।

(iv) वर्गीकरण प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध ऊर्जा के युक्तियुक्त वितरण की प्रणाली को लागू करना और दिखावटी कामों के लिए विद्युत के उपयोग पर रोक लगाना, ताकि इस प्रकार बचाई गई विद्युत को कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सप्लाई किया जा सके ।

विवरण

(सभी आंकड़े जी० डब्ल्यु० एच०/दिन में)

क्षेत्र/राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	7.50	4.60	2.90
हिमाचल प्रदेश	1.06	0.82	0.24
जम्मू और काश्मीर	1.30	0.74	0.56
पंजाब	8.05	4.65	3.40
राजस्थान	7.40	6.84	0.56
उत्तर प्रदेश	26.00	22.26	3.74
दिल्ली .	5.00	4.60	0.40
चंडीगढ़ .	0.60	0.40	0.20
पूर्वी क्षेत्र .			
पश्चिम बंगाल.	12.50	11.00	1.50
उड़ीसा . .	5.50	4.60	0.90
पश्चिमी क्षेत्र			
मध्य प्रदेश . .	10.60	10.15	0.45
महाराष्ट्र	33.50	27.50	6.00

क्षेत्र/राज्य	ग्रावश्यकता	उपलब्धता	कमी
गोवा .	0.66	0.44	0.22
दक्षिणी क्षेत्र			
ग्रांध्र प्रदेश	13.25	10.04	3.21
कार्नाटक .	18.27	14.13	4.14
तमिलनाडु	24.18	18.20	5.98
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1.90	1.75	0.15

देश में जनसंख्या में वृद्धि की दर

2328. **श्री शंकरराव सावंत :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) देश में वर्ष 1965 तथा 1974 में जनसंख्या में वृद्धि की दर क्या-क्या रही ;

(ख) उक्त ग्रवधि में भारत में प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की दर क्या रही ; ग्रौर

(ग) देश में गरीबी समाप्त करने के संदर्भ में उक्त ग्रांकड़े क्या संकेत देते हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1965 तथा 1974 में जनसंख्या में वृद्धि को दर क्रमश: 2.2 प्रतिशत तथा 2.07 प्रतिशत होने का ग्रनुमान है । 1965 से 1974 की ग्रवधि के दौरान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि की दर का ग्रनुमान 2.18 प्रतिशत लगाया गया है ।

(ख) 1965-66 से 1973-74 की ग्रवधि के दौरान प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय उत्पादन (कु० रा० उ०) में वृद्धि की दर प्रति वर्ष 1.2 प्रतिशत होने का ग्रनुमान है । 1974-75 में कुल राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि का अनुमान ग्रभी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रश्न के संबन्ध में इन ग्रांकड़ों से निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

दिल्ली के लिये वर्ष 1975-76 के लिए वार्षिक योजना

2329. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **योजना** मंत्री राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के बारे में 19 फरवरी, 1975 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 258 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के लिए वर्ष 1975-76 के लिए वार्षिक योजना की मुख्य बातें क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई दिल्ली की वार्षिक योजना, 1975-76 की मुख्य विशेषताएं दर्शाते हुए एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 9099/75] ।

ग्रन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के सम्बन्ध में शिकायतें

2330. **श्री एच० के० एल० भगत :** क्या **सूचना ग्रौर प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) समारोह को फिल्मों के शो के टिकटों की बिक्री में चोरबाजारी, आदि के संबन्ध में कुछ आलोचना सरकार के ध्यान में लाई गई थी। परन्तु सरकार की गई आलोचना से सहमत नहीं है ।

श्री जयप्रकाश नारायण के लिये अंगरक्षक कारें

2331. **श्री वरके जार्ज :**

श्री एम० एम० जोसफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 1975 के एक अंग्रेजी समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार, बिहार पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से श्री जयप्रकाश नारायण के साथ अंगरक्षक कारें भेजने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है ;

(ख) क्या ऐसा केन्द्र सरकार के निदेशों के अनुसार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रखी जाएगी।

बेरोजगार इंजीनियरों के लिये विशेष रोजगार संवर्धन कार्यक्रम

2332. **श्री वरके जार्ज :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का बेरोजगार इंजीनियरों की सहायता के लिये पांचवीं योजना के दौरान कोई विशेष रोजगार संवर्धन कार्यक्रम बनाने का विचार है ;

(ख) क्या आयोग ने राज्यों को इस बारे में किन्हीं विशेष मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो ये मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है और इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकांश रोजगार अवसरों का सर्जन अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से होगा। इंजीनियरों सहित शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को स्व-नियोजन के अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम, अर्थात् रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम, 1974-75 भी प्रारम्भ किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रतिलिपि अनुबन्ध 'क' के रूप में प्रस्तुत है । [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 9100/75] संलग्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं की विस्तार से चर्चा की गई है ।

स्वतंत्र फ्रीलान्स फिल्म निर्माताओं को टेलीविजन फ़िल्म बनाने की अनुमति

2334. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पर प्रदर्शन हेतु स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं को टी०वी० फिल्में बनाने की अनुमति देने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा सक्रिय रूप से न किए जाने के क्या कारण है ; ताकि टेलीविजन कार्यक्रमों की किस्म और विषयवस्तु में सुधार हो जाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए तथा व्यावसायिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए टेलीविजन केन्द्रों तथा उपग्रह संचार टेलीविजन प्रयोग दोनों के लिये टेलीविजन फिल्में बनाने के लिये आकाशवाणी द्वारा बाहर के प्रोड्यूसर बुलाये जा रहे हैं ।

वैस्टर्न घाट के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन

2335. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैस्टर्न घाट क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, टीटागढ़ (पश्चिम बंगाल) की उपादेयता की जांच

2336. **श्री रोबिन सेन : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी के टीटागढ़ (पश्चिम बंगाल) एकक की उपादेयता के बारे में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का उस पर क्या निर्णय है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) जांच समिति की रिपोर्ट से यह पता चला है कि :—

(1) उपक्रम या उत्पादन देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ; और

(2) एकक को पुनः चालू करने के लिये नये वित्त की आवश्यकता होगी जिसमें लाभ की कोई आशा नहीं है।

(ग) जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने मै० ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के टीटागढ़ एकक का प्रबन्ध अधिग्रहण न करने का निश्चय किया है।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के एककों का कार्य

2337. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय के नियंत्रणाधीन चल रहे सरकारी क्षेत्र के एककों में से प्रत्येक का कार्य चालू वर्ष में कैसा रहा है और पहले वर्ष की तुलना में यह कैसा है;

(ख) क्या क्षमता के उपयोग में सुधार हुआ है अथवा गिरावट आई है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये एककों के कार्यकरण में सुधार किया गया है; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया / देखिए संख्या एल० टी०-9101/75]।

(ख) जी, हां। जैसा संलग्न विवरण से पता चलेगा, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि० और साम्भर साल्ट लि० को छोड़कर सभी एककों के उत्पादन कार्य में सामान्य सुधार हुआ है। चूंकि तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि० लगभग पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है इसलिए उत्पादन में और आगे वृद्धि करना संभव नहीं है। किन्तु, कार्य-वार इस एकक में अच्छा कार्य हो रहा है। साम्भर साल्ट लि० के मामले में, नमक का उत्पादन मौसमी है और उत्पादन वर्षा की मात्रा और अन्य बातों पर निर्भर करता है। इसलिए उपक्रम की कोई अधिष्ठापित क्षमता नहीं है।

(ग) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की निरन्तर समीक्षा की जाती है। इनके कार्य में और आगे सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में प्रबन्ध का पुनर्गठन और व्यवसायिकीकरण, उत्पाद-मिश्र का मानकीकरण और विविधीकरण, डिजाइन क्षमता को मजबूत बनाना, वस्तु सूचियों पर और अच्छा नियंत्रण जिससे इष्टतम उपयोग हेतु दुर्लभ कच्चे माल का अन्तर-संयंत्र स्थानांतरण हो सके, और संयंत्र में निवारक रखरखाव पर अधिक महत्व देना सम्मिलित हैं। उत्पादन करने में होने वाली अड़चनों का पता लगाने के लिए संयंत्र स्तर पर विस्तृत अध्ययन भी किए जाते हैं। भारी उद्योग विभाग में (1) संसाधनों का आवंटन (2) कार्य-संचालन सम्बन्धी योजनाएं और तालिकाएं (3) नई परियोजनाओं और चालू योजनाओं की प्रगति का मानीटरिंग (4) जानकारी का विश्लेषण (5) मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टों के विश्लेषण के जरिए (क) नियंत्रण और (ख) योजना के कार्यों को अमल में लाने के लिए सहायता करने और मूल्यांकन करने के सम्बन्ध में शीघ्रता से निर्णय लेने के लिए एक सूचना प्रणाली स्थापित की गई है।

कोयले के लिए दोहरा मूल्य ढांचा

2338. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :

श्री गजाधर माझी :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में कोयले का दोहरा मूल्य-ढांचा लागू करने की योजना पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री, (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) कोयला मूल्य सम्बन्धी नीति पर सरकार विचार कर रही है तथा इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लिए जाने की आशा है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा

2339. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** :

श्री वी० मायावन :

क्या **प्रधान मंत्री** संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षा करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के अनुरोध के बारे में 18 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5108 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इस योजना पर विचार कर लिया है और अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) संघ लोक सेवा आयोग ने शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों (डिसीपिलिनों) में राष्ट्रीय प्रतिभा परीक्षाएं ली जाने के लिए कुछ सामान्य प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। अभी तक किसी भी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अखबारी कागज के वितरण में की गई कटौती को समाप्त किया जाना

2340. **श्री धामनका** :

श्री विश्वनाथ राव :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के पास लगभग 6 करोड़ रुपये के मूल्य के अखबारी कागज के जमा होने तथा पूरे देश में समाचारपत्रों द्वारा की जा रही अखबारी कागज की भारी मांग के बावजूद अखबारी कागज के वितरण में की गई कटौती को समाप्त न करने के क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1975 में अखबारी कागज की कुल कितनी आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या देशी उत्पादन और आयातित अखबारी कागज से मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की जा चुकी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जबकि फिलहाल अखबारी कागज की सप्लाई स्थिति में सुधार हुआ है, यह नहीं कहा जा सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट सहित अखबारी कागज की स्थिति पूर्णतया सुगम हो गई है। स्थिति का सतत पुनरीक्षण किया जाता है। सुधरी हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 1974-75 के पिछले भाग के दौरान, 40 प्रतिशत की कटौती घटा कर 30 प्रतिशत कर दी गई थी। हाल ही में यह फैसला किया गया था कि दैनिक समाचारपत्रों

की 7 प्रतिशत तक की हकदारी जो उन्हें छपाई कागज के रूप में दी जानी थी, अब अखबारी कागज में दी जायेगी। समाचारपत्रों को 1974-75 की उनकी हकदारी के अलावा किन्तु 1972-73 की उनकी हकदारी के अन्दर-अन्दर, नेपा के छोटे-बड़े आकार के अखबारी कागज के आवंटन की भी व्यवस्था की गई है। भावी मांगों को तुरन्त पूरा करने के लिए राज्य व्यापार निगम बफर स्टाफ के रूप में कुछ स्टाक सुरक्षित रखती है।

(ख) 1972-73 में जब कोई कटौती नहीं थी खपत के आधार पर मांग 2 लाख 30 हजार टन होगी। यदि 1972-73 की खपत के साथ 5 प्रतिशत की वृद्धि और जोड़ी जाये और नये समाचारपत्रों के लिये प्रावधान रखा जाये, तो मांग 2 लाख 67 हजार टन होगी। तथापि, पृष्ठों की संख्या और सर्कुलेशन में कमी और अखबारी कागज के बढ़े हुए मूल्य जैसी बातों के कारण मांग में कमी हो सकती है।

(ग) अखबारी कागज के आयात के लिए अनुबन्ध करने के लिये समाचारपत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। देशी उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है।

स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने संबंधी नीति

2341. **श्री धामनकर :**

श्री एस० एन० मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार" देने, सम्बन्धी नीति और समस्त देश में सभी नागरिकों के लिये रोजगार के समान अवसर के मूलभूत अधिकार का समन्वय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो "स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार" देने सम्बन्धी नीति पर विचार करने का क्या लाभ है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची

2342. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों के लिये बहुत से आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1975 को दिल्ली में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची में श्रेणीवार कितने आवेदन-पत्र थे; और

(ग) टेलीफोन कनेक्शन शीघ्रता से देने के लिये सरकार का कौन से अतिरिक्त कदम उठाने का विचार है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज अर्जियों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है:—

ओ०वाई०टी०	25,708
सामान्य	61,332
विशेष	15,638

(ग) उपस्कर और साज-सामान के सीमित उपलब्ध साधनों से टेलीफोन प्रणालियों का विस्तार करने और जितनी जल्दी हो सके और अधिक टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दिल्ली में करीब 50,000 अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है।

तापीय बिजली घरों द्वारा ईंधन तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग कर ईंधन तेल की खपत कम करना

2343. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के तापीय बिजली घरों द्वारा ईंधन तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने से ईंधन तेल की खपत में कमी करने का प्रयोजन कहां तक प्राप्त हुआ है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : कुछ यूनिटों को तेल के स्थान पर कोयले से चलने वाले यूनिटों में बदलने के परिणामस्वरूप, वर्ष 1974 के दौरान लगभग 95,000 टन ईंधन तेल की बचत की गई थी। यह विद्युत बायलरों में होने वाली सामान्य खपत के 33 प्रतिशत के बराबर बैठता है।

कम यूनिटों वाले तापीय संयंत्रों की स्थापना

2344. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उन समस्याओं की जानकारी है, जो अत्यधिक यूनिट रेटिंग वाले तापीय संयंत्र स्थापित करने से पैदा होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत कम यूनिटों वाले अनेक तापीय संयंत्र लगाने पर विचार करेगी?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) वृहत्तर यूनिट आकार के उत्पादन उपस्कर के प्रतिष्ठापन से कई लाभ होते हैं, जैसे प्रतिष्ठापित क्षमता की निम्नतर यूनिट लागत, सामग्रियों की बचत, शीघ्रतापूर्वक निर्माण, कुशल प्रचालकों की संख्या में कमी आदि। दूसरी ओर यूनिट का आकार प्रणाली की अवशोषक क्षमता, प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए अपक्षित कुशलता के उच्चतर स्तरों और यूनिट की उपलब्धता द्वारा नियंत्रित होता है, जिसमें कोयले की किस्म और अन्य प्रचालन स्थितियों को भी ध्यान में रखना होता है। सरकार को इन घटकों की जानकारी है और समय-समय पर यूनिटों के आकार के संबंध में निर्णय लाभ और हानियों के उचित मूल्यांकन के बाद लिए जाते हैं।

वर्ष 1974-75 के दौरान उत्तरी क्षेत्र में विद्युत प्रजनन के लक्ष्य

2345. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 1974-75 के दौरान विद्युत प्रजनन के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने की संभावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं तथा इस दिशा में सरकार का विचार क्या कारगर उपाय करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) उत्तरी क्षेत्र में 1974-75 के लिए जिन परियोजनाओं के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन्हें चालू करने के लिए जोरदार प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

उद्योग तथा व्यापार मंडल संघ द्वारा आयोजित ऊर्जा संबंधी सम्मेलन

2346. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री भागीरथ भंवर :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल ही में उद्योग तथा व्यापार मंडल संघ द्वारा आयोजित ऊर्जा संबंधी सम्मेलन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस में कोयले के मूल्य पुनर्निर्धारित करने के बारे में सर्वसम्मिति थी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा आयोजित सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के दौरान एक सुझाव दिया गया था कि कोयले के मूल्यों का पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए । कोयले के मूल्य में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयला महानों पर कोयला जमा हो जागने के बारे में शिकायतें

2347. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री डी० डी० देसाई :

श्री अनादि चरण दास :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा कोयला मुहानों पर कोयला जमा हो जाने के बारे में कोई शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वहां से कोकिंग कोल की ढुलाई की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) जनवरी, 1975 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास उपलब्ध रेल परिवहन की तुलना में अधिक उत्पादन होने के कारण कोयले के खान महाना स्टाक में वृद्धि हुई थी । इस कोयला स्टाक के प्रेषण के लिए रेलवे के साथ लगातार समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं ।

मैसूर नगर के निकट टायर कारखाना

2348. **श्री के० मालन्ना** :

श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूटर, मोटर साइकिल और मोपेड टायरों के उत्पादन के लिए मैसूर नगर के निकट गैर-सरकारी क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आएगी और उसमें उत्पादन कार्य कब से आरंभ हो जाएगा ।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) मैसूर के समीप स्कूटर, मोटर साइकिल तथा मोपेड के टायर और ट्यूबें व औद्योगिक वी० बैल्टों के बनाने के लिए मैसर्स फाल्कन टायर्स लि० के नाम से निजी क्षेत्र के एक नये एकक का नाम तकनीकी विकास के महा-निदेशालय में दर्ज किया गया है ।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 71.00 लाख रुपए है । एकक में 1975 के अंत तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है ।

बिजली उत्पन्न करने के लिए जल क्षमता का विकास

2349. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बिजली की स्थिति अभी भी संकटपूर्ण है;

(ख) क्या संयंत्रों का उचित रख-रखाव न किये जाने के कारण, उत्पादन क्षमता, से 50 प्रतिशत कम विद्युत् उत्पादन होता है जिससे देश के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जल संसाधनों को देखते हुए बिजली उत्पन्न करने के लिए जल-क्षमता का विकास करने और अन्य प्रकार की ऊर्जा से बिजली सप्लाई बढ़ाने के बारे में विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विभिन्न राज्यों में विद्युत् की कमी है, परन्तु उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के राज्यों पर इस कमी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(ख) और (ग) यद्यपि कुछ ताप विद्युत् केन्द्रों में कम उत्पादन होने के कारण स्थिति और भी बिगड़ी है, परन्तु वर्तमान कमी के मुख्य कारण हैं; उत्पादन क्षमता की वृद्धियों में कमी रहना, बढ़ती हुई लोड मांगें और मानसून का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप जल-विद्युत् परियोजनाओं से कम उत्पादन हुआ है ।

(घ) देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध जल शक्यता को उपयोग में लाने के प्रश्न को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है । भू-तापीय, सौर्य, ज्वारीय आदि अन्य प्रकार की ऊर्जा को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने के भी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम, भारतीय रुई निगम और कपड़ा आयुक्त को एक ही मंत्रालय के अधीन लाना

2350. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम, भारतीय रुई निगम और कपड़ा आयुक्त को एक ही मंत्रालय के अधीन लाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्य) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारी इंजीनियरी उद्योगों को आय

2351. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में, भारी इंजीनियरी उद्योगों को उद्योगवार कुल कितनी आय हुई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : सरकार भारी इंजीनियरी उद्योगों में लगे गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों की आय के आंकड़े नहीं रखती है। फिर भी, वर्ष 1972-73 और 1973-74 की अवधि में भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले भारी इंजीनियरी उद्योगों को हुई प्राप्ति तथा लाभ/हानि दोनों निम्नलिखित तालिका में दी गई है । चूंकि इन एककों के वर्ष 1974-75 के लेखे अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हैं, अतः 1974-75 की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(करोड़ रुपयों में)

एकक	बिक्री से प्राप्ति 1972-73	बिक्री से प्राप्ति 1973-74	(+) लाभ (—) हानि (शुद्ध) 1972-73	(+) लाभ (—) हानि (शुद्ध) 1973-74
1	2	3	4	5
1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	141.40	230.33	(+) 13.25	(+) 27.39
2. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	47.30	48.82	(—) 16.57	(—) 7.30
3. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स	5.45	8.56	(—) 0.86	(—) 0.33
4. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन . .	15.46	20.19	(+) 0.12	(+) 0.25

1	2	3	4	5
5. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	3.76	4.94	(—)0.52	(—)0.32
6. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	उत्पादन शुरू नहीं हुआ	0.48	(—)0.01	(—)0.34
7. जेसप एण्ड कम्पनी	32.10*	28.49	(—)5.43*	(—)4.46
8. ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी .	9.27	11.69	(—)3.57	(—)4.92
9. रिचार्डसन एण्ड क्रुडास**		7.36		(—)0.10
10. ग्रेशम एण्ड क्रेवन . .	1.02	1.07	(—)0.17	(—)0.21
11. मशीन टूल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड .	1.36	2.03	(—)0.29	(—)0.35
12. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	36.99	45.07	(+)0.78	(+)1.96
13. आई एस डब्ल्यू—बर्न .	12.15	14.24	(—)3.99	(—)7.88
14. स्कूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड		उत्पादन शुरू नहीं हुआ		
15. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स .	2.24	2.48	(—)0.05	(+)0.07

*मार्च, 1973 को समाप्त हुए 17 महीनों की अवधि के आंकड़े।

**वर्ष 1972-73 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, क्योंकि रिचार्डसन एंड क्रुडास दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से ही भारत सरकार का उपक्रम बना है ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता की राशि निश्चित करने की कसौटी

2352. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता का नियतन करने के क्या सिद्धान्त हैं; और

(ख) वर्ष 1974-75 में (अब तक) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी सहायता दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पांचवीं योजना के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता के नियतन को संचालित करने वाले सिद्धान्तों पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अभी निणय किया जाना है ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई कार्य प्रणाली के सिलसिले में राज्यों को 1974-75 की केन्द्रीय सहायता ब्लौक ऋणों और ब्लौक अनुदानों के रूप में आवंटित की गई है, जो किन्हीं विशेष स्कीमों/कार्यक्रमों के संदर्भ में नहीं है। केन्द्रीय सहायता और राज्य के अपने संसाधनों को मिलाकर योजना

के लिए कुल संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिसमें से परिव्ययों का नियतन अलग-अलग क्षेत्रों के लिए किया जाता है और इसमें पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। फिर भी वर्ष 1974-75 में खास-खास पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी आवंटित की गई है, ताकि वे इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपने योजना संसाधनों को पूरा कर सकें। इस संबंध में निर्धारित कार्य-पद्धति के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा वास्तव में दी गई केन्द्रीय सहायता 28-2-1975 को निम्न प्रकार से है :—

1974-75 में राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि (28-2-75 को)

(लाख रु० में)

राज्य	सामान्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	पर्वतीय क्षेत्रों की उप-योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	आदिवासी क्षेत्रों की उप-योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	1974-75 में दी गई कुल केन्द्रीय सहायता (कालम 2+3+4)
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	3983.00	—	17.00	4000.00
2. असम	3214.00	—	12.00	3226.00
3. बिहार	5412.00	—	35.00	5447.00
4. गुजरात	2948.00	—	22.00	2970.00
5. हरियाणा	1349.00	—	—	1349.00
6. हिमाचल प्रदेश	1839.00	—	—	1839.00
7. जम्मू व कश्मीर	2596.00	—	—	2596.00
8. कर्नाटक	2934.00	—	1.25	2935.25
9. केरल	3280.00	—	1.25	3281.25
10. मध्य प्रदेश	4708.00	—	57.00	4765.00
11. महाराष्ट्र	4160.00	—	12.00	4172.00
12. मणिपुर	622.00	—	—	622.00
13. मेघालय	698.00	—	—	698.00
14. नागालैंड	583.00	—	—	583.00
15. उड़ीसा	2489.00	—	38.00	2527.00
16. पंजाब	1768.00	—	—	1768.00

1	2	3	4	5
17. राजस्थान	3475.00	—	16.00	3491.00
18. तमिलनाडु	3430.00	—	1.25	3431.25
19. त्रिपुरा	595.00	—	5.00	600.00
20. उत्तर प्रदेश	9916.00	400.00	0.50	10316.50
21. पश्चिम बंगाल	3544.00	100.00	10.00	3654.00
जोड़ . . .	63543.00	500.00	228.25	64271.25

इसके अतिरिक्त, छः सूत्री फार्मूले के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए आंन्ध्र प्रदेश सरकार को अब तक 13,50 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

निकोबार द्वीप समूह में नारियल जटा उद्योग

2353. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या निकोबार द्वीप समूह में बड़ी मात्रा में नारियल जटा का कोई उपयोग न करके उसे व्यर्थ किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन द्वीपों में नारियल जटा उद्योग का विकास करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो इन द्वीपों में नारियल जटा उद्योग का विकास कब तक हो जायेगा?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (ग) कयर बनाने के लिए इस समय निकोबार में उपलब्ध नारियल हस्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन द्वीपों में कयर उद्योग का विकास करने के लिए दो योजनाएं नामतः (1) नारियल हस्क का उपयोग करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्कीम, और (2) कयर कारखानों में प्रदर्शन केन्द्र, जिनके लिए अस्थायी रूप में पूंजी परिव्यय 2 लाख रुपये होगा, अण्डमान और निकोबार प्रशासन की पांचवीं पंच वर्षीय योजना के मसौदे के ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। प्रशासन कयर बोर्ड के परामर्श ने इन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।

डाक टिकटें जारी करना

2354. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) प्रसिद्ध व्यक्तियों के सम्मान में डाक-टिकटें जारी करने के लिये क्या सिद्धान्त हैं; और

(ख) क्या जनता तथा उसके प्रतिनिधि निकायों से प्राप्त अभ्यावेदन इसके लिये एक मार्गदर्शी सिद्धान्त है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) महान् विभूतियों पर डाक-टिकट आम तौर पर उनकी जन्म या मृत्यु शतब्दी पर या उनकी पहली या दसवीं बरसी के अवसर पर निकाले

जाते हैं। डाक–टिकट फिलाटली सलहाकार समिति की सिफारिशों पर निकाले जाते है। डाक टिकट जारी करने के लिए जनता और उसके प्रतिनिधि निकायों द्वारा जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं, उन पर पूरी तरह विचार किया जाता है।

Loans advanced by Film Finance Corporation of India

2355. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the amount of loan advanced by the Film Finance Corporation of India so far for producing films and the number of films for which these loans were advanced ; and

(b) the amount of loans realised so far and the amount still to be realised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : (a) and (b) As on December 31, 1974 the Film Finance Corporation have advanced loans amounting to Rs. 234.62 lakhs for producing 114 films. Loans amounting to 116.05 lakhs have been realised whereas loans worth Rs. 89.31 lakhs are still to realised.

Production of Films and Loans Advanced by F.F.C.

2356. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total number of films produced, language-wise, in the country during the last year ; and

(b) the number of films out of them for which loans were advanced by the Film Finance Corporation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh) : (a) and (b) During 1974, 435 Indian films were certified by the Central Board of Film Censors (a language wise statement is attached). 5 of them were advanced loans by the Film Finance Corporation.

Statement

Language	No. of films
1. Hindi	135
2. Tulu	2
3. Marathi	11
4. Gujarati	7
5. Punjabi	4
6. Bengali	36
7. Assamese	3
Oriya	1
9. Tamil	79

Language	No. of films
10. Telugu . . .	69
11. Kannada .	30
12. Malayalam	54
13. English	1
14. Haryanvi	1
15. Manipuri .	2
TOTAL . .	435

योजना आयोग के सदस्यों के रिक्त पदों को भरा जाना

2357 **श्री बी० वी० नायक :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय योजना आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ख) उक्त आयोग में रिक्त पद कब भरे जायेंगे ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) योजना आयोग के वर्तमान सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. उपाध्यक्ष................श्री पी० एन० हक्सर
2. सदस्य...................प्रो० एस० चक्रवर्ती
3. सदस्य................श्री बी० शिवरामन

(ख) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि आयोग के रिक्त स्थान कब तक भरे जायेंगे। परन्तु रिक्त स्थानों को भरने तथा आयोग के ढाँचे के कतिपय पहलुओं में सम्भावित परिवर्तनों का संपूर्ण प्रश्न सक्रिय रुप से विचाराधीन है।

पाकिस्तानी तथा अन्य विदेशी जासूसों को गिरफ्तार किया जाना

2358. **श्री एम० वी० कृष्णपा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, देश में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी तथा अन्य विदेशी जासूसों के नाम और संख्या क्या हैं;

(ख) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) देश में जासूसी की गतिविधियां रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक , तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा

उत्तर प्रदेश राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1972, 1973 व 1974 वर्षों के दौरान गिरफ्तार किए गए विदेशी जासूसों (पाकिस्तानियों समेत) की संख्या क्रमशः 3, 3 और 2 थी। उनमें से 5 को सज़ा दी गई, दो को आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन नजरबंद रखा गया और एक का मुकदमा विचाराधीन है। सरकार इन व्यक्तियों के नाम देना सुरक्षा के हित में उचित नहीं समझती। शेष राज्यों के बारे में सूचना प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की स्थापना

2359. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की स्थापना की योजना को अस्थगित रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार देशों के बीच विशेषकर विकासशील देशों के बीच सूचना के अधिक प्रवाह के लिये प्रयास करना वांछित मानती है। तदनुसार सरकार राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने का प्रयास कर रही है।

राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों का विकास

2360. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिये राजस्थान सरकार द्वारा कोई योजनाएं क्रियान्वयन के लिये तैयार की गई हैं और प्रस्तुत की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान सरकार ने आदिमजाति क्षेत्रों की जो उप-योजना बनाई है उसमें आदिमजाति के लोगों का शोषण समाप्त करने पर काफी ध्यान देने का प्रस्ताव है। भूमि के हस्तान्तरण, कर्ज़दारी और अनुसंधित श्रम पर रोक लगाने के लिए उपाय अपनाए जायेंगे। विकास कार्यक्रमों में सिंचाई सुविधाओं, सड़कों और ग्रामीण बिजलीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी। कृषि कार्यक्रम को इस प्रकार अभिमुख किया जायेगा जिससे किसानों की अधिक आमदनी हो सके। वे अपने परम्परागत कृषि तरीकों में परिवर्तन ला सकें, इसके लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे। कृषि तथा वन आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम शुरू किए जायेंगे। सामान्य शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषाहार और पेय जल की पूर्ति के कार्यक्रम भी शामिल किए जायेंगे। राजस्थान ट्राइबल डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और एक एकीकृत ऋण-एवं-बाजार सेवा के माध्यम से आदिमजाति के लोगों और बाजार अर्थव्यवस्था के मध्य नये संबंध स्थापित करने में सहायता मिलेगी। आदिम जाति के जन समुदाय में सर्वाधिक पिछड़े वर्गों का पता लगाया जायेगा और उनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। आदिमजाति क्षेत्रों के प्रशासनिक संगठन को सुदृढ़ किया जायेगा।

(ग) उप-योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

अंतरिक्ष अनसंधान के लिये भारत-ब्रिटेन सहयोग

2361. श्री **शक्ति कुमार सरकार**: क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष केन्द्र, थुम्बा से एक ब्रिटिश राकेट छोड़ा जायेगा;

(ख) यदि हां, तो अन्तरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिटेन से सहयोग का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री, तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) जी, हां। यू० के० की विज्ञान अनुसंधान परिषद् और भारतीय अन्तरिक्ष संगठन के बीच हुए समझौते की विज्ञप्ति के अधीन ब्रिटिश और भारतीय निर्मित साउंडिंग राकेटों को ऊपरी-वाय-मंडल के समन्वित वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए छोड़ा गया है।

(ग) ब्रिटिश निर्मित पैट्रील राकेटों और भारतीय निर्मित सैंच्योर राकेटों—इन दोनों प्रकार के राकेटों के प्रक्षेपण के लिये फरवरी और मार्च, 1975 में अभियान की योजना बनायी गयी थी। आठ ब्रिटिश पैट्रील राकेटों और तीन भारतीय सेंच्चोर राकेटों को 9 फरवरी तथा 19 फरवरी, 1975 को छोड़ा गया था। ये राकेट भूमध्य रेखीय वायु-मंडल तथा कण-अवपतन के बारे में अध्ययन के लिये आय-भारों को ले जायेंगें। राकेटों की दूसरी किस्त मार्च, 1975 में छोड़ी जायेगी। प्रक्षेपण से प्राप्त हुए परिणाम, भारतीय और ब्रिटिश–दोनों वैज्ञानिकों को विश्लेषण के लिये उपलब्ध होंगे।

ऊर्जा संसाधनों संबंधी विज्ञान और औद्योगिकी समिति की सिफारिशें

श्री शक्ति कुमार सरकार: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन करने के लिये एक विज्ञान तथा औद्योगिक समिति का गठन किया गया था;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) से (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने, प्रदत्त ऊर्जा संसाधनों तथा पूर्वानुमानित आवश्यकताओं की दृष्टि से अपने अध्ययन को केवल ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास तक ही सीमित रखा है। ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन, पूर्व इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा गठित ईंधन नीति समिति द्वारा किया गया है। प्रतिवेदन के 'सार और निष्कर्ष' को ऊर्जा मंत्री द्वारा, 20 नवम्बर, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था।

हीलियम गैस का उत्पादन

2363. **श्री शक्ति कुमार सरकार**: क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ही हीलियम गैस के उत्पादन के बारे में अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या हीलियम गैस का आयात किया जाता है; यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) निम्नलिखित तीन साधनों से हीलियम गैस को अलग करने की संभावनाओं का अध्ययन किया गया है तथा इस दिशा में हुई प्रगति निम्नलिखित प्रकार से है:—

1. **मोनाजाइट** : क्योंकि प्रयोगशाला स्तर पर किये गए परीक्षणों से मोनाजाइट में हीलियम की विद्यमानता पाई गई है, अतः अब हीलियम को व्यावसायिक स्तर पर अलग करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ।

2. **नैसर्गिक गैस** : अब तक नैसर्गिक गैस के जिन नमूनों का विश्लेषण किया गया है, इनमें से किसी में भी हीलियम की इतनी मात्रा नहीं पाई गई है कि उसे अलग किया जा सके।

3. **गर्म पानी के स्रोत** : पश्चिम बंगाल में ब्राकेस्वर नामक स्थान पर स्थित गर्म पानी के स्रोतों में एवं अन्य स्रोतों में विद्यमान हीलियम की मात्रा का पता लगाया जा रहा है तथा वहां इस गैस के प्रवाह को बढ़ाने की संभावना के बारे में भी अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां। प्रतिवर्ष लगभग 8,000 से 10,000 घन मीटर तक हीलियम का आयात किया जाता है ।

नागाओं से समझौता करने के प्रयास में संयुक्त लोकतन्त्र मोर्चा (य० डी० एफ०) सरकार की असफलता

2364. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं के उग्रवादी तत्वों के चीन की ओर जाना-आना पुनः आरम्भ करने से संयुक्त लोकतंत्र मोर्चा सरकार के नागालैंड में छिपे नागाओं के नेताओं से सम्पर्क स्थापित करने और समझौता करने के प्रयासों को प्रत्यक्षतः धक्का लगा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कुछ दस्तावेज भी पकड़े गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) भारत सरकार के पास इस संबन्ध में कोई सूचना नहीं है । किन्तु सरकार का यह निश्चित मत है कि जबतक भूमिगत नागा लोग अपनी अवैध हिंसात्मक गतिविधियों में लगे रहते हैं तब तक उनके साथ कोई उद्देश्यपूर्ण बातचीत नहीं की जा सकती।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु उद्योग की परिभाषा

2365. **श्री डी०पी० जदेजा:**
श्री अरविंद एम० पटेल:
श्री रामावतार शास्त्री:

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा लघु उद्योग की परिभाषा करने के लिये कोई विशेष मापदंड रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित मापदंड की रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) लघु उद्योगों की विद्यमान परिभाषा निम्न प्रकार है :--

लघु उद्योग एककों में व सभी औद्योगिक एकक शामिल हैं जिनका कुल पूंजी निवेश 7.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है भले ही उसमें कितने ही लोग काम में लगे हुए हों। इस प्रयोजन के लिये पूंजी निवेश का तात्पर्य केवल संयंत्र और मशीनों पर किए गए निवेश से होगा।

Losses in Newsprint Mills

2366. **Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether all the mills producing newsprint are running in loss ; and

(b) if so, the main reasons therefor and the steps being taken by Government to check this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) : (a) No, ir.

(b) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र में एक्स-रे फिल्म उत्पादन परियोजना स्थापित करना

2367. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में नई एक्स-रे फिल्म उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं की रूपरेखा क्या है और इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० पी० बी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने संबंधी योजना

2368. **श्री एम० कत्तामुत्तु :**

श्री डी० के० पंडा :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) व (ख) पांचवीं योजना में राज्य सरकारों को ऋण सहायता देने के लिये 20 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की एक

केन्द्रीय क्षेत्र की योजना तैयार की गई है, ताकि वे उत्पादकों द्वारा गठित चीनी सहकारी कारखानों और सहकारी कताई मिलों की अंशपूंजी में अतिरिक्त अंशदान दे सकें। यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। यह निगम राज्य सरकारों को ऋण सहायता तकनीक दृष्टि से ठीक तथा आर्थिक रूप से चल सकने वाली परियोजनाओं के आधार पर देगा, जिसका आंकन विशेषज्ञों के छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा।

शाखा डाक-घर खोलने की कसौटी

2369. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्र में शाखा डाकघर खोलने की कसौटी एक योजना से दूसरी योजना में भिन्न-भिन्न है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए क्या कसौटी होगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा): (क) जी नहीं। तथापि, नीति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ।

(ख) पिछड़े हुए, पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में बेहतर डाक सुविधाएं प्रदान करने और क्षेत्रीय विषमता को दुर करने के लिए इन इलाकों में डाकघर खोलने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है ।

भुखमरी से हुई मौतें

2370. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो मास के दौरान देश के किसी भाग में भुखमरी के कारण कोई मौते हुई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन भाषायी समाचार पत्रों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का है जो ऐसे चौंका देने वाले समाचार प्रकाशित करते हैं ; और

(ग) ऐसे समाचार पत्रों के विरुद्ध गत-दो वर्षो के दौरान क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रचार सैल

2371. **श्री राजदेव सिंह**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समय-समय पर देश की जनता को सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों की जानकारी देने के लिए उनके मंत्रालय के प्रभावकरी इश्तिहार, पुस्तिकायें और पर्चे तयार करने के लिए बहुत से सैल बनाये हैं ;

(ख) क्या इस बारे में जानकारी बुलेटिन प्रसारण के लिए आकाशवाणी द्वारा पर्याप्त समय अलाट किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण पर कितने प्रकाशन निकाले गए तथा आकाशवाणी ने इस विषय के लिए कुल कितना समय अलाट किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) मंत्रालय में कोई विशेष सैल नहीं बनाया गया है । सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का मंत्रालय की विभिन्न मीडिया यूनिटों द्वारा प्रचारित किया जाता है । आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रतिबिम्बित किया जाता है ।

(ग) खाद्यान्न व्यापार के सरकारीकरण पर पोस्टरों तथा पम्फलेटों सहित मुद्रित सामग्री की 11 आइटमें निकाली गईं। इस विषय पर आकाशवाणी के केन्द्रों से प्रसारण की कुल अवधि 140 घंटों से अधिक थी ।

प्लान ओवरटारगेटिड फार पोलिटिकल रीजन्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार

2372. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम सहाय पांडे:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1975 के एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्लान ओवरटारगेटिड फार पोलिटिकल रीजन्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । योजना लक्ष्यों का निर्धारण राजनीतिक कारणों से नहीं किया जाता है बल्कि पांचवीं योजना के प्रारूप में बतलाए गए उद्देश्यों, अर्थात् गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्ति, को ध्यान में रखकर बनाई गई सुव्यवस्थित आयोजन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। अतः सरकार समाचार में वर्णित किए गए बातों से सहमत नहीं है।

इंडियन साइंस कांग्रेस के 62वें अधिवेशन में प्रस्तुत पत्र

2373. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन कांग्रेस के 62वें अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए पत्र की ओर दिलाया गया है, जिसमें भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की तुलना में अधिक-क्रूर, बेईमान और भ्रष्ट प्रदर्शित किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) इंडियन साइंस कांग्रेस 62वें अधिवेशन में विभिन्न विषयों पर काफी संख्या में लेख प्रस्तुत किए गए थे। इनमें से मनोविज्ञान में एक लेख सीमेटिक विभेदिक तकनीक द्वारा आंके गए "भारतीय चरित्र के बदलते प्रतिमान" से संबंधित था। क्योंकि साइंस कांग्रेस में, लेख इस कांग्रेस में भाग लेने वाले वैज्ञानिकों के विचार विमर्श तथा वाद विवाद के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः इनके संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड और दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान के बीच मतभेद के कारण दिल्ली में बिजली का बन्द होना

2374. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या राजधानी में बार-बार बिजली फेल होने का मुख्य कारण भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के बीच मतभेद होना है;

(ख) क्या भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड, दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान की इच्छा के विरुद्ध विद्यमान करार को नयी शर्तों के सथ नया करने पर बल दे रहा है;

(ग) यदि हां, तो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की नयी शर्तें क्या हैं; और

(घ) दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान और भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के बीच विद्यमान मतभेद को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पिछले वर्ष के दौरान राजधानी में विद्युत सप्लाई में बार-बार विभंग नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ) भाखड़ा प्रबंध बोर्ड 1960 में किए गए एक करार के अधीन दिल्ली को विद्युत सप्लाई कर रहा था। भाखड़ा प्रबंध बोर्ड अब इस करार को 13-4-1975 से समाप्त करना चाहता है। मामले की जांच की जा रही है।

पल्प और कागज के उत्पादन में संकट के बारे में अध्ययन प्रतिवेदन

2375. **श्री वीरेंद्र सिंह राव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में पल्प और कागज के उत्पादन में संकट की स्थिति के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के लिए श्री आर० एल० भार्गव द्वारा किए गए अध्ययन का प्रतिवेदन देखा है;

(ख) यदि हां, तो देश में अखबारी कागज, लिखाई वाले कागज और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए कागज के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संकट को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) जी हां। फिर भी इस रिपोर्ट में देश के अखबारी कागज अथवा कागज उद्योग का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है किन्तु संसार के विकासशील क्षेत्रों में लुग्दी तथा कागज उद्योग की आयोजना एवं संवर्धन संबंधी कार्यक्रम के प्रथम चरण से है। मोटे तौर पर रिपोर्ट के निष्कर्ष ये हैं कि संसार में अखबारी कागज की वर्तमान कमी अभी और बढ़ेगी एवं कागज और गत्ते की विश्व में संभावित खपत और उत्पादन में काफी अन्तर रहेगा।

(ग) देश में अखबारी कागज/कागज उद्योग के सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ाने तथा कागज बनाने के लिए कृषि अवशिष्टों जैसे सहायक कच्चे माल का अधिकतम उपयोग करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तरी राज्यों को बिजली देने के बारे में राजस्थान को दिया गया निदेश

2376. **श्री मूल चन्द डागा :**

चौ० रामप्रकाश :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भाखड़ा, चम्बल और आर० ए० पी० पी० सिस्टमों को एक ग्रिड में जोड़ने का निर्णय किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को वहां से प्रतिदिन 15 लाख यूनिट बिजली उत्तरी राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को देने के लिए निदेश दिया है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस निदेश को वापस लेने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) प्रणालियों का 27 जनवरी, 1975 से समानान्तर प्रचालन प्रारंभ कर दिया गया है।

(ख) से (घ) राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा में विद्युत की उपलब्धता और मांगों पर विचार करने के बाद तथा इस विषय पर राजस्थान सरकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब और हरियाणा को राजस्थान परमाणु विद्युत् परियोजना के उत्पादन का 35 प्रतिशत आवंटित करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है, कि राजस्थान इस परमाणु केन्द्र से प्रतिदिन कम से कम 2.5 मिलियन यूनिट प्राप्त करेगा। यह अवस्था 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए की गई है।

Post office in Village Rajola

2377. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is any Post Office in Village Rajola, Tehsil Sojat of District Pali; and

(b) if not, whether there is a proposal therefor ?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma) : (a) No, Sir.

(b) The proposal is under examination.

नई कोयला खानों का विकास करने के संसाधन

2378. **श्री विरेन्द्र सिंह राव** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई कोयला खानों का विकास करने, कोयले की ढुलाई करने के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करने और बिजलीघरों की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने के लिए ईंधन नीति समिति ने अपने अनुमान अभी हाल में सरकार को प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए समिति ने कितनी राशि का अनुमान लगाया है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए संसाधनों का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ।

उर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। समिति की रिपोर्ट में अगले 15 वर्षों के दौरान कोयला और बिजली की संभावित मांग के बारे में बताया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी दूर करने के लिये केरल में परियोजनाओं की स्थापना

2379. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए केन्द्रीय परियोजनायें स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) हमें कोई भी सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1975-76 में केरल में डाक व तार घर खोलना

2380. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में केरल राज्य में कितने डाक व तार घर खोले जाने का विचार है और उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ख) केरल में ऐसे स्थानों की संख्या कितनी है जहां पर राज्य सरकार ने डाक व तार घर खोलने के लिए अनुरोध किया है

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) **डाक-घर** :— कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

तारघर :—केरल राज्य में जिन तारघरों को खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है और जो अभी भी खोले जाने हैं, उनकी संख्या 59 है। उनके नामों की सूची संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है। केरल सर्किल को यह सलाह दी गई है कि अगर भंडार-सामग्री उपलब्ध हो तो वर्ष 1975-76 के दौरान इनमें से यथासंभव अधिक से अधिक तारघर खोल दिए जाएं।

(ख) **डाकघर** :— अलवाई डाक डिवीजन के इल्लिथोड नामक स्थान में एक डाकघर।

तारघर :—इस राज्य में तारघर खोलने के संबंध में राज्य सरकार से कोई भी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

उन तारघरों के नाम, जो केरल राज्य में अभी खोले जाने हैं :

1. पुलियूर
2. वेन्निकुलम्
3. कूट्टूर
4. चिथिरापुरम्
5. मारंगाट्टपली
6. मादार्थुविलगम्
7. फोर्ट, त्रिवेन्द्रम्
8. पेरुम कदाविला
9. कंजावेली
10. मुकुन्द पुरम्
11. पट्टाज्ही
12. वालाकोम
13. कोड्डापुर
14. वल्लिकोड
15. अराकुलम्
16. रामामंगलम्
17. शेरटल्लईकचहरी
18. थोड्डूपुज्हा ईस्ट
19. थाईकट्टूशेरी
20. मंजापरा
21. पंडिकाड
22. यरदा भरम्वा
23. पक्करा
24. थक्कुमुरी
25. पुलिक्कल
26. वेंगाथारा
27. कक्कोदी
28. थिरु बंब्रदी
29. वेल्बा मुंडा
30. फय्यन्नां
31. एरडिंगल
32. कुन्नमंगलम्
33. कुरुम्पाथुर
34. अनन्थवूर
35. नादुवट्टम्
36. थानालुर
37. ओजुर
38. आथावनाद
39. एरुमाप्पट्टी
40. कुज्टूर
41. अन्नामानादा
42. कुंवालम्
43. थाइक्कट्टूकरा
44. कुंवालंगी
45. अंगामाली साउथ
46. एच० एम० टी० कालोनी कालम शेरी
47. मत्तनचेरी एल० एस० जी० एस० ओ०
48. उदमा कन्नड़
49. कक्कर्फ
50. इरिंगम्
51. चेमपेरी
52. मुदलपुर
53. थालायाड
54. वित्यानगर

55. चंगला एंड मुलियार
56. रमनथली
57. एड़ाचेरी
58. पोनमेरी
59. पेरिंगाथुर।

विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीशनों और डाक्टरों को वापस लाने की योजन

2381. **श्री मधु लिमये** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीशनों और चिकित्सीय डाक्टरों के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी श्रेणीवार संख्या क्या है; और

(ग) उन्हे वापिस लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्ष 1971 में सी० एस० आई० आर० द्वारा आयोजित एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 1971 के आरम्भ में विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों की संख्या 30,000 थी जिनमें से छः हजार वैज्ञानिक, पन्द्रह हजार इंजीनियर तथा नौ हजार चिकित्सक कार्मिक थे। अभी फिलहाल में कोई अध्ययन नही किया गया है फिर भी सी० एस० आई० आर० द्वारा चलाये गये राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग के अनुसार जिसमें रजिस्ट्रेशन स्वेच्छिक है, पहली जनवरी 1975 तक वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों की दर्ज की गई संख्या 18,828 थी। दर्ज किये गये व्यक्तियों में से पचास प्रतिशत भारत वापिस आ चुके हैं।

दर्ज किये गये व्यक्तियों का देशवार एवं श्रेणीवार व्यौरा इस प्रकार है:-

देश	वैज्ञानिक	इंजिनियर	तकनी०	चिकित्सक	योग
यू० एस० ए०	3224	2616	364	884	4088
कनाडा .	618	327	34	157	1136
यू० के० .	1066	2581	417	2591	6655
जर्मनी . .	377	1092	207	49	1725
अन्य यूरोपियन देश .	630	493	84	88	1295
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड	115	69	30	26	204
अन्य देश	300	277	52	60	689
योग	6330	7455	1188	3855	18828

इसके अतिरिक्त 374 सामाजिक, वैज्ञानिक तथा 622 व्यक्ति जिन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एकाउन्टेंसी में योग्यता प्राप्त की है, वे भी इस अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज थे।

(ग) भारतीय वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कार्मिकों की विदेशों से भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न उपाय करती आ रही है। किये गये उपायों की एक प्रति साथ में संलग्न है।

विवरण

वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपाय

वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये निम्नलिखित चरण उठाये गये हैं :—

1. राष्ट्रीय रजिस्टर वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का एक विशेष अनुभाग संचालन करता है जिसमें प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का नामांकन किया जा सके और उनके नाम समस्त मंत्रालय/विभाग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघीय एवं राज्यीय लोक सेवा आयोगों, विश्व-विद्यालयों, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बड़े निजी औद्योगिक क्षेत्र में भेजने के लिये। ऐसे व्यक्तियों के नाम जनशक्ति बुलेटिन सी० एस० आई० आर० में प्रकाशित किये जाते हैं। जिसका निशुल्क वितरण समस्त भारत में लगभग तीन हजार संगठनों को किया जाता है।

2. संघीय लोक सेवा आयोग और अधिकांश राज्य लोक सेवा आयोगों ने उनके द्वारा विज्ञापित पदों के लिये उन प्रत्याशियों को जिनका नाम नेशनल रजिस्टर में दर्ज है, को "व्यक्तिगत सम्पर्क" का प्रत्याशी मानने के लिये अपनी सहमति प्रदान कर दी है। भारत के पदों के लिये विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का साक्षातकार करने की भी व्यवस्था कर दी है।

3. वैज्ञानिकों और तकनीकी अधिकारियों के पदों पर भारत के लिये चयन किये हुए प्रत्याशियों को जिनका चयन विदेशों में हुआ है यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिये यदि वे तीन वर्ष तक सेवा करने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करें, स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों को जोकि उत्पादन यूनिटों में कार्यरत हैं, आकर्षित करने, और वापिस आने तथा देश में अपने उद्योग शुरू करने के लिए एक मुश्त सौदे की एक योजना तैयार की जा रही है। विशेष रूप से उत्पादन यूनिटों में जहां वे अधिक कौशल प्राप्त कर सकें।

5. विदेशों से वापस आने वाले उच्च योग्यताप्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अस्थाई तौर पर रोजगार प्रदान करने के लिये वैज्ञानिक पूल का निर्माण।

6. विदेशों में कार्यरत और अध्ययनरत वैज्ञानिकों को शीघ्रता से रोजगार प्रदान करने के लिये स्वीकृत वैज्ञानिक संस्थानों में अधिसंख्यक पदों का निर्माण।

प्रधान मंत्री सहायता कोष का संचालन

2382. **श्री मधु लिमये** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों से राहत कोषों को प्रधान मंत्री संचालित करती रही हैं;

(ख) इन कोषों में से प्रत्येक में संविधान लागू होने के बाद से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ;

(ग) प्रत्येक में से उक्त अवधि में कितनी राशि निकाली गई अथवा खर्च की गई;

(घ) क्या ये राशियां भारतीय लोकनिधि में जमा की गई थीं जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 284 के अन्तर्गत अपेक्षित हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो संविधान के इस अनिवार्य उपबन्ध का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) तीन सहायता कोषों के विवरण, जिनका संचालन गैर-सरकारी ट्रस्टी बोर्डों द्वारा किया जाता है, और जिनकी अध्यक्षा प्रधान मंत्री जी हैं, अनुबन्ध में दे दिए गए हैं ?

(घ) और (ङ) पहले दोनों कोषों के लिए अंशदान ऐच्छिक आधार पर निजी दाताओं से प्राप्त किए जाते हैं। तीसरे कोष में, जो ऐच्छिक निजी अंशदान से बना है, 1966 से कोई अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है। इन कोषों की रकमें गैर सरकारी स्वरुप के ट्रस्टी बोर्डों के निर्णयों के अनुसार उपयोग में लाने होते हैं। अतः भारतीय लोक निधि में से ये रकमें नहीं जमा कराई गई हैं, बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखी गई हैं, और वित्त मंत्रायलय द्वारा स्वीकृत लेखा परीक्षकों द्वारा इनकी लेखा-परीक्षा की जाती है।

विवरण

(क), (ख) और (ग)

कोष का नाम	किस तारीख से यह कोष अस्तित्व में आया।	26-1-59 से 31-1-75 तक कोष में प्राप्त कुल राशि	26-1-50 से 31-1-75 तक कोष से खर्च की गई कुल राशि
1	2	3	4
		रु०	रु०
प्रधान मंत्री जी का राष्ट्रीय सहायता कोष	3 नवम्बर, 1947	6,76,17,064.80	5,89,02,657.48
प्रधान मंत्री जी का सूखा सहायता कोष	18 नवम्बर, 1966	2,01,32,850.38	1,90,77,778.96
प्रधान मंत्री जी का विद्यार्थी सहायता कोष	20 जून, 1952	3,67,028.07	1,11,547.70

बेकार माल को पुनः उपयोग में लाना

2383. **श्री पी० गंगा देव:**

श्री अनादि चरण दास :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेकार माल को पुनः काम में लाने सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विच करने के लिए कोई कार्यकारी दल बनाया है,

(ख) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल के निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार पुनः उपयोग से कितना लाभ होने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। फिर भी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के प्रारूप (खंड 1 और 2) जिसे 26-3-1974 को सभा पटल पर रखा गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ बेकार माल के उपयोग और पुनः उपयोग सम्बन्धी क्षेत्र भी शामिल हैं। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के बेकार माल के उपयोग सम्बन्धी पैनल के विचारार्थ विषयों में प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं, प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थाओं तथा बेकार माल के उत्पादकों और सम्भाव्य प्रयोगकर्ता संगठनों के सहयोग से पांचवीं योजना अवधि के लिए अनुसंधान, विकास तथा विस्तार आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करना था।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के अपशिष्टों के उपयोग से सम्बन्धित पैनल में निम्नलिखित योजना दल शामिल हैं :—

(1) कृषि एवं पशु सम्बन्धी बेकार माल (अपशिष्ट) उप-उत्पाद,

(2) औद्योगिक बेकार माल (अपशिष्ट),

(3) सामुदायिक अपशिष्ट, और

(4) अपशिष्टों से निर्माण सामग्री।

बेकार माल (अपशिष्टों) के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित समितियों का गठन भी किया है :—

(1) नगरीय बेकार माल (अपशिष्टों) के लिए भारत सरकार की समिति, (निर्माण तथा आवास मंत्रालय—1972)।

(2) ग्रामीण बेकार माल (अपशिष्टों) हेतु योजना आयोग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् समिति।

एन०सी०एस०टी० पैनल की सिफारिशों में से एक सिफारिश अपशिष्टों के उद्धार तथा प्रबन्ध के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अपशिष्टों के पुनः उपयोग के सम्बन्ध में एक परिषद् का गठन करने से सम्बन्धित है। सरकार द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतों को सुरक्षित रखने, आयात को कम करने तथा हर प्रकार से उत्पादन को बढ़ाने और बेकार माल के जमा हो जाने के कारण पर्यावरणीय संकटों को रोकने के लिए बेकार माल (अपशिष्टों) को पुनः उपयोग में लाना आवश्यक है। अपशिष्ट, कार्बनिक उर्वरकों, ऊर्जा औद्योगिक रसायनों तथा निर्माण सामग्रियों के लिए अमूल्य साधन हो सकते हैं।

राज्यों द्वारा 1975-76 की योजना के लिये संसाधन जुटाना

2384. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा कुछ राज्यों के 1975-76 के वार्षिक आयोजना परिव्यय को अब तक जो अन्तिम रूप दिया गया है वह गत वर्ष के लिए स्वीकृत परिव्यय से 370 करोड़ रु० अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन राज्यों को आयोजना के लिए अतिरिक्त संसाधनों का आवंटन अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों द्वारा अपने स्वयं के बजट में से करना होगा; और

(ग) क्या कुछ राज्यों के मामले में आयोग वृद्धि करने को सहमत हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्यों की वार्षिक योजना 1975-76 पर अधिकारी तथा मंत्री, दोनों स्तरों पर विचार-विमर्श समाप्त हो चुका है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर, प्रत्येक राज्य की वार्षिक योजना के आकार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

विदेशी वितरकों द्वारा प्रोत्साहन के लिये अनुरोध

2385. **श्री वसन्त साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश इंडीपेंडेंट फिल्म डिस्ट्रीव्यूटर्स ऐसोसिएशन के सेक्रेटरी ने अपनी फिल्में भारत लाने के लिए विदेशी वितरकों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है और इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रोत्साहन मांगे गए हैं और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के स्वतन्त्रता सेनानिओं को पेंशन दिया जाना

2386. **श्री वसन्त साठे** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में अकोला, नागपुर बुलडाना और अमरावती जिलों में नवम्बर, 1974 से अब तक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के सम्बन्ध में कितने मामलों पर (जिलावार) विचार किया गया है;

(ख) नवंम्बर, 1974 से लेकर कितने मामले रद्द किए गए हैं, कितने मामलों में पेंशन मंजूर की गई है और कितने मामले (जिलावार) वापस भेजे गए हैं; और

(ग) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की सूची (जिसमें उनके नाम और गांव के नाम हों) क्या है जिनकी नवम्बर, 1974 से अब तक, जिलावार, पेंशन मंजूर की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) दो विवरण जिनमें सूचना दी गई है, संलग्न है (परिशिष्ट 1 तथा 2)।

[**ग्रंथालय में रखें** गए। देखिए **संख्या** एल०टी०-9102/75]

पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास के लिये कर्नाटक को विशेष वित्तीय सहायता का नियतन

2387. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में पश्चिमी घाट क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार की किसी विशेष वित्तीय सहायता का नियतन किया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) विशेष वित्तीय सहायता की स्कीमें पशुपालन, बागवानी, कृषि, सिंचाई, वनोद्योग, लघु-उद्योग और पर्यटन क्षेत्र से सम्बन्धित है। इन स्कीमों को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वे स्थानीय व्यक्तियों के जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव डालती हैं।

कच्चे माल के लिये हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लघु एककों को लाइसेंस

2388. **श्री वीरेंद्र सिंह राव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारत निर्माता संगठन को देश में बहुत से ऐसे बोगस लघु एककों का पता चला है जो कच्चे माल के लिये लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं और इसे काला बाजार में बेच देते हैं;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1974 के अन्त तक हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कितने लाइसेंस प्राप्त किये गये और इनका मूल्य क्या है; और

(ग) इन बोगस एककों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) और (ख) हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों से ऐसे लघु एककों के पंजीकरण को जिनका अस्तित्व नहीं है रद्द करने के लिए कहा गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयां

2389. **श्री पी० गंगा देव** :

श्री अनादि चरण दास :

श्री सुरेंद्र महन्ती :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और औद्योगिकी योजना का क्रियान्वयन सुचारु ढंग से नहीं चल रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना की स्वीकृति के बारे में विरोध उन एजेंसियों द्वारा भी किया जा रहा है जो आयोजन के लिए विज्ञान और औद्योगिकी परियोजनाओं को स्वयं ही तैयार करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसकी क्रियान्विति में आ रही कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। फिर भी मंत्रालयों/विभागों के विज्ञान और औद्योगिकी कार्यक्रमों के लिये बजट द्वारा निर्धारित नियतन पर, वित्तीय अवरोध रहा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैगन उद्योग में पहियों के सैट उपलब्ध न होना

2390. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री अनादि चरण दास :

श्री डी०डी० देसाई :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहियों के सेट उपलब्ध न होने के कारण वैगन बनाने वाले उद्योग को संकट का सामन करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार पहियों के सेटों का आयात करने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) चूंकि आयातित सामान के पहुंचने में विलम्ब होने के कारण पहिए के सेटों की भारी कमी रही है इसलिए वैगन निर्माताओं को मै० हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पर जिनका सप्लाई मांग से काफी कम है, पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ा।

सभा के कार्य के बारे में

RE : BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 199 के अनुसार भूतपूर्व मंत्री द्वारा वक्तव्य प्रश्न काल के बाद तथा उस दिन के लिये कार्य-सूची में दर्ज कार्य के आरम्भ करने से पूर्व होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नियम तथा निदेश में कुछ परस्पर विरोध प्रतीत होता है। नियम के अन्तर्गत ऐसा वक्तव्य प्रश्नकाल के तुरन्त बाद होना चाहिये। कार्य-सूची में इसे ध्यान आकर्षण के बाद रखा गया है, जैसा कि निदेश के अन्तर्गत अपेक्षित है। हम रोज निदेश के अनुसार ही इसे रखते हैं। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। यदि यह प्रश्न काल के तुरन्त बाद होता, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के कार्यकरण की समीक्षा तथा 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 1973-74 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) यूरेनियम कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 1973-74 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ग्रौर उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखा गया (देखिए संख्या एल० टी० 9083/75]**

उद्योग विकास ग्रौर विनियमन ग्रधिनियम, 1951 के ग्रधीन ग्रधिसूचनायें

उद्योग ग्रौर नागरिक ग्रापूर्ति मंत्रालय में **राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज)** : मैं उद्योग (विकास ग्रौर विनियमन) ग्रधिनियम, 1951 की धारा 18 छ के ग्रधीन जारी की गई ग्रधिसूचना संख्या सा० ग्रा० 107 (ङ) (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 21 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ग्रौर जिसके द्वारा वाणिज्यिक मोटरगाड़ी (पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध) ग्रादेश 1974 का निरसन किया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9084/75]**

ग्रधिसूचना सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

उद्योग ग्रौर नागरिक ग्रापूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०पी० शर्मा) : मैं श्री बी० पी० मौर्य की ग्रोर से दिनांक 29 ग्रप्रैल, 1974 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित ग्रधिसूचना संख्या सां० ग्रा० 273 (ङ) को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 9085/75]**

ग्रखिल भारतीय सेवाएं ग्रधिनियम, 1951 के ग्रधीन ग्रधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय, कार्मिक ग्रौर प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ग्रोम मेहता) : मैं ग्रखिल भारतीय सेवायें ग्रधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के ग्रन्तर्गत निम्नलिखित ग्रधिसूचनाग्रों (हिन्दी तथा ग्रंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 223 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 224 में प्रकाशित हुए थे।

(3) ग्रखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1975 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 225 में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1975 जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 226 में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में ग्रधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 227 में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1975 जो दिनांक 22 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 228 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय मे रखें गया। देखिए संख्या एल० टी० 9086/75]।**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1975, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 67 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 124 (ङ) से 136 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 65 (ङ), 70 (ङ) से 81 (ङ), 83(ङ) से 118 (ङ) और 121(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 मार्च, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्यख्यात्मक ज्ञापन। **(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9087/75)**

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 के अधीन अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (सदस्यों का सहयोजन) (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 25 फरवरी, 1975 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-18/33/74-जुडल में प्रकाशित हुए थे।

(2) दिल्ली सिख गुरुद्वारा (कार्यकारी बोर्ड के सामयिक सभापति, अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों का निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 25 फरवरी, 1975 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०—18(29)/73–जुडल (दो) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 9088/75]।**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कोडरमा में वैगनों को तोड़कर माल चुराने संबंधी कथित घोटाला

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : महोदय मैं रेल मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं तथा निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"कोडरमा में वेगनों से माल चुराने के कथित घोटाले की ओर जिसमें राजनीतिज्ञ और रेलवे सुरक्षा दल के लोग शामिल हैं, और जिसके कारण रेलवे को 5 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी है।"

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : महोदय, पूर्व रेलवे से प्राप्त अपराध रिपोर्टों और अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं की जांच-पड़ताल से पता चला था कि पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल में ग्रैंड कार्ड खण्ड पर बुक किये गये परेषणों से सम्बन्धित अपराध प्रायः हो रहे हैं। रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के एक दल को इस मामले में गोपनीय ढंग से जांच-पड़ताल करने के लिए भेजा गया और उसने बिहार खुफिया विभाग और राज्य के अन्य पुलिस प्राधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया। सूचना को आगे कार्रवाई की गयी है और 28 फरवरी, 1975 को हजारीबाग जिले के पुलिस अधीक्षक और रेलवे बोर्ड के एक सहायक सुरक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रेलवे स्टेशन कोडरमा के रेलवे क्वार्टरों में और बिहार के झुमरी तलैया शहर में सात जगहों पर छापे मारे गये।

रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के जिस मुख्य दल ने प्रारम्भिक जांच-पड़ताल की थी और छापे की योजना बनायी थी, वह इस मामले में अभी क्षेत्र कार्य कर रहा है और पूरे ब्यौरे का अभी पता नहीं चला है। फिर भी, रेलवे बोर्ड में अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर तथ्य इस प्रकार हैं :—

इन छापों के परिणामस्वरूप कुछ सम्पत्ति, जिसके रेलवे से चोरी किये जाने का संदेह है, लगभग 1,05,000 रुपये नकद और कुछ कागज बरामद हुए थे। परिणामत: रेलवे सुरक्षा दल के तीन रक्षकों और एक अन्य रेल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एक और रेल कर्मचारी की तलाश है जो कि फरार है।

सरकारी रेलवे पुलिस, गोमोह (बिहार) ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 414 और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 5(2) के अधीन चार मामले दर्ज किये हैं और इनकी छान-बीन कर रही है रेल सम्पत्ति (विधि-विरुद्ध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अधीन भी रेलवे सुरक्षा दल चौकी, गोमोह में एक मामला शुरु किया गया है और इसकी जांच की जा रही है।

चूंकि सारे मामले में बिहार राज्य के पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है और जब्त किये गये कागजों आदि की विस्तृत जांच की जानी है, इसलिए माल डिब्बे तोड़ने वालों के तथाकथित सम्बन्धों के बारे में अभी से कुछ कहना असामयिक होगा।

कोडरमा रेलवे स्टेशन पर हुई हानि का अलग ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन जनवरी से अक्तूबर, 1974 तक की अवधि में पूरे धनबाद मण्डल से 1219 मामलों की रिपोर्ट मिली थी जिनमें कुल 16,37,098 रुपये की हानि हुई।

श्री बी० बी० नायक: महोदय, इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर भी उसी ढंग से दिया गया है, जैसा कि प्राय: सभी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का दिया जाता है कि चूंकि अभी जांच चल रही है इसलिये माल डिब्बे तोड़ने वालों के तथाकथित सम्बन्धों के बारे में अभी से कुछ कहना असामयिक होगा। मैं समझता हूं कि ऐसा उत्तर देना संसदीय संस्थाओं के महत्व को कम करना है। मेरा निवेदन है कि यह एक गम्भीर मामला है तथा इस ओर उचित ढंग से ध्यान दिया जाना चाहिये। रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि रेलवे की सम्पत्ति की चोरी में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। जब कि वर्ष 1968-69 में 35 लाख रुपये के माल की चोरी हुई थी वर्ष 1969-70 में 39 लाख रुपये के माल की वर्ष 1970-71 में 110 लाख रुपये के माल की तो वर्ष 1971-72 में बढ़कर यह राशि 127 लाख रुपये हो गई। इस से भी गम्भीर बात यह है कि इस चोरी में विधि के संरक्षक अर्थात रेलवे सुरक्षादल के कर्मचारी में शामिल हैं। यहीं नहीं इस में राजनीतिज्ञों का भी हाथ है। जब स्थिति ऐसी गम्भीर है तो इस मामले की रेलवे सुरक्षा दल द्वारा जांच कराने से क्या लाभ है। अत: मेरा निवेदन है कि इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उच्चतम स्तर पर जांच कराई जाये।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी: विभिन्न रेलवेज से प्राप्त सूचना के आधार पर यह पता चला है कि चोरी की घटनाओं में, विशेषकर गया गमोह सैक्शन पर, उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इसलिये यह सारा जांच कार्य भारतीय रेलों की केन्द्रीय अपराध शाखा को सौंपा गया। यह कार्य नवम्बर में आरम्भ किया गया तथा जब फरवरी में छापे मारे गये तो कुछ रेलवे रक्षकों जैसे कि मुक्ती नाथ सिंह, शिव कुमार तिवारी, रामलखन शर्मा के घरों से चोरी का माल, जिस में नकदी, जेवरात तथा दस्तावेज भी शामिल हैं, बरामद हुआ है। चूंकि यह जांच कार्य नवम्बर में आरम्भ किया गया था तथा अपराधियों का पता लगाने में राज्य पुलिस तथा राज्य गुप्तचर विभाग भी रेलवे सुरक्षा बल की सहायता कर रहे हैं, इस लिये मैं समझता हूं कि इस मामले को इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना आवश्यक नहीं है।

महोदय, जो दस्तावेज बरामद किये गये हैं उन में से एक पत्र रेल मंत्री द्वारा श्री चन्द्र शेखर सिंह को लिखा हुआ बताया जाता है। मुझे पत्र के पाठ की जानकारी नहीं है। परन्तु वह पत्र भी एक रक्षक के घर से बरामद किया गया है। इस मामले के सम्बन्ध में जो भी तथ्य सामने आये हैं, मैं ने उन्हें सभा के समक्ष रख दिया है। एक बार मैं पुन: यह कहना चाहता हूं कि इस मामले को इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): Mr. Speaker Sir, from the last part of the reply which reads "Since the whole matter is under investigation by the Bihar State Police authorities and the papers etc. seized will require a detailed examination, it would be premature to say anything at this stage about the alleged links of the wagon breakes" it appears that the question concerns the Ministry of Home Affairs also and so the Home Minister should also be present in House.

From the reply given by the hon. Minister it appears that he has not given full facts of the case in the House. It has been alleged that politicians has involved in this case, but he has stated nothing in this regard. It is therefore, requested that full facts of the case might be disclosed. The figures about the sum involved are also not factual. The Minister should have no hesitation in stating the correct figures.

Efforts have been made a number of times during the last 8-9 years for transfering the Rakshaks of Railway Protection. Force working at Koderma Railway station, but some members of a political party very after used to get the transfer orders cancelled. Late Shri Lalit Narain Mishra used to postpone their transfer on the request of those members.

This is not the first time when these Rakshaks of Railway Protection Force broke the wagons. May I know whether you are aware of the fact that on 21st January, 1974 two persons were killed at Koderma as a result of firing by the R.P.F. men while the people of Koderma were staging Dharna at railway crossing their ? (*Interruptions*) All these things are happening in Bihar.

These Jawans of R.P.F. presented an Ambassador Car to the nephew of Late Shri Lalit Narain Mishra in his marriage. I want to know whether you are aware of it ; and if not whether you will inquire into it ? (*interruptions*). The corruption is reaching its climax, whether there is any sort of political link in this case. It should be clarified.

The Communist Party was accommodated all these persons of Darbhanga, Madhubani and Samastipur Bihar who are involved in Committing crimes, I would like to know whether the Government is going to take any action against such persons. This Party gives memberships to the defectors.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: We have not concealed any thing from the House. Whatever nformation we have, that we have given to the House. The fact is that these Rakshaks of R.P.F. had been transferred from Koderma Railway Station and they sends letter to Late Shri Lalit Narain Mishra, the then railway Minister requesting for cancellation of their transfer orders.

इस सम्बन्ध में श्री ललित नारायण मिश्र ने श्री चन्द्र शेखर सिंह को एक उत्तर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके स्थानांतरण आदेशों को रद्द नहीं किया जा सकता है । गुगंडी कोडरमा से अधिक दूर नहीं है और कोडरमा में उनको क्वार्टर भी मिले हुए हैं इसलिये उनके बच्चे कोडरमा में ही पढ़ सकते हैं।

किन्तु जब श्री सिंह ने पुन: अभ्यावेदन योग और तर्क दिया कि उनके बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो आदेश दिए गए कि उनके बच्चों की पढ़ाई के कारण उनके स्थानांतरण के आदेश 15 मार्च, 1975 तक रोक दिए जायें ।

मैं अभी स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सकता कि श्री सिंह की इन रक्षकों से कोई सांठ गांठ है ।

Shri Madhu Limaye (Banka): Mr. speaker the Hon. Minister has stated that the stolen property worth one lakh rupees has been recovered from the persons who have been arrested after conducting raids. You have said that during the period between January to October property worth 16 lakhs rupees has been stolen. It means property worth rupees 15 lakh could not be recovered. It seems that the police officers had informed these persons before conducting the raids and they have been successful in keeping the stolen goods at safe places. May I know whether boundles of half burnt. notes were found there ?

You have said that some documents have been seized and you mentioned the name of Shri Chander Shekhar Singh. It is not a new thing. To-day the Communist Party itself said that the members purchased the car on the priority basis and gave it to the wagon

breakers, who used it for breaking wagons. The second thing stated by the Communist party is that Shri Chander Shekhar Singh tried far staying the transfer orders of these Rakshaks.

I want to ask the Hon. Minister whether there is any document among these documents in which their is direct mention of two Congress M. Ps. Communist Party has expelled Shri Chander Shekhar Singh from their party, but it is surprising me that Congress party has not suspended those two members. The Communist Party Suspended Shri Chander Shekhar Singh immediately after the calling attention motion was admitted. According to Communist Party a Minister in the Ghafoor Cabinet and one more leader of Bihar are also involved in it. I am not going to name any one of them.

Shri Jyotirmoy Bosu (Diamond Harbour) : Give their names.

Shri Madhu Limaye : I will not name them just now. I will give their names at appropriate time.

One incomplete letter written by Mr. Tiwari has been seized (*interruptions*). In this letter he stated that my transfer order, which has been served to me third time may please be got cancelled. I am ready to meet any amount of expenditure if required for doing this job. It means the first two transfer orders served to Mr. Tiwari were got cancelled under the pressure from Shri Chander Shekhar Singh and other M. Ps. One police Officer and one D.I.G. is also involved in it.

Shri Mohd. Shafi Quereshi : As I have alerady said that the Central Crime Bureau has been investigating the incedents of thefts in railways which are constantly increasing indifferent areas including Koderma Railway Station. During the year 1973-74 the total property worth rupees 10 lakhs was stolen at Gono, Goya, Gurapa, Gujandi and Koderma Stations and within a year this went up 16 lakh rupees. There has been increase in the theft incedents during the strike period.

Shri Janeshwar Mishra : You look in to it.

Shri Mohd. Shafi Quereshi ; I am replying to it (*interruptions*). We have started making enquiry in this connection. Our Crime Bureau, Bihar C.I.D. and Bihar police have seized some documents in this regard. The question is this that whether any politician is involved in it or not We have as certained that no M.P. had written any letter to the Minister. The letter which was sent by Shri Chander Shekhar Singh to the then Railway Minister, Shri Lalit Narain Mishra is with us in original.

Shri Madhu Limaye: You have not replied to my question. One minister from Gafoor Cabinet is also involved in it. You have not said any thing about him.

Shri Mohd, Shafi Quereshi: We will investigate the matter on the basis of the documents seized and thereafter the House will be apprised of the findings. I thought the intention behind this calling attention motion was to suggest measures to check the thefts in railways but it seems that Mr. Madhu Limaye is not interested in this aspect of the matter. Instead of this he is beating about the bush.

Shri Madhu Limaye: I want to raise a point of order. My questions have not been replied to. Your M.Ps. are involved in it but instead of taking any action against them, you are making allegations against me.

श्री बी० ग्रार० भगत (शाहबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सभा की कार्यवाही नियमों के विरुद्ध चलाई जा रही है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : कैसे ?

श्री बी० ग्रार० भगत :: नियम 197 के उपनियम (2) में कहा गया है कि वक्तव्य पर वाद विवाद नहीं हो सकता ।

श्री ज्योतिमय बसु : ग्रतीत में कई बार ऐसे वक्तव्यों पर संक्षिप्त भाषण दिए गये हैं (**व्यवधान**) ।

श्री बी० ग्रार० भगत : नियम के ग्रनुमार मदस्य केवल प्रश्न पूछ सकता है । श्री मधु लिमये प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं । वह समूचे कांग्रेस दल पर ग्रारोप लगा रहे हैं । उन्होंने कहा कि बिहार के एक सदस्य तथा एक दूसरे नेता का इसमें हाथ है (**व्यवधान**) किन्तु वह उनके नाम नहीं बता रहे हैं। वह समूचे कांग्रेस दल पर ग्रारोप लगा रहे हैं (**व्यवधान**) । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि प्रश्न के नाम पर ग्रारोप लगाए जा रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु: ग्रापने विपक्ष के सदस्य को तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने दिया लेकिन कांग्रेस के सदस्य को इसकी ग्रनुमति दे दी है । इतना ही नहीं उन्होंने व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर पूरा भाषण दे डाला । सब के लिए एक समान नियम लागू किए जाने चाहिएं ।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : One who is dishonest thinks others dishonest...(*interruption*).

ग्रध्यक्ष महोदय: उन्होंने किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है । मैं नहीं समझता कि उन्होंने सारे दल पर ग्रारोप लगाया है ।

श्री बी० ग्रार० भगत : उन्होंने बिहार के कांग्रेसी सदस्यों का उल्लेख किया है । बिहार से तो कई कांग्रेसी सदस्य है (**व्यवधान**) ।

Shri Bhagirath Bhanwar (Jhabua): Railways are suffering loss. The attention of the Railway Minister has been very often drawn towards the pilferages in railways, but adequate attention has not been paid to this problem. Koderma is not the cnly railway Station where such things happened. These thefts in railways are taking place at various Railways Stations. Who are responsible for these pilferages ? No. information has been given by the minister in this regard. Shri Madhu Limaye said that some political leaders and M. Ps. one also involved in it, but the minister is not prepared to inform the House. He is trying to conceal things.

Railway Protection Force has been failed to check such thefts in railways. So I want to know whether they are going to make some other arrangements to solve this problem.

The law and order is deteriorating in Behar. I would like to know whether the Government is going to topple that Government. I hope Hon. minister will apprise the House of the findings after the completion of the inquiry.

Shri Mohd. Shafi Quereshi: I have already said that the House will be informed of all the facts after making enquiry in this regard. Nothing will be concealed from the House. We should not give it a political colour. We sought the cooperation of the Hon. memb .rs So that we may easily find out the real culprits.

श्री वसन्त साठ (ग्रकोला) : इस मामले में किन्ही राजनीतिक दलों या कुछ व्यक्तियों का हाथ हो सकता है किन्तु किसी विशेष दल पर ग्रारोप लगाना ठीक नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : झूठे आरोप हैं।

श्री वसन्त साठे : बिना उनके नाम बताए आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री वसन्त साठे : श्री लिमये ने कहा कि इसमें बिहार के एक निर्दलीय बड़े नेता का हाथ है।

श्री मधु लिमये : मैं यह कभी नहीं कहा कि वह निर्दलीय है।

Shri Vasant Sathe: Why do not you give his name. It is futile to make allegations without giving the name of that leader. I would also regquest the Hon. minister to find out the wagon breakers. It is neeessary to find out that who have links with the railway employees in wagon breaking. The minister should give information in this regard.

Shri Mohd. Shafi Quereshi: We would certainly enquire into the incedents of thefts in railways. The total railway property worth rupees 20 crores was stolen during one year.

But in certain Sections pilferage and thefts are increasing. We are making enquiries into such cases.

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

137 वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हाबर) : मैं कम्बलों की खरीद के बारे में पूर्ति विभाग सम्बन्धी भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संघ सरकार (सिविल) के वर्ष 1972-73 को प्रतिवेदन के पैराग्राफ 43पर लोक लेखा समिति का 137 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मंत्रीपरिषद् से त्यागपत्र देने के बारे में श्री मोहन धारिया का वक्तव्य

Statement by Shri Mohan Dharia on his resignation from the council of Minister

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपके वक्तव्य का सारांश मिला है। पूरा वक्तव्य नहीं। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं।

श्री मोहन धारिया (पूना) : मैं एक दर्दनाक संसदीय कर्तव्य निभाने खड़ा हुआ हूं। 2 मार्च 1975 को मुझे प्रधान मंत्री का 1 मार्च, 1975 का पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि "मैंने समाचार पत्रों में आपके कुछ भाषाओं को पढ़ा है तथा आप द्वारा दिए गये महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के पत्रोत्तर को भी देखा है। उन्हें देखकर मुझे हैरानी हुई है। यह स्पष्ट है कि इस मामले पर आपके विचार कांग्रेस दल की विचारधारा से नहीं मिलते।

यदि आपको कुछ संदेह थे तो आपका कर्तव्य यह था कि उन्हें आप मुझे बताते। ऐसे हालातों में आपके लिये मंत्री परिषद में बना रहना उचित नहीं। मैं राष्ट्रपति को सूचना दे रही हूं।

पत्रप्राप्ति के बाद मैंने तुरंत अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया जिसमें लिखा था कि "मुझे अपने प्रधान मंत्री की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी प्रति संग्लन है। यदि प्रधान मंत्री इतनी विनम्रता बरतती और यदि उन्होंने अपनी भावना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकेत भी दिया होता तो मैं तुरंत इच्छा से त्यागपत्र दे देता"।

प्रधानमंत्री के पत्र में यह पढ़ने से मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने मतभेद उनकी जानकारी में नहीं लाये। यह भी कहा गया है कि मैं कांग्रेस दल की नीति का समर्थन नहीं करता ये निष्कर्ष किन आधारों पर निकाले गये मैं नहीं जानता। दल के मंच तथा अन्य मंचों से मैंने अपने विचार प्रधान मंत्री तथा दल के अन्य विशिष्ट व्यक्तियों तक पहुंचाये हैं। 19 नवम्बर, 1974 को मैंने प्रधानमंत्री को इस आशय का पत्र भी लिखा था कि नरोरा केम्प में कार्यवाही हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के प्रश्न को उठाया जाये मैंने सुझाव दिया था कि यदि हमें देश की प्रतिक्रियावादी शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई में सफल होना है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मोर्चों पर समेकित लड़ाई लड़नी होगी।

मैंने प्रधान मंत्री को 7 अक्तूबर, 1974 को कहा था कि ऐसे लोगों का मंत्रालय में रहना सरकार की प्रतिष्ठा को गिरायेगा जो लोगों के बीच बदनाम हैं। मुझे अपने सुझावों और अनुरोधों के बारे में कोई संदेह नहीं है लेकिन प्रजातंत्रीय शासन में सहयोगी के नाते मैंने समाधान बताना अपना कर्तव्य समझा। यह दुर्भाग्य की बात है कि इन सुझावों पर कोई विचार नहीं किया गया और उन्हें टाल दिया गया, जिसके फलस्वरूप गलत कहानियां बढ़ती गयीं। जिस प्रजातंत्रीय शासन पद्धति में भ्रष्टाचार की रक्षा तथा सदाचार को दंडित किया जाता है, वह अधिक समय तक नहीं चल सकता।

प्रजातंत्रीय शासन पद्धति में कुछ ऐसे नैतिक दंड बनाये जाने चाहियें जिनके आधार पर जन आकांक्षाओं तथा लोगों की कठिनाईयों का ध्यान रखा जा सके। इस पद्धति को जिंदा रखने के लिये यह अनिवार्य है। इन बुनियादी मूल्यों में कमी होने से प्रजातंत्रीय प्रणाली का उत्साह ही कम नहीं होता बल्कि यह बदनामी भी होती है। जनमत के बढ़ते संदेहों के प्रति कठोर रवैया अपनाना सरल है लेकिन उन्हें टालना बहुत खतरनाक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। असंतोष की आवाज़ को कुचलना आधार है लेकिन यह प्रजातंत्रीय कार्यकलाप के हित में नहीं है।

1969 में कांग्रेस की फूट 1967 के बाद हुई अनेक आकस्मिक घटनाओं का परिणाम था। दल के कार्यकर्ता के रूप में लोगों के दिल में कांग्रेस के प्रति तथा संसदीय प्रजातंत्र के प्रति पुनः विश्वास पैदा करने में मैंने भी अपना योगदान दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व में लोगों के दिल में विश्वास जाग गया तथा लोगों ने अपना भरपूर समर्थन दिया जिसका प्रमाण 1971 के लोकसभा, तथा 1972 के विधान सभाओं के चुनाव थे।

कांग्रेस विधान के बाद तीन वर्ष की अवधि वचन तथा आश्वासन की अवधि थी। मेरे विचार में 1971 से हुई अवधि ऐसी होनी चाहिये कि जिसमें कांग्रेस तथा सरकार ऐसे ठोस कार्य करने का संकल्प करती जिसके कायल हम ही नहीं बल्कि लोग भी होते। 1971 तथा 1972 के चुनाव घोषण-पत्र, दल के प्रस्ताव तथा प्रधानमंत्री के भाषण गरीबी, बेरोजगारी बढ़ते मूल्यों, अनिवार्य वस्तुओं की अनुपलब्धता उत्तम वितरण प्रणाली सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने आदि-आदि समस्याओं के बारे में कार्यवाही सम्बन्धी घोषणापत्र ही थे। इन कार्यक्रमों को सामने रखने का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान करने के लिये लोगों का सहयोग प्राप्त करना था। लोगों से ये वायदे उन बाधाओं को अच्छी तरह से जानते हुए किये थे। जो इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के मार्ग में आने वाली थी। ये कार्यक्रम अन्य राजनैतिक दलों या व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं तो हम इनसे कैसे पीछे हट सकते हैं या इन नीतियों तथा कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये कैसे सफल वार्ता कर सकते हैं? मेरे मतानुसार यह वार्ता संसदीय लोक तंत्र का सार है।

हमारा संसदीय लोकतंत्र बड़ी नाजुक तराजू पर लटका हुआ है। यदि हमें इस प्रणाली को कायम रखना है तो हमें न केवल विपक्ष को अपनी आलोचना करने और उन्हें हम पर आक्रमण करने का ही अवसर देना है बल्कि उनमें राष्ट्रनिर्माण के क्रियाकलापों में सहयोगी बनने भी भावना की पैदा करनी है। दुर्भाग्यवश हमारे लाखों नवयुवक शिक्षित और अशिक्षित, उत्पादनशील क्रियाकलापों में भाग लेने के अवसर से वंचित हैं और उन्हें मध्यपूर्ण जीविका कमाने के अधिकार भी नहीं दिये गये हैं। इस समय उन्में न तो राष्ट्रनिर्माण के क्रियाकलापों में भाग लेने की भावना है और न ही भावी सुखमय जीवन बिताने की आशा है। इस परिस्थिति से भयकर सामाजिक तनाव और अवरोध पैदा हो गया है। श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाये जा रहे अन्दोलन से पूर्व भी अनेक स्थानों पर हिंसों और असंतोष की अनेकों घटनायें हुई थीं। यदि ये समस्याए जारी रहेंगी तो आन्दोलन बढ़ेगे ही। यदि हमें स्थिति को सुधारना है तो हमको समस्याओं के हल पर अधिक जोर देना होगा। इन मामलों को अधिकाधिक राजनीतिक बनाने से स्थिति और जटिल होगी। इसी कारण मैंने राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत करने की नीति अपनाने और ज्लंत समस्याओं पर सहमति का सुझाव देने का उपक्रम किया था। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सुझाव सरकार की स्वीकृत नीतियों, दल में संसदयी लोकतंत्र के आधारभूत तत्वों के विरुद्ध कैसे जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष को प्रेषित मेरे उत्तर का उल्लेख भी किया है। मैंने कांग्रेस शिविर तथा बाहर ऐसी मांग कर कोई अपराध नहीं किया है। मैं इस बात पर बार बार जोर देना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है वह सभी देश, लोकतंत्र, हमारे दल और प्रधान मंत्री के हित में है। यदि यह अपराध है तो मैं इसे खुले तौर पर स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने देश, लोकतंत्र के हितों में यह अपराध किया है और आवश्यकता पड़े तो मैं किसी भी कीमत पर या बालि देकर भी निर्भीकता से और बार बार ऐसे अपराध करता रहूंगा।

राष्ट्रपति यदि एक सुझाव देते हैं और प्रधानमंत्री भी वैसा ही विचार प्रकट करती है तो मैं समझता हूं कि विपक्ष तथा जयप्रकाश जैसी प्रतिष्ठा के व्यक्ति से बात करने को मेरा सुझाव न तो दल की स्वीकृत नीतियों के विरुद्ध था और न ही संसदीय लोकतंत्र के विरुद्ध।

अपने विचारों में मैंने कभी भी भाषणों द्वारा प्रतिक्रियावादी तत्वों को बढ़ावा नहीं दिया और न ही मैंने उन लोगों के प्रति दया बरतने की बात कही जो राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक होते हैं। मेरा विचार यह रहा है कि उन सभी लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाये जो जनसामान्य के हित चिंतक है। मैंने इन विषयों को संकीर्ण राजनीतिक दायरे से बाहर निकालने का प्रयत्न किया।

नीतियों को लागू करने में सहयोग देते हुये कुछ लोगों ने इनका उपयोग राजनीतिक हित साधन में करना उचित समझा। उन्हें मेरे विचारों से इसमें कठिनाई पैदा होते देखो और उन्होंने मेरे विरुद्ध काम करने में तनिक भी हिचकिचाहट नही की यह साम्यवादी दल के मेरे मित्रों के हित में होगा कि कांग्रेस की कठिनाईयों में सत्ता में हिस्सा बटाने की आकांक्षा न करें। यह बड़े ही खेद की बात है कि साम्यवादी नीतियों से हटने की उपेक्षा कर सकते हैं लेकिन छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप देने में नहीं हिचकते।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : यदि ये साम्यवादी दल पर आरोप लगा रहे हैं तो हमें भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप रुकावट न डालिये।

श्री मोहन धारिया : वे असत्य और काल्पनिक मतभेदों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में लगे रहते हैं और इस प्रकार कांग्रेस की प्रतिष्ठा को गिराने के प्रयत्न में रहते हैं। अपने आपको वे कितना ही छिपायें पर जनता से अपना असली रूप नहीं छिपा सकते।

मंत्री बनने के बाद मैंने निष्ठपूर्वक अपना कर्त्तव्य निभाने का प्रयास किया है। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करता कि बहुत से अवसरों पर मेरा अपने नेताओं और वरिष्ठ साथियों से मतभेद रहा है और ऐसा तो लोकतंत्र में होता ही है। फिर भी मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैंने कभी भी देश और लोगों से किए अपने वायदों के विरुद्ध जाने का प्रयत्न नहीं किया। मैंने चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्य अवधि-मूल्यांकन के समय प्रधानमंत्री को अपने विचारों से अवगत करा दिया था। सितम्बर 1972 में मैंने मूल्य वृद्धि आवश्यक वस्तुओं और आम उपयोग की चीज़ों तथा उनके वितरण के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी भेजा था। मैंने इस सम्बन्ध में गम्भीर चर्चा करने और निर्णय लेने पर ज़ोर दिया। विधान नगर, कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में शिक्षित युवकों को यह आश्वासन दिया गया था कि प्रति वर्ष 5 लाख अतिरिक्त रोज़गार शिक्षित बेरोज़गारों के लिए बनाये जायेंगे। इस कार्य के लिए योजना आयोग में बताए गये विभाग का भार मुझे सौंपा गया। इस कार्यक्रम को बनाने तथा लागू करने के लिये मैंने हर सम्भव प्रयत्न किये। खेद है कि इस कार्यक्रम के लिए 1975-76 के बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नरोरा कार्यक्रम के अनुसार आवास, भूमिहीन लोगों को आवास स्थान देने तथा इस योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करने की ओर भी मैंने नेताओं का ध्यान खींचा। खेद है कि मेरे प्रयत्न असफल ही रहे।

जनता हमेशा कांग्रेस का समर्थन करती आयी है लेकिन अब उन्हें दिये गये वायदे भुला दिये गये हैं और उनकी आशायें, निराशाओं में परिवर्तित हो गई हैं, मैं अपने दल के कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये अपनी आवाज़ उठाना अपना राष्ट्रीय दायित्व समझता हूं। मैंने जन कल्याण के लिये सभी प्रकार के प्रयास किये हैं और करता रहूंगा। मैं अपनी कर्तव्यपरायणता के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूं इस अधिकृत मार्ग से, जो हमारे शहीदों के बलिदान से पावन है, मुझे किसी प्रकार की बाधा विचलित नहीं कर सकती।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till half Past Fourteen of the clock

---

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 34 मिनट पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha re-assembeled after lunch at Thirty four miniutes past fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

Shri Janeshwar Misra (Allahabad): section 144 has been imposed around the Parliament House. The Home Minister should look into it. People are being prevented from participating in the demonstration. A levy of Rs. 1500 per bus is being charged. Is it a the democracy or a dictatorship?

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाहते हैं । यदि इन्हें कुछ कहना है तो एक या दो मिनट में अपनी बात कह दें ।

Shri Janeshwar Misra: Owners of the buses through out the courtry have been threatened that they will be challaned in case they take the people for tomorrow's demonstration.

Railway authorities have been instructed to prevent the people from participating in the demonstration.

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad): The opposition parties are used to level allegations against the Government they should stop ticketless travelling by not taking the people to the demonstration. They also tried to burn the buses. We object to it.

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : ज्ञात हुआ है कि सरकार सामान्य सड़क तथा रेल परिवहन में भी रुकावटें डाल रही है । मैं इसका विरोध करता हूं।

Shri R.S. Pandey (Rajnandgaon): It is not proper to politicalise every thing. Buses and Railways are running as usual. No obstacles are being created.

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : लाखों आदमी कल के प्रदर्शन के लिये दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन यह सच है कि बस तथा ट्रक मालिकों को प्रदर्शनकारियों को दिल्ली न लाने के लिये बाध्य किया गया है । मैं इस रवैये का सख्त विरोध करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Bus permits were not given for taking the people to Delhi from Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra etc. In addition, police force of 6 states have been deployed at rounds roundabont Delhi to prevent entry into Delhi.

Deputy Inspector General of Police and S.P. have inspected the Lok Sabha and visitors and reporters are being prevented from seeing the Lok Sabha session.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपने विचार प्रकट कर दिये हैं । उस पक्ष के सदस्यों ने भी अपने विचार प्रकट कर लिये हैं । बात यहीं समाप्त हो जानी चाहियें ।

Shri Hukam Chand Kachwai: Lok Sabha passes are not being issued.

उपाध्यक्ष महोदय : अपने अपने विचार प्रकट कर लिये हैं और इन्होंने भी अपने विचार प्रकट कर लिये हैं । बात यही समाप्त हो जानी चाहिये ।

गुजरात बजट, 1975-76

THE GUJARAT BUDGET, 1975-76

उपाध्यक्ष महोदय : गुजरात राज्य वर्ष 1975-76 की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के प्रस्तुत किये जाने से पूर्व, श्री मावलंकर एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहते हैं । श्री मावलंकर ।

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्रीमन्, मेरा औचित्य प्रश्न इस प्रकार है । गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू है और इसीलिए इस सभा में आज गुजरात बजट प्रस्तुत किया जा रहा है

मेरी आपत्ति यह है कि गुजरात का बजट इसी सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। फिर सरकार ने इसे पहले दूसरे सदन में प्रस्तुत क्यों किया ? यह संविधान, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों और अध्यक्ष के निदेशों के प्रतिकूल है। इस सभा को सभी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिये मुझे हैरानी है कि सरकार ने गुजरात बजट और अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दूसरे सदन में पहले प्रस्तुत करना उचित समझा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं इसके लिये क्षमा चाहता हूं। यह निर्णय किया गया था कि बजट पहले यहां प्रस्तुत किया जायेगा फिर उसके बाद दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। किन्तु कार्य सूची में हमने देखा कि गुजरात बजट ध्यानाकर्षण के बाद प्रस्तुत होना था। किन्तु ध्यानाकर्षण के बाद सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित हो गई और इसलिये बजट यहां प्रस्तुत नहीं हो सका। जब मेरी सहयोगी उप-मंत्री, ने यह मामला दूसरे सदन में उठाया तो दूसरे सदन के उप-सभापति ने उन्हें इसे उस सदन के पटल पर रखने की इजाजत दे दी और उन्हें इसे वहां सभा-पटल पर रखना पड़ा। इसलिये इस सभा को जो असुविधा हुई उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर: मंत्री महोदय ने जो क्षमायाचना की है उसकी मैं सहराना करता हूं। किन्तु यह संविधान और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन है। संवैधानिक उपबन्ध और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार, सभी वित्तीय शक्तियां इसी सभा को प्राप्त हैं। राज्य सभा तो इस पर केवल चर्चा ही कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में संविधान में बजट को राज्य सभा में प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। प्रक्रिया सम्बन्धी नियम संविधान में ऊपर नहीं हैं। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्य सभा में पुनःस्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिये वित्तीय मामलों में इस सभा को प्राथमिकता प्राप्त है। इस मामले में जो थोड़ी-सी अनियमितता हो गई है उसके लिये मंत्री ने क्षमायाचना कर दी है। इसलिये इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर: भारत सरकार का केन्द्रीय बजट सदैव लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्य सभा में नहीं। गुजरात बजट भी केन्द्रीय बजट की तरह ही है क्योंकि गुजरात में इस समय केन्द्र का शासन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बजट प्रस्तुत करने और धन विधेयक प्रस्तुत करने के बीच अन्तर बता दिया है। धन विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता किन्तु बजट पहले यहां प्रस्तुत किया जाता है बाद में यह दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। मंत्री महोदय ने क्षमायाचना की है और बताया है कि यह अनियमितता किन परिस्थितियों में हुई। हमें उनकी क्षमायाचना को स्वीकार करना चाहिये।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : श्रीमान जी, मैं सदन के सम्मुख 1975-76 के वित्तीय वर्ष के लिए गुजरात राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। बाद में इसी सत्र में, मैं 1975-76 के प्रथम पांच महीनों के लिए जब तक पूरे वर्ष के खर्च की स्वीकृति नहीं मिल जाती, राज्य सरकार के प्रशासन और विकास पर किये जाने वाले अत्यावश्यक खर्च को उठाने के वास्ते जरूरी धन के लिए लेखानुदान भी प्रस्तुत करूंगा।

संशोधित अनुमान 1974-75

2. संसद् द्वारा पारित 1974-75 के बजट अनुमानों में कुल 3 लाख रुपये की मामूली-सी बचत दिखायी गयी थी। लेकिन गैर-जरूरी खर्चों में किफायत करने, अतिरिक्त धन जुटाने, सरकारी रकम की वसूली की गति बढ़ाने और केन्द्रीय सरकार से आयोजना के लिए सहायता के रूप में 14.14 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि मिल जाने के बावजूद भी चालू वर्ष में सम्पूर्ण स्थिति यह है कि अब 70 लाख रुपये की कमी का अनुमान है। इसका मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार को असाधारण सूखे से पीड़ित लोगों के लिए सहायता कार्यों पर बहुत अधिक धन राशि खर्च करनी पड़ी है, सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो गयी है तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की और किश्त अदा करनी पड़ गयी। वर्ष के प्रारम्भ में राज्य सरकार के पास 5 लाख रुपये के नकद शेष का मूल अनुमान लगाया गया था, इसकी तुलना में वार्षिक नकद शेष में 2.63 करोड़ रुपये कम थे। इसके परिणामस्वरूप अब यह अनुमान है कि राज्य सरकार के पास वर्ष के अन्त में 3.30 करोड़ रुपये की कमी होगी।

बजट अनुमान 1975-76

3. 1975-76 में, राजस्व से 391.99 करोड़ रुपये की प्राप्ति और राजस्व खाते में 364.06 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है जिससे राजस्व खाते में 27.93 करोड़ रुपया शेष बच जायेगा। पूंजी खाते में प्राप्तियों के मुकाबले भुगतानों की रकम के 31.20 करोड़ रुपये बढ़ जाने का अनुमान है। इस प्रकार कुल मिलाकर, 1975-76 के अनुमानों में 3.27 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान किया गया है और इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार वर्ष के अन्त तक अपनी जमा राशि से 6.57 करोड़ रुपये अधिक निकाल चुकी होगी। इसलिए, स्पष्टतः घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 1975-76 में नये साधन जुटाने की जरूरत पड़ सकती है।

राज्य का 1975-76 का आयोजना परिव्यय

4. 1975-76 में राज्य की आयोजना पर खर्च के लिए 187.65 करोड़ रुपये रखे गये हैं जिसमें सूखे और अन्य दैवी विपत्तियों से उत्पन्न समस्याओं का प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए अनन्तिम रूप से, 15 करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की रकम शामिल है। आयोजना के लिए परिकल्पित खर्च में से 51.08 करोड़ रुपये की रकम स्थानीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने साधनों से पूरी कर दी जाएगी और बाकी 136.57 करोड़ रुपये के लिए राज्य के बजट में व्यवस्था कर दी गयी है जिसे मैंने अभी प्रस्तुत किया है। 1975-76 में राज्य की आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुमान 32.17 करोड़ रुपये लगाया गया है जो उतना ही है जितना चालू वर्ष में था। इसमें, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है अग्रिम के रूप में दी गयी सहायता शामिल नहीं है। 1975-76 के लिए आयोजना तैयार करते समय, साधनों की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए बिजली, सिंचाई कृषि उत्पादन जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों और भू-संरक्षण, वनरोपण, लघु सिंचाई आदि उत्पादनशील श्रम प्रधान कार्यों की आवश्यकताओं पर समुचित जोर दिया गया है ताकि अभावग्रस्त क्षेत्रों को सहायता देने की समस्या का मुकाबला किया जा सके।

सूखा

5. लगातार तीन वर्षों से वर्षा न होने तथा 1972 में राज्य के कुछ भागों में भयंकर बाढ़ आ जाने के कारण राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। लगभग दो तिहाई गांव कहीं पूरे अभाव

और कहीं आधे अभाव की स्थिति से ग्रस्त हैं । और छह लाख से ज्यादा लोगों को, सरकार द्वारा शुरू किये गये विभिन्न सहायता कार्यों के अन्तर्गत काम दिया जा रहा है । सरकार जहां आवश्यक समझती रही है वहां नकद सहायता भी देती रही है । अभावग्रस्त क्षेत्र के प्रत्येक मजदूर को हर महीने में 8 किलोग्राम अनाज देने के लिए आवश्यक उपाय किये गये हैं । इसके अलावा अभावग्रस्त क्षेत्र के लोगों में विटामिन की गोलियां और अन्य दवाएं वितरित करने का काम भी शुरू किया गया है । हमें गुजरात की कई स्वयंसेवी संस्थाओं का आभार प्रकट करना चाहिये जो सरकार के सहायता कार्यों के अलावा अनेक सहायता कार्य कर रही हैं । यद्यपि वित्त आयोग ने सहायता कार्यों पर राज्य सरकार के गैर-आयोजना खर्च के लिए 4.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे लेकिन 1975-76 के बजट में इस प्रयोजन के लिए 11.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, सहायता कार्यों पर होने वाले आयोजना परिव्यय के लिए भी बजट में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों के कार्यक्रम से भी जिसके लिए 1975-76 के बजट में 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, अभाव को कम करने में सहायता मिलेगी ।

अनाज का सरकारी वितरण

6. राज्य में अभाव की स्थिति पैदा होने के कारण अनाज का सरकारी वितरण करने की व्यवस्था को काफी व्यापक बनाया गया है । इस वर्ष जनवरी के महीने में एक लाख टन से अधिक अनाज का वितरण किया गया जबकि पिछले वर्ष 64 हजार टन अनाज का वितरण किया गया था । राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के बाजारों से अनाज खरीद कर तथा केन्द्रीय पूल से अधिक अनाज प्राप्त कर अनाज की सरकारी वितरण व्यवस्था के लिए आवश्यक अनाज की मात्रा बढ़ाने के लिए जोरदार प्रयास किया । केन्द्रीय पूल से फरवरी 1975 में 92,000 टन अनाज नियत किया गया था जबकि इससे पहले के महीने में 87,000 टन अनाज नियत किया गया था ।

कृषि उत्पादन

7. सूखे की स्थिति पैदा हो जाने से 1974-75 में खेती की पैदावार पर अत्यधिक बुरा असर पड़ा । 1974-75 में खरीफ की फसल से जितना अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था उसमें 22 लाख टन की कमी हो गयी । रबी की फसल के भी सन्तोषजनक होने की सम्भावना नहीं है । राज्य सरकार ने अपने राज्य में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए कई उपाय किये हैं जिनमें कुछ लम्बे अर्से वाले उपाय भी हैं । कृषि कार्यक्रमों का मार्गदर्शन और जांच करने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनायी गई है । राज्य में, बीजों की सप्लाई की व्यवस्था को स्टीक बनाने के लिये एक फाऊंडेशन सीड कारपोरेशन भी बनाया जा रहा है । बहुप्रयोजनी, बड़ी, दरम्यानी और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विकास करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है । उकाई परियोजना के जो कि पूरी हो चुकी है, नहर सम्बन्धी निर्माण-कार्यों की गति तेज कर दी गई है । भूमिगत जल को, जिसका स्तर बहुत नीचे चला गया था ऊपर लाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में चैक डैम के तीन वर्षीय कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है । बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता का पूर्ण उपयोग करने और सिंचाई के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के समन्वित विकास की सुनिश्चित व्यवस्था करने के उद्देश्य से दो क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गयी है अर्थात् पहला उकाई-काकरापार के लिए तथा दूसरा मही कडाणा परियोजना के लिए ।

बिजली का उत्पादन

8. अगस्त और दिसम्बर, 1974 में उकाई पन-बिजली परियोजना के पहले दो यूनिटों के चालू हो जाने के बाद राज्य में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता जो 1973-74 के अन्त में 1142 मेगावाट थी, बढ़कर 1292 मेगावाट हो गयी। आशा है कि तीसरा यूनिट शीघ्र ही तथा चौथा यूनिट दिसम्बर, 1975 के अन्त तक चालू हो जायेगा। उकाई तापीय बिजली केन्द्र की दो यूनिटों के जून और सितम्बर, 1975 में चालू हो जाने की आशा है।

औद्योगिक विकास

9. कलोल स्थित आई० एफ० एफ० सी० ओ० फर्टिलाइजर प्लांट नवम्बर 1974 में चालू किया गया तथा प्रधान मंत्री द्वारा भारत के किसानों को समर्पित किया गया। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लिमिटेड ने 1350 मैट्रिक टन अमोनिया और 1600 मैट्रिक टन यूरिया का दैनिक उत्पादन करने की क्षमता वाले नये फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना के लिए आशय पत्र प्राप्त कर लिया है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कम्पनी का केप्रोलेक्टम प्लांट मार्च 1974 में चालू किया गया था। गुजरात औद्योगिक विकास निगम ने 4,000 औद्योगिक शेडों का निर्माण करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। तीन नयी कम्पनियों को भी जिनका नाम दी गुजरात टायर्स लिमिटेड, गुजरात एलकलीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड व पोलीमेर कारपोरेशन आफ गुजरात लिमिटेड है, पंजीकृत कर दिया गया है। राज्य में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग का विकास करने के लिए सरकार इलैक्ट्रोनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कर रही है। भारत सरकार ने भी गुजरात में दूसरी सिक्यूरिटी पेपर मिल की स्थापना करने का निश्चय किया है। कुटीर और लघु उद्योगों के क्षेत्र में भी गुजरात खादी बोर्ड को अतिरिक्त राशि, अभाव वाले क्षेत्रों में रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए दी गयी है।

पिछड़े वर्गों के लोगों का कल्याण

10. राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि के क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम शुरू किये हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, खानाबदोष जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की रकमों को भी बढ़ा दिया गया है। राज्य में जनजाति के लोगों के लिए एक जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना तैयार की गयी है। राज्य सरकार ने छुआछूत को दूर करने के लिए जोरदार कदम उठाये हैं तथा राज्य सरकार के राजपत्रित पदों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लोगों को रोजगार देने के लिए उनके आरक्षित कोटे में वृद्धि कर दी है। अनुसूचित जातियों का सामाजिक व आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये एक हरिजन विकास निगम की स्थापना करने का भी निश्चय किया गया है।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें व (गुजरात) 1974-75

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GUJARAT), 1974-75

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं गुजरात राज्य की वर्ष 1974-75 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

रेल बजट 1975-76 सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET, 1975-76-GENERAL DISCUSSION

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) रेल बजट को, जिसे लाभप्रद बजट कहा गया है, इस तरह से पेश किया गया है जिससे सत्ताधारी दल को चुनाव लड़ने में सहायता मिले। इसी कारण इसे आशावादी ढंग से पेश किया गया है। लेकिन सामाचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रेल व्यवस्था बिगड़ गई है जिसे इस बजट से ठीक नहीं किया जा सकता। यह स्थिति यथार्थ से नितान्त असंगत और दूर है।

रेल मंत्री ने कहा है कि आगामी वर्ष की सम्भावनायें और औद्योगिक प्रगति हमारी कृषि अर्थ-व्यवस्था तथा जीवन निर्वाह लागत पर ही निर्भर करेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था और अधिक बिगड़ी है।

बताया गया है कि खाद्यान्नों और लोह-अयस्क आदि के रेल भाड़े में मामूली-सी वृद्धि हुई है और इसका खाद्यान्नों के मूल्यों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन्तु हमारी अर्थव्यवस्था में यह बात सत्य सिद्ध नहीं होती। व्यापारियों को जब कभी भी मूल्य बढ़ाने का मौका मिलता है वे नहीं चूकते। इससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और इसीलिये सरकार की आशावादी विचारधारा यथार्थ से परे है। वास्तविकता तो इसके विपरीत है।

दूसरी बात यह है कि जब तक रेल प्रशासन के समूचे ढांचे में ही परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक रेलों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। औपनिवेशिक शक्तियों ने जैसा ढांचा तैयार किया था आज तक वैसा ही चला आ रहा है। वही पुराना रेलवे बोर्ड और उच्च स्तर की नौकरशाही है जो रेल प्रशासन को चला रही है। धन नियतन और वितरण के सम्बन्ध में इसी पुरानी प्रणाली का पालन किया जा रहा है। सामान्य राजस्व को भुगतान करने की यह प्रणाली 1924 में ब्रिटिश द्वारा लागू की गयी थी और उस समय 1 प्रतिशत दर से लाभांश लिया जाता था। यह दर 1950-51 में बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दी गई थी। 1963-64 तक पूंजी निवेश पर 5.5 प्रतिशत की दर से लाभांश लिया जाता था और तभी से यह 6 प्रतिशत की दर से लिया जाता रहा है।

रेलवे की अर्थ व्यवस्था पर भारी आघात है। सामाजिक भार की बात भी है। बड़े व्यापारियों की छूट देने की वही पुरानी नीति, जिससे सामान्य जनता को भारी भुगतान करना पड़ता और भार उठाना पड़ता, अभी तक प्रचलित है। इस वर्ष भी यह सामाजिक भार लगभग 203 करोड़ रुपये का है। इस बात की बार-बार आलोचना होती है कि बड़े एकाधिकारी पूंजीपतियों के सामाजिक भार को जन साधारण ही क्यों वहन करें। जब रेल भाड़े में वृद्धि होती है तो यह सारा भार ग्राहकों में वितरित हो जाता है। यदि इस व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन न किया गया तो हम साधारण जनता की स्थिति और रेलों की अर्थ-व्यवस्था में कैसे सुधार कर सकते हैं?

जहां तक रेलों के कार्य का सम्बन्ध है, जिसके बारे में रेल मंत्री ने बजट भाषण में उल्लेख किया है, यह पता चलता है कि रेलों की स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी स्थिति अच्छी होने की आशा भी नहीं की जा सकती यद्यपि मंत्री महोदय ने ऐसा संकेत दिया है।

यहां मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। यह अनुमान लगाया गया है कि रेल यातायात में 19.2 करोड़ मीटरी टन की वृद्धि हो जायेगी। लेकिन हमारा अनुभव तो यह है कि वास्तविक वृद्धि हमेशा ही निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम होती है। यह यातायात केवल 18.5 करोड़ मीटरी टन ही है। इतना

अधिक अन्तर क्यों है ? इससे समूची नौकरशाही व्यवस्था की नितांत अक्षमता का पता चलता है। रेलों के कार्यकरण की कार्यकुशलता के सम्बन्ध में रेल मंत्री द्वारा किये गये बड़े-बड़े दावों के बावजूद रेल मंत्री ने स्वीकार किया है कि 31 मार्च, 1974 को रेलों को 208.02 करोड़ रुपये का घाटा था। रेल भाड़े और यात्री किराये में वृद्धि करने के बावजूद 128.19 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। आपने यह स्वीकार किया है कि योजना परिव्यय कम कर दिया गया है। माल यातायात और यात्रियों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में इस बजट में लक्ष्य तैयार किये गये हैं। वे पिछले अनुभवों पर आधारित है और यथार्थ नहीं हैं।

यदि आप वास्तव में रेलों की स्थिति में सुधार चाहते हैं और उसका औपनिविशक ढांचा समाप्त करना चाहते हैं तो हमें कर्मचारियों और श्रमिकों का पूरा सहयोग लेना चाहिये।

रेलों की वित्त व्यवस्था में सुधार के लिए अतीत में भी कई सुझाव दिये गये हैं। हम भी रेल प्रशासन के साथ सहयोग देने को तैयार हैं बशर्ते कि रेल प्रशासन भ्रष्टाचार तथा अन्य कदाचारों को समाप्त करने के लिये तैयार हो जाये। हमने यह सुझाव दिया है कि अनेक यूनियनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक समिति गठित की जाये जिससे हम भ्रष्ट प्रथाओं के विरुद्ध गम्भीरतापूर्वक अभियान चला सकते हैं लेकिन यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है।

आज एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया था जिसमें यह बताया गया है कि केवल एक डिवीजन में 16 लाख रुपये की चोरी हुई है। श्री कुरेशी ने एक प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ रुपये की हानि होती है। 'असिस्टिड साईडिंग' में कदाचार का बोलबाला है। इन 'साइडिंगों' का गैर-सरकारी फर्में दुरुपयोग कर रही हैं जहां इन कम्पनियों के लिए वैगनों को अलग कर के रखा जाता है। इन कम्पनियों पर 50 लाख रुपये की राशि बकाया है। 'असिस्टिड साइडिंगों' के दुरुपयोग से रेलों को प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

इंजनों तथा अन्य भारी पुर्जों के लिये अमरीकी सहयोग कम्पनियों से समझौते करने से रेलवे प्रशासन भारी धन व्यय कर रहा है और लक्ष्यों की पूर्ति भी नहीं हो रही है। इस कारण रेलों द्वारा भारी धन राशि नष्ट की जा रही है। इस प्रकार के विदेशी ठेके रद्द कर दिये जाने चाहिये और हमारे रेल उद्योग को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये।

अब मैं औद्योगिक सम्बन्धों पर आता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने घोषणा की है कि रेलवेज को उद्योग माना जाये। मियाभाई न्यायाधिकरण और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है। लेकिन रेलवे को उद्योग के रूप में घोषित नहीं किया गया है। हम यह मांग तब तक करते रहेंगे जब तक इसे पूरा नहीं किया जाता। कहा गया है कि गत मई की दुखद घटना के बाद श्रम-सम्बन्धों में काफी अधिक सुधार हुआ है। लेकिन यह बात सही नहीं है। रेल कर्मचारियों का निर्दयता से दमन किया गया है और यह दमन चक्र अभी तक चालू है। रेल कर्मचारियों को अधिक काम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया है और बजट में यह बात स्वीकार की गई है।

रेलमंत्री ने उत्पादन में बहुमुखी वृद्धि की सराहना की है। लेकिन यह स्थिति रेल कर्मचारियों पर अधिक कार्य भार डाल कर ही पैदा हुई है। सरकार आतंक फैला रही है और कर्मचारियों को दासता की स्थिति में ला दिया है। उनमें धीरे-धीरे असंतोष और रोष बढ़ता जा रहा है तथा एक तूफान पैदा हो रहा है। यदि सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो यह तूफान भविष्य में कभी भी

विस्फोट कर सकता है । मुझे इस सम्बन्ध में कई रिपोर्टें मिली हैं कि उन लोगों को भी नौकरी पर वापस नहीं लिया गया है जिनके विरुद्ध तोड़फोड़ या हिंसा के आरोप नहीं है और जिन्हें हड़ताल से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था ।

सेवा में व्यवधान समाप्त करने की घोषणा अभी तक लागू नहीं की गई है । निचले स्तर के अधिकारी यह कहते हैं कि मंत्री ने सभा में चाहे कुछ भी घोषणा की हो पर जब तक उन्हें लिखित में आदेश प्राप्त नहीं होते वे सेवा में व्यवधान समाप्त नहीं करेंगे ।

स्थिति और भी बिगड़ रही है । स्वर्गीय रेल मंत्री ने कई बार यह घोषणा की कि जिन संघों की मान्यताप्राप्त नहीं उनके पदाधिकारियों से वे वार्ता करेंगे । लेकिन जब भी ये पदाधिकारी स्थानीय अधिकारियों से बात करना चाहते हैं तो वे इन्कार कर देते हैं । मजदूर संघों को रेल सेवाओं से हटाने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है । पुराने कर्मचारियों को सेवा में नहीं लिया जा रहा है । कई ऐसे मामलों का पता चला है जहां सरकार के प्रति वफादार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है । बिना योग्यता अथवा अनुभव का ख्याल किये लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं । बदले की भावना से लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है । कलकत्ता, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा केरल के उच्च न्यायालयों ने रेलवे बोर्ड की कार्यवाही के विरुद्ध निर्णय दिये । लेकिन रेलवे बोर्ड इन निर्णयों को स्वीकार करने के बजाये उल्टे अपील कर रहा है ।

सुरक्षा उपायों का खुलकर उल्लंघन हुआ है । गाड़ियां बिना ब्रेक वेन तथा गार्डों के चलायी जा रही हैं जिसके कारण बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं । जिन गार्डों ने इन गाड़ियों को चलाने से इन्कार किया उन्हें दंडित किया जा रहा है । पुराना रोलिंग स्टाफ काम में लाया जा रहा है । यह कहना तथ्यों को झुठलाना होगा कि अगला वर्ष रेलवे की प्रगति का वर्ष होगा । नौकरी से हटाये जाने वाले मामलों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये । सभी कर्मचारियों को सेवा में वापस लिया जाये । मैं आपको पुनः चेतावनी देता हूं कि एक तूफान उठ रहा है और यदि ध्यान न दिया गया तो वह रेलवे बोर्ड सहित सभी को अपनी लपेट में ले लेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे संसदीय कार्य मंत्री से एक अनुरोध करना है कि कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को 10 मिनट का समय दिया जाये । यह उनके दल का आंतरिक मामला है । मुझे आशा है वह उसका ध्यान रखेंगे ।

Prof. Narain Chand Parashar (Hamirpur): I consider it my privilege to welcome the 15th Railway Minister of Free India Sri Kamlapati Tripathi and the budget presented by him. It is a matter of great satisfaction that fares and freight had not been increased. Some minor increases in one or two items are there, but these were necessary because after all the Railways needed money.

A very important announcement made by the Minister is this that he has condoned the break in service of railway employees who had taken part in the strike but who had not been charged with activities of sabotage and violence. This announcement was all the more welcome since the opposition had been left with nothing to attack the administration.

The Minister should see that this assurance and undertaking which he has given is fully implemented by the Zonal and Divisional Offices. It happened sometimes that generous measures announced by the highups never reached the lower level.

The proposals to give representation to educational institutions in Consultative Committees and to set up reservation centres in the University Campus before the Commencement of vacation are most welcome.

It is hoped that the efforts made by the late Shri L. N. Mishra and the initiative taken by him in improving the working of railways would be continued with greater vigour. The bureaucratic method of working has an adverse effect on the functioning of railways. It had been the endeavour of Shri Mishra to set this right. We hope that efforts will continue in that direction and the wheels of the railways continue to move on without bureaucratic obstructions.

We also hope that the proposal initiated by the former Minister in regard to the construction of new railway lines in areas like Maghalaya and Arunachal will be followed up. The surveys, after the starting work, should not be thrown in the cold storage. It is the duty of railway administration to provide railway lines in the backward regions. We will have to take into consideration the needs and demands of the people of all the States. In our State, the Nangal-Talwara line was inaugurated in December, 1974. Our Chief Minister has repeatedly asked that work on this project should not stop. It will be unfair to say that the new railway works should not be undertaken on the basis of States.

Much was said about economy in railways. If economy is to be observed, then unnecessary projects should be scrapped. Today we find that a lot of money is being unnecessarily spent.

All the trains from Pathankot have been extended further towards Kashmir. If Kash mir is important, Himachal too is important and it should be given a fair and just treatment. In the construction of Pong Dam, the railway line in our area had submerged into water. It was ssured in Parliament that trafffic will start on this line by the 31st December 1975. Now it was announced that this has been postponed for six months. Was it fair and proper? This is not the way to treat the assurances given in the House. We should see that all the assurances are fulfilled and the States given a fair deal.

The rules in the railways provided that if an employee died while on duty his son should be provided a job within six months. But in reply to a question we have been told that 45 persons are still there who have to be provided with jobs. Was this fair and just on the part of the administration to deny employment to those whose fathers or guardians died while serving the railways? The Government should think seriously about it.

In the name of economy, the axe unfortunetely always fell on the poor casual workers, the worker who is not confirmed. This is not the proper way to curtail the expenditure. The use of saloons has not been stopped as yet. You should look into all these things. I assure you that the workers of the country are with you.

श्रीमती पार्वती कृष्ण (कोयम्बतूर) : अब चूंकि मजाक समाप्त हो गया है अतः मैं गम्भीरता पूर्वक कुछ कहना चाहती हूं। सबसे पहले मैं श्री ललित नारायण मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं। उनमें बुराइयों के साथ कुछ अच्छाइयां भी थीं।

जहां तक रेल मंत्री के भाषण का सम्बन्ध है मैं कहना चाहती हूं कि उनका भाषण कुछ-कुछ अच्छा है और कुछ-कुछ बुरा भी।

पहली बात जिसका मैं स्वागत करती हूं वह यह है कि उन्होंने पहली बार एक ठोस बात कही है जो रेल भवन में बैठे नौकरशाही को शायद अच्छी न लगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सेवा में व्यवधान समाप्त कर दिया जायेगा। यह मांग मई, 1974 से की जाती रही है। इस संबंध में श्री ललित नारायण मिश्र और राज्य मंत्री श्री कुरेशी ने काफी कार्य भी किया था। इसके लिए में उनका धन्यवाद करती हूं और चाहती हूं कि जब वह वाद-विवाद का उत्तर दें तो यह स्पष्ट कर दें कि क्या उन कर्मचारियों को भी क्षमा किया जायेगा। जिन्हें कई महीनों तक नौकरी से निकालकर पुनः वापस लिया गया है और जिनकी अपीलें रेलवे बोर्ड के विचाराधीन हैं। हम कई वर्षों से रेलवे में बढ़ते घाटे का सामना कर रहे हैं। रेलवे की स्थिति ठीक नहीं हैं। ऐसा क्यों है ? इस बात का उल्लेख न तो बजट में किया गया है और न ही किसी रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। केवल वही घिसी पिटी बात कहीं गई है कि कर्मचारी अपना समुचित सहयोग नहीं देते। किन्तु प्रश्न यह है कि रेलवे बोर्ड क्या कर रहा है ? रेलवे की वित्तीय स्थिति को ठीक दशा में रखने के लिए रेल मंत्रालय क्या कर रहा हैं ? हमें इसका कोई पता नहीं है। अतः मैं इसे अच्छा बजट नहीं कहती। यह तो एक प्रकार का रेलवे बोर्ड का बजट है। मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस वर्ष रेलवे बोर्ड के कार्यकरण में सुधार के लिए आरम्भ से ही इसके पुनर्गठन के लिए ठोस कदम उठायें। इसका पुनर्गठन इसलिए आवश्यक है ताकि अगले वर्ष हम यह जान सकें कि रेलवे की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। यह हमारे देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग है। चाहे सरकार इसे उद्योग न कहे किन्तु हम तो इसे उद्योग ही कहेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार रेलवे को एक वाणिज्यक उपक्रम के रूप में चलाये। रेलवे में धन की व्यवस्था में सुधार करना नई लाइनें बिछाने के लिए ही नहीं अपितु इस बात के लिए भी आवश्यक है कि रेल कर्मचारियों को औद्योगिक वेतन मिल सके। जिसे बातचीत के दौरान श्री कुरेशी ने स्वीकार किया है। इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। वही घिसी पिटी बातें इसमें दोहराई गई हैं।

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजट के आंकड़ों में हेरा फेरी हुई है किन्तु इस बार उनका स्वरूप कुछ-कुछ और है। माल की ढुलाई तथा माल डिब्बों के उपयोग में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमें आश्वासन दिया जाता है कि कुछ विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे किन्तु आज भी हम देखते हैं कि इस्पात तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई नहीं हो रही है। मैं जानना चाहती हूं कि रेलवे प्रशासन ने माल की अधिकतम ढुलाई के लिए क्या ठोस कदम उठा रहा है। रेलवे को इसी से अधिकतम आय प्राप्त होती है। हमें प्रत्येक माल डिब्बे से माल ढुलाई द्वारा कितनी आय होती है ? हमें यह भी नहीं पता कि क्या प्रत्येक माल डिब्बे का पूरी क्षमता से उपयोग किया जाता है । हम इस बात से सर्वथा अन-भिज्ञ हैं कि माल डिब्बों को माल ढुलाई के लिए कहां तक उपयोग में लाया जाता है। यदि हमें इसकी जानकारी हो जाये तो हम फिर यह सोच सकते हैं कि इसमें सुधार के लिए और क्या किया जा सकता है फिर हम यह भी बता पायेंगे कि उढाईगिरी तथा चोरियां कहां-कहां होती हैं। वित्तीय स्थिति के बारे में बजट में कुछ नहीं बताया गया है। मैं जानना चाहती हूं कि रेलवे में उठाईगिरी तथा चोरियों के लिए कोई कार्यवाही की गई है अथवा नहीं ?

हमें वाणिज्यिक दृष्टिकोण से आंकड़े दिए गए हैं। इसका कोई वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया गया है। मैं आपको यह उदाहरण देती हूं। उत्तर सीमान्त रेलवे में चाय की ढुलाई में गिरावट क्यों आई है। 1971-72 में आसाम के चाय बागानों से 62.6 प्रतिशत चाय की ढुलाई हुई थी जो 1973-74 में घटकर 34.4 प्रतिशत हो गई। यह कमी हड़ताल के कारण नहीं हुई। जब कभी इस तरह की कोई गिरावट आती है तो कह दिया जाता है कि इसके लिए कर्मचारी ही दोषी है।

इसी तरह पटसन की ढुलाई में भी गिरावट आई है। आखिर इसका कारण क्या है ? चाय कलकत्ता पहुंचाने के लिए चाय बगानों को माल डिब्बे उपलब्ध करने में 7 से 10 दिन तक क्यों लग जाते हैं ? वहां चाय का उत्पादन भारी मात्रा में होता है फिर उसे वहां से अन्य स्थानों पर पहुंचाने के लिए काफी संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध क्यों नहीं किए जाते। कम दूरी का माल सड़क परिवहन द्वारा ढोया जाना चाहिए। माल ढुलाई को व्यापार प्रधान बनाने के लिए क्या रेल और सड़क परिवहन में ऐसा समन्वय नहीं होना चाहिए ? मंत्री महोदय को इस तरह समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि हमें यह पता लग सके कि हम प्रति वैगन कितना कमा रहे हैं और कितने वैगनों का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही हमें यह पता चल सके कि इससे हमारी कुछ आय हो भी रही है अथवा नहीं। इस तरह का बजट पेश करने का कोई लाभ नहीं है जिसमें केवल यह कह दिया हो कि हमें इतना लाभ हुआ है या इतनी हानि हुई है। अतः रेलवे को वाणिज्यिक प्रधान बनाया जाना चाहिए ताकि हम प्रति वैगन अधिक कमा सकें।

अब पुनः रेलवे बोर्ड की बात करें। वहां दो प्रकार का कार्यकरण चल रहा है। गत वर्ष का हमें कड़वा अनुभव है। इस बोर्ड का कोई राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है। यह बोर्ड किसी भी प्रकार का स्वस्थ वातावरण पैदा नहीं कर पा रहा है। रेल मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य है तथा मैंने क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को सेवा संबंधी सभी मामलों पर शीघ्रता से तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा है। किन्तु उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। आश्वासन दिए जाने के पश्चात् भी कर्मचारी तंग किए जा रहे हैं।

क्या आपने तथा स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने अपने भाषण में नहीं कहा था कि कर्मचारियों को तंग नहीं किया जायेगा ? फिर रेल प्रशासन क्या कर रहा है ?

स्वतंत्रता प्राप्ति के 27 वर्षों के बाद भी यह रेलवे बोर्ड जैसे का तैसा है। हो सकता है कि वहां कुछ लोग कार्य कुशल हों किन्तु सर्व प्रथम रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का पद समाप्त किया जाना चाहिए रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष रेल मंत्री को ही होना चाहिए।

25 अगस्त, 1974 को स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र ने कहा था कि 300 से अधिक आवास वाली रेलवे कालोनियों में उचित दर की दुकानों की व्यवस्था की जायेगी। किन्तु हुआ क्या है ? अब तक केवल 48 दुकानें खुली हैं।

मियां भाई न्यायाधिकरण की एक सिफारिश थी कि नैमितिक श्रमिकों को समाप्त किया जाये। रेलवे अधिकारियों ने इसका उपयोग दूसरे रूप में किया। उन्होंने उन्हें काम से हटाकर रोज की मजदूरी पर लगा दिया। इस प्रकार हड़ताल के दौरान जिन नैमितिक श्रमिकों को तंग किया गया उनकी ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

रेलवे बोर्ड औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कुछ नहीं जानता। आजकल रेलवे पर श्रम सम्बन्धी विधान के वे उपबन्ध लागू नहीं होते जो श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए श्रम मंत्रालय ने सबके लिए भविष्य निधि का प्रावधान किया है किन्तु वर्षों से नौकरी करने के बाद भी नैमितिक श्रमिकों को कोई भविष्य निधि नहीं दी जाती। ऐसे भी मामले हैं जहां रेलवे में लोगों ने 31-32 वर्षों तक सेवा की है किन्तु उन्हें किसी प्रकार की भविष्य निधि नहीं दी गई।

अब मैं दक्षिण भारत में रेलवे के बारे में कहूंगा । यह एक अपेक्षित क्षेत्र है । गत वर्ष स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने विजयवाड़ा-मद्रास सैक्शन के विद्युतीकरण में तेजी लाने के लिए कहा था । किन्तु कुछ भी नहीं किया गया है । दूसरी ओर उन कर्मचारियों की जो वहां काम कर रहे थे, आश्वासन के बाद पदावनति कर दी गई । मैं जानना चाहती हूं कि उस योजना का क्या हुआ ?

इसी प्रकार दक्षिण-पश्चिम बड़ी लाइन को दोहरा करने का काम एरुगुर तक ही पहुंचा है । वहां के कई कर्मचारियों को छटनी का आदेश दे दिया गया है । क्या वहां इस लाइन को दोहरा करने का कम बन्द हो गया है ? सलेम-बंगलौर की गाड़ियां बन्द पड़ी हुई हैं । तमिलनाडु और कर्नाटक को मिलाने वाली यह एक महत्वपूर्ण लाइन है । इस लाइन की उपेक्षा क्यों की जा रही है तथा गाड़ियों को रद्द क्यों किया जा रहा है ?

हमें आशा है कि रेलवे बोर्ड का चेयरमैन तथा रेल मंत्री एक ही व्यक्ति के होने से कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा । हम नहीं चाहते कि वहां दुहरी प्रणाली चले ।

Shri D. N. Tiwari (Gopalganj): The hon. Railway Minister in his speech has given expression to certain feelings, which if given practical shape could improve the working of the railways. The Minister looked upon the year 1975-76 as the year of promise, stabilisation and steady growth all round. In order to achieve these loudable objectives the Minister will have to keep the Railway Board under strict control.

[(श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए)
(**Shri Ishak Sambhli in the Chair**)]

The hon. Railway Minister in his speech expressed the hope that the fare and freight rates will remain the same next year. I want that the railways should make it commerce oriented so that they may improve their financial position.

It is gratifying to note that rail fares have not been increased. But he has increased the freight rates for transport of foodgrains. This will affect the consumers.

The Minister deserves congratulations for showing magnanimity towards the railways employees except those who were charged with sabotage or violence. It is hoped that the railway employees will work efficiently in view of this attitude of the Minister and will beware of those leaders who instigate them to go on strike over small things. No employer wants to have bad feelings for his employees.

It has been raised in the House again and again that a number of railways employees are still under suspension and there are also those who have been dismissed. These employees have not been taken back so far. The hon. Minister has said that only those employees have been dismissed or suspended who were involved in acts of sabotage and violence. I request the Hon. Minister that he should personally look into these cases and see that a final decision is taken in the matter and their cases considered sympathetically. Those who tried to destroy the railways, they should not at all be taken back.

There is credibility gap among the Railway Administration, employees and the public. After calling off the railway strike the Railway Minister had declared that the loyal employees will be promoted or their dependents will be given appointment in railways.

Some employees have been benefited but rest of them have not so far been benefited. These employees should be suitably awarded.

Railway finances are in dolldrums. Preventive steps should be taken to check ticketless travelling in railways. If this problem is solved the financial position of the railways can be improved. The traders want that their goods are transported safely and the passengers want comfort during their railway travelling.

There is no punctuality in railways. The running of trains in uncertain. No attention is being paid to this problem. As a result of late running of trains, passengers lose a lot of time.

One Deputy D. S. Office should be opened in Samastipur Zone to meet the heavy work-load there.

The work relating to conversion of metre gauge lines into broad gauge lines and also doubling of lines should not be stopped. The conversion of Samastipur-Muzaffarpur, Muzaffarpur-Chapra and Chapra-Barabanki lines should not be abandoned. The catering arrangements on railways are not satisfactory. Railways are suffering loss wherever they have their own catering arrangements. On the other hand the contractors are earning profit. This loss is only due to bad managements.

Very often many trains are cancelled on the plea that there is shortage of coal. The Ministry of Steel and Mines says that they have increased the production of coal but wagons to transport coal are not made available in adequate number. Which is correct? (*interruption*).

Railways are suffering loss due to negligence and improper arrangements.

Pilferages and thefts are constantly increasing on the railways as a result of which the railways have to pay a huge amount as compensation. I want to know whether Railway employees are also involved in these pilferages?......... (*Interruptions*). If you have strict control on railway administration, no pilferage will take place. If the problem of ticketless travelling, catering and compensation is solved, the railway will earn huge profits.

Dr. Laxmi Narain Pandeya (Mandsaur): It has always been said that the financial condition of railways will be improved, more amenities will be provided to the passengers, efficiency of the railways will be increased, but it is regrettable that nothing has been done in this direction so far. We hope the new Railway Minister will strive earnestly to achieve all these aims.

The Minister in his speech has said that there has been improvement in labour relations and a feeling of responsibility and sincerity has developed in their minds. He has decided to condone the break-in service of those employees who participated in the strike except those who were involved in sabotage and violence. But even today there is a large number of suspended or dismissed employees who have not been reinstated so far. I would request the Hon. Minister to look into those cases personally and reinstate them immediately.

It is a matter of satisfaction that the hon. Minister has not increased the rates of fare but on the other hand he has increased the freight rates for transporting foodgrains. This will certainly affect the common man. You have said that this amount will be spent for providing additional amenities to the passengers every year this assurance is given but it is not implemented. The passengers travelling by Second Class, have to face many difficulties. Despite provision to the tune of croses of rupees necessary facilities are not provided to the public.

The hon. Minister has made a mention about the punctuality in the running of railway trains, whereas the facts are quite opposite. Late running of trains is the order of the day in our country. At times the railway Trains are late by 24 hours. I would like the Minister to state the steps taken or proposed to be taken to ensure punctuality in the running of trains.

A large number of trains were cancelled on account of shortage of coal. The railways have to suffer loss to the tune of 1.88 crores per month on account of cancellation of Trains. It is surprising that railway trains are being cancelled on account of shortage of coal, whereas on the other hand the Minister of Mines and Metals is making all claims that there is no shortage of coal in the country. This matter should be looked into and improvement should be brought about otherwise the financial position of the railways is sure to deteriorate further.

We should consider the question as to why people prefer road transport to railways for the transporation of their goods. The simple answer is that people send their goods by road only because there is inefficiency in the movement of goods by rail. Wagons are not available to the people at small stations and at big stations also adequate number of wagons are not available to meet the requirement of the people. So they prefer to send their goods by road. All this have our adverse effect on the financial position of the railways. In order to attract more and more people to send their goods through railways it is necessary that proper facilities are provided for the movement of goods. Moreover steps should be taken to have Coordination in rail and road transport.

At present some business men pay demurrage and use the railway wagons as their own godown and do not unload their goods. The result is that frequency in the movement of wagons is adversely affected. The hon. Minister should direct the General Managers and the Divisional Superintendents to see that such things do not happen so that railways are not put to loss.

The Railway Minister has admitted the goods and passenger traffic of the railways have gone down considerably as a result of increase in railway freight and fares. Does this situation not warrant the justification of reducing the railway fares for commonmen ?

The number of railway accidents have gone up considerably. I would like to know as to what steps have been taken to see that accidents do not take place. At present there is no proper co-ordination between the Railway Board and Railway Ministry. Self contradictory orders are passed by the Railway Board and the Railway Ministry. This also is responsible for the number of accidents going up. Steps should be taken up to achieve coordination in their functioning. At present the situation is that no body knows whether

Railway Board is supreme or the Railway Minister is supreme. The railway Board should be reorganised and it should be ensured that the Railway Board works under the direction of Railway Ministry.

The railway Board pays no attention to the convenience of the public. Generally the timings of the trains should be changed twice in a year. But the railway administration changes the timings etc. of the trains at it's own sweet will, without any consideration what so ever to the convenience of the public. In Shamgarh 25 up and 26 Down trains were used to stop but all of a sudden a change was made without informing the people of the area. These trains do not stop at this station now. This has caused inconvenience to the people. Attention should be paid in this matter.

It was assure by the Railway Minister that vending licences and also the licences for book stalls etc. would be given to unemployed educated youngmen. But this assurance is not being put into practice. The contracts of wheeler and company and Gulab Singh and Company have been renewed. This shows that there is lot of bungling in the matter of giving licences for running of book stalls etc. This matter should be looked into.

In my constituency two out agencies have been set up at Mansa and Sitamall. These out agencies have been given to such persons who indulge in corrupt practices. There is embazzlement to the tune of lakhs of rupees. The whole matter should be inquired into by C.B.I., because it is a serious matter.

I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the fact that in a number of divisions diesel engines and steam engines are lying idle because spare parts are not available. The railways should take steps to manufacture the spare parts required for putting these engines into operation.

So far as Adivasi areas are concerned, it was assured that preference would be given to adivasi areas in the matter of providing railway facilities. In this connection I would like to quote the statement made by Late Shri L. N. Mishra on 20th February, 1973, which is as follows:—

> "Apart from the surveys proposed for improving the traffic capacity on the existing routes and for giving relief to hard pressed terminals at the major cities, surveys are also in progress or and being taken up for some new railway lines, which, when constructed, would promote the development of some backward areas in the country."

Despite this statement there are adivasi areas in Madhya Pradesh, Gujarat and U.P. where railway facilities are not available. Steps should be taken to provide rail facilities to these areas.

In the last I would like to point out that railways suffer huge losses on account of pilferage. If this loss is checked there would be adequate funds available for providing rail facilities even without increasing railway fares and freights.

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर) : महोदय, रेल मंत्रालय का कार्यभार छोड़ने के बाद मैं पहली बार रेलवे सम्बन्धी वाद-विवाद में भाग ले रहा हूं । यदि रेलें ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं तो इसके लिए रेलवे बोर्ड को दोषी ठहराना उचित नहीं है । मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं

कि रेलवे बोर्ड के सदस्य, अधिकारी तथा कर्मचारी कर्तव्य निष्ठा से एवं एक परिवार की भांति कार्य करते हैं । वस्तुतः संसदीय प्रणाली में प्रशासन को चलाने की जिम्मेदारी मंत्री की होती है और समुचित शक्तियां मंत्री महोदय के पास होती हैं । रेलवे बोर्ड के सदस्य तो अधिक से अधिक अपनी राय उन के समक्ष रख सकते हैं । उन की राय को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना मंत्री पर निर्भर होता है । भारत-बंगला देश युद्ध के दौरान उन्होंने जो शानदार सेवा की थी, उस को हम कभी नहीं भुला सकते हैं । अतः रेलवे बोर्ड के सदस्यों की आलोचना करना सही नहीं है । मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यदि मंत्री ईमानदार एव कार्यकुशल हो, तो वे शानदार काम कर सकते हैं । परन्तु रेलवे के कार्य के बारे में रेल मंत्री को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि गत दस वर्षों के दौरान लगभग दस रेल मंत्री रहे हैं । जब कोई मंत्री कार्य भार सम्भालने के बाद और समस्याओं को पूरी तरह समझने के बाद कार्य करने लगता है तो उसे बदल दिया जाता है । अतः हमें ईमानदारी से यह सोचना चाहिये कि इस के लिय कौन दोषी है ।

मैं नये रेल मंत्री का स्वागत करता हूं । वह मेरे अच्छे मित्र हैं । वे बनारस के रहने वाले हैं, जो सारे पापों को धोता है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय भी रेलवे प्रशासन को सभी पापों से धोयेंगे और वहां से भ्रष्टाचार, चोरी, उठाईगिरी, बिना टिकट यात्रा, समयोपरि अदायगी तथा विलम्ब आदि की बीमारियों को मिटायेंगे ।

महोदय, हम ने राशि के रूप में भ्रष्टाचार का मूल्यांकन नहीं किया है, परन्तु चोरी गये माल के लिये दिये जाने वाले मुआवजे की राशि जो मेरे समय में 12 करोड़ रुपये थी, अब बढ़कर 13.5 करोड़ रुपये हो गई है । इससे सिद्ध होता है कि रेलवे में भ्रष्टाचार और चोरी की घटनायें बढ़ रही हैं । इसका कारण यह है कि रेलवे सुरक्षा दल की चोरों और लुटेरों से मिली भगत है । मैं यह नहीं कहता कि रेलवे सुरक्षा दल में सभी बेइमान हैं, उनमें से अधिकांश कर्मचारी ईमानदार हैं । परन्तु यह सच है कि रेलवे सुरक्षा दल के कुछ कर्मचारी चोरों और लुटेरों से मिले हुए हैं । रेलवे सुरक्षा दल को दण्डित करके तथा चोरी को रोक कर हम 24 करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं । प्रत्येक डिविजन में हमें जिम्मेदारी निश्चित करनी चाहिये । हर डिविजन के सम्बन्धित रेलवे सुरक्षा दल अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये । हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये कि यदि चोरी की घटनायें हों तो, उनके वेतन में अनुपाततः कमी की जाये और यदि वे सही ढंग से कार्य करें तो उन के वेतन में वृद्धि की जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि इन लगभग 58000 रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सीमा सुरक्षा दल में भेजा जाये । इन्हें सीमा सुरक्षा दल के नियंत्रण में काम करने दिया जाये । यदि हम यह कदम उठाते हैं तो हम देखेंगे कि रेलवे में इस प्रकार की चोरियां तथा उठायीगिरी की घटनायें समाप्त हो जायेंगी । जब तक हम कोई हिम्मतवाला काम नहीं करते उस समय तक रेलवे प्रशासन सुचारू रूप से नहीं चल सकेगा ।

बिना टिकट यात्रा के कारण रेलवे को भारी घाटा हो रहा है । वर्ष 1968-69 में 24 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान था तथा अब यह राशि लगभग 50 करोड़ रुपये हो गई है । बिना टिकट यात्रा की बीमारी अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार में है । इस बारे में आवश्यक कदम उठाये जाने चाहियें ।

खतरे की जंजीर खींचने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं । यह संख्या 2,80,000 के लगभग पहुंच गई है । इस प्रकार की अव्यवस्था तथा अनुशासनहीनता के साथ रेलें कैसे कार्यकुशलता तथा उचित

ढंग से कार्य कर सकती हैं । विधि तथा व्यवस्था राज्यों के हाथ में है तथा उन्हें पूछना पड़ना है । इसलिये स्थिति को सुधारने के लिए समुचित समितियां गठित की जानी चाहियें ।

समयोपरि अदायगी के लिये रेलों तथा अन्य सेवाओं को चलाने में जानबूझकर विलम्ब किया जाता है ताकि कर्मचारी समयोपरि भत्ते की मांग कर सकें । मंत्री महोदय को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये ।

जहां तक समयनिष्ठा का प्रश्न है, मैंने एक बार पण्डित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि यदि कोई राष्ट्र परिवहन के मामले में विशेषकर रेलवे में समयनिष्ठा से काम नहीं ले सके तो यह सम्पूर्ण ढांचे की कार्य अकुशलता का प्रतीक है । जब तक हम समयनिष्ठा कायम नहीं करते तब तक हम कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं । इसलिये समयनिष्ठा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

अगली बात रेलवे लाइनों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में है । सभा ने मीटर लाइनों के निर्माण तथा हर नई लाइन को बड़ी लाइन बनाने सम्बन्धी कार्य को बन्द करने के लिये स्वीकृति दी थी । परन्तु इन कार्यों को कार्यक्रम के अनुसार ही चलाया जा रहा है । सम्भवतः रेलवे बोर्ड इस से सहमत नहीं है । वह नहीं चाहता कि बिना सोचे समझे रेलवे लाइनों को दौहरा अथवा तैहरा किया जाये । इस के विपरीत नये क्षेत्रों से रेलवे लाइन बिछाना अधिक लाभकर होगा । परन्तु यदि रेलवे मंत्री निर्णय करें और कहें कि सरकार की यही नीति है तो वे इसे कार्यान्वित करने से कैसे मनाह कर सकते हैं । ब्रिटिश काल के दौरान बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास इन तीनों महानगरों को दिल्ली के साथ रेल लाइनों के साथ जोड़ा गया था । परन्तु अब तो सब राज्यों की राजधानियां ही समान रूप से महत्व-पूर्ण हैं । सब राजधानियां दिल्ली से सीधी रेल लाइनों द्वारा जुड़ी होनी चाहियें । भुवनेश्वर, त्रिवेन्द्रम, बंगलौर तथा कई अन्य राज्यों की राजधानियां सीधी दिल्ली से जुड़ी हुई नहीं हैं । जब मैं रेल मंत्री था तो मैं ने राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से तथा आपस में जोड़ने सम्बन्धी कार्यक्रम बनाया था । लेकिन इस कार्यक्रम को भी छोड़ दिया गया है ।

प्रशासन में सुधार करने की बड़ी आवश्यकता है । जब मैं प्रशासनिक सुधार आयोग का सभापति था तो मैंने विख्यात व्यक्तियों का एक अध्ययन दल नियुक्त किया था । उन्होंने बड़ी शानदार रिपोर्ट दी थी । जब मैं रेल मंत्री बना तो मैंने तुरन्त उस रिपोर्ट की जांच कराई थी तथा रेलवे बोर्ड की सहमति से अपने कुछ प्रस्ताव पेश किये थे । फिर मैंने मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के लिये लिखा था जो अभी तक विचाराधीन है । इस प्रकार हम रेलवे बोर्ड को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं ।

अन्य महत्वपूर्ण बात वैगनों, इंजनों, कोच आदि के निर्माण में वृद्धि के सम्बन्ध में है । ईराक, सीरिया, फिलीपाइन तथा कुछ अफ्रीकी देश भारत से वैगन तथा कुछ अन्य चीजें खरीदना चाहते हैं हमें इस स्थिति में होना चाहिये कि निर्यात की शर्तों को पूरा कर सकें ।

सरकार को सहयोग से काम करने सम्बन्धी नीति अपनानी चाहिये । आजकल समाजवाद का युग है तथा समाजवाद केवल नारों से नहीं आ सकता । इसके लिये यह आवश्यक है कि रेलवे कर्मचारी प्रशासन तथा प्रबन्ध में भाग लें । रेलवे कर्मचारियों का केवल एक संघ होना चाहिये और उस संघ को एक ऐसे अनुभवी तथा ईमानदार व्यक्ति का प्रस्ताव करना चाहिये जो रेलवे बोर्ड में उन का प्रति-निधित्व कर सके । इस प्रकार की सहयोग की नीति संघ के नेताओं तथा प्रबन्ध के बीच बातचीत द्वारा बनाई जा सकती है । ऐसा करके ही हम समाजवाद के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं । यदि हम देश के सबसे बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में इसे सफलता से लागू नहीं कर सकते तो हम देश में समाजवाद कैसे ला सकते हैं ।

[डा० हेनरी ग्रास्टिन पीठासीन हुए]
[Dr. Henry Austin in the Chair]

मैं सीमित क्षेत्रवाद की बात नहीं करता, अपितु एक तथ्य का उल्लेख कर रहा हूं। मंगलौर हसन रेलवे का कार्य बन्द हो गया है। भूतपूर्व मंत्री ने दक्षिण के लिये नियत $6\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये उत्तरी भारत के लिये उपयोग में लाये हैं, जिसके फलस्वरूप वहां कार्य बन्द हो गया है। यह बहुत अनुचित बात है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि दक्षिण मैं यह प्रश्न चुनाव के दौरान उठाया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उन्हें क्षेत्रवाद के आधार पर नहीं सोचना चाहिये। वह काशी से आये हैं जिसका देश भर में सम्मान किया जाता है तथा उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा राज्य के लिये ही नहीं अपितु समूचे भारत के लिये सोचना चाहिये। रामेश्वरम् से दिल्ली के लिये सीधी लाइन का कार्य, जो मैंने अपने मंत्रीपद के काल में आरम्भ किया था, शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये।

भारतीय साम्यवादी दल की एक माननीय सदस्य ने कहा है की रेलों के वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाना चाहिये यह सिफारिश कुंजरू अध्ययन दल ने की थी और रेलवे बोर्ड ने उस पर निर्णय लिया था। रेलवे सेवा को लाभ कमाना चाहिये। परन्तु पिछले वर्ष कुल खर्च पर केवल 4.41 प्रतिशत आय हुई थी और यह आय इस वर्ष घटकर केवल 1.43 प्रतिशत रह गई है। क्या यही वाणिज्यिक आधार है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि दक्षिण के लिये नियत धन का उपयोग उत्तर में किया गया है। इससे दक्षिण में भारी असन्तोष है और आगामी चुनाव में इस के परिणाम आपके सामने आयेंगे।

श्री था किरुतिनिन (शिवगंज): सभापति महोदय, मैं अपना भाषण रेलवे इम्प्लाइज प्रोग्रेसिव यूनियन, मद्रास की ओर से, जिसका मैं प्रधान हूं, स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र को श्रद्धांजलि देते हुए आरम्भ करता हूं। मैं नये रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यह रेल कर्मचारियों की ओर अधिक ध्यान दें।

जहां तक वर्तमान बजट का सम्बन्ध है, रेलवे को 39 करोड़ रुपये के अनुमानित अतिरिक्त राजस्व के साथ वर्ष के अन्त में 23 करोड़ रुपये का लाभ होगा। यह सब कुछ रेलवे की अर्थ-व्यवस्था की अच्छी दशा दिखाने के लिए किया गया है। वास्तव में यह बात नहीं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि रेलवे गलत आयोजन, गलत पूंजी-निवेश तथा कार्य अकुशलता से ग्रस्त है। इन समस्याओं का समाधान, जैसा कि हमने बजट में देखा है, महालेखा परीक्षक के दृष्टिकोण द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके लिए उच्च स्तर की प्रबन्ध क्षमता की आवश्यकता है। इस बात का बजट में कोई संकेत नहीं है कि इन समस्याओं का समाधान प्रभावशाली ढंग से किया जायेगा।

भाड़े की वृद्धि का मुख्य भार गेहूं, चावल, ज्वार तथा अन्य खाद्यान्नों पर पड़ा है। खाद्यान्नों सम्बन्धी राज्य सहायता तथा रियायतें वापस नहीं ली जानी चाहिएं थी जबकि तमिलनाडु भयंकर सूखे की लपेट में है और जब देश के दक्षिणी भाग को खाद्यान्न बहुत मात्रा में भेजा जाना है।

रेलवे अब "संकटग्रस्त" औद्योगिक एककों की श्रेणी में आ गया है। रेलवे की संकट-ग्रस्त वित्तीय तथा प्रबन्ध सम्बन्धी स्थिति के कारण कम उत्पादन क्षमता तथा मजूरी के बड़े-2 बिल नहीं हैं। इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति ने बजट सम्बन्धी नियंत्रण में सुधार तथा संसाधनों का यथार्थ दृष्टि से निर्धारण करने की ओर विशेष ध्यान दिलाया है।

अलाभकारी ब्रान्च लाइनों के रख-रखाव, कुछ ऐसी मदों पर लागत से कम भाड़ा लेना जिनका वास्तविक भाड़ा तथा रियायत 60 प्रतिशत पड़ती है और जो "सामाजिक" भार समझा जाता है, आदि-आदि ही घाटे के असली कारण हैं। 1973-74 के दौरान यह सामाजिक भार 225.44 करोड़ रुपये था। बिना टिकट यात्रा तथा उठाईगिरी से भी घाटा हुआ है। यदि घाटा कम करके आधा भी किया जाये तो प्रतिवर्ष लगभग 130 करोड़ रुपये की बचत होगी।

सरकार को लाभांश देने से भी रेलवे की आय में काफी कमी होती है। रेलवे की वित्तीय प्रबन्ध नीतियों पर पुनः विचार करने का अब समय आ गया है। रेलवे के ढांचे में परिवर्तन किया जाना चाहिये। रेलवे को अन्य व्यापारिक संस्थानों के समान कार्य करना चाहिये। सामान्य राजस्व को लाभांश की अदायगी बन्द की जानी चाहिये और यदि ऐसा न किया गया जाये तो इसे कम से कम लाभ के अनुरूप और संस्थान की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप दिया जाये। प्रबन्ध की आधुनिक पद्धति अपनाई जानी चाहिये। लाभ-प्रदता, आय-व्यय अनुपात, कार्य-कुशलता उचित औद्योगिक सम्बन्धों तथा कार्य-सम्पादन पर ज़ोर देने के अतिरिक्त जनशक्ति, आयोजन और विपणन सिद्धान्तों, विशेषकर मूल्य और सेवा के विस्तार के सम्बन्ध में ध्यान दिया जाना चाहिये।

रेलवे की अप्रीतिकर स्थिति के लिए मुख्य रूप से मालिक-कर्मचारी सम्बन्धों का तनावपूर्ण होना तथा रेलवे बोर्ड का उनको सुलझाने में असफल रहना है। मंत्री महोदय रेलवे का पुनर्गठन व्यापारिक और लाभप्रद रूप से नहीं करते। भाड़ा और किराया बढाने से कुछ नहीं होने वाला। रेलवे की वित्तीय स्थिति खराब होने के दो मुख्य कारण हैं। गत 10 वर्षों में सामान्य अर्थ-व्यवस्था का गिरना तथा कार्य-कुशलता का कम होना, गलत आयोजना और गलत व्यय है।

बेकार के सभी खर्चे बन्द किये जाने चाहियें। वित्त मंत्रालय की सहमति के बिना नैमितिक श्रमिकों का लगाया जाना एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का साधन है। यदि वर्तमान नैमितिकौ श्रमिकों को स्थायी बना दिया जाता है तो प्रतिवर्ष नैमितिक श्रमिक नहीं लगाने पड़ेंगे जिसमें बहुत सा रुपया बेकार जाता है। फिर बहुत ही मूल्यवान मशीनें बेकार पड़ी हैं और रेलवे यार्डों में जंग खा रही हैं। प्रतिवर्ष लाखों रुपया बड़े अफसरों के बंगलों की मरम्मत और सफेदी पर खर्च किया जाता है। इससे अधिकांश व्यय कम किया जा सकता है। बहुत से कदाचार तथाकथित क्षेत्रीय ठेका प्रणाली के कारण होते हैं। जानकार लोगों का विचार है कि इस प्रणाली के बन्द किये जाने से रेलवे को प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इस प्रकार का बेकार का व्यय, रद्दी बेचने, टिकट बचने, वैगनों के आवंटन, दावों के निपटान, मध्यस्थता और पदो का दर्जा बढ़ाने पर भी होता है। यह बड़ा ही लाभप्रद होता यदि गत 5 वर्षों में संसदविज्ञों समेत एक विशेषज्ञ समिति रेलवे की व्यय पद्धति का अध्ययन करती।

वर्तमान प्रणाली में खराबियों को दूर करने के लिये स्वतन्त्र लेखा परिक्षकों की अत्यन्त आवश्यकता है। रेलवे पर व्यय किफायत के साथ नहीं किया जाता और धन का उचित उपयोग नहीं होता उदाहरणतः चौथी योजना में जो नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं उनकी योजना ठीक नहीं की गई है और व अलाभकारी हैं। कुछ मामलों में उन्हें कतिपय दबाव के कारण स्वीकृति दी गई।

सरकार तिरुनेल वेल्लि—कन्याकुमारी, नागर कोयल—त्रिवेन्द्रम लाइन के निर्माण के लिये पर्याप्त धन देने में असफल रही है। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि इस लाइन से 6 प्रतिशत तक लाभ मिलता। कसूर—डिन्डीगुल—मदरै—तूतीकोरिन लाइन को लाभप्रद समझा गया है। परन्तु उसको

बदलने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मद्रास—विजयवाड़ा लाइन के विद्युतीकरण का काम चींटी की चाल से चल रहा है। मद्रास—तिरिवेल्लोर लाइन के विद्युतीकरण का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। तमिलनाडु में भयंकर सूखा पड़ा है। मंत्री महोदय कम से कम वहां के लिए एक लाइन की घोषणा अपने उत्तर में करें जिससे कठिनाई में पड़े वहां के लोगों को, विशेषकर रामनाथपुरम के, काम मिल सके।

भाड़े के रूप में रेलवे को मिलने वाली राशि का मूल्यांकन किये जाने का उचित समय आ गया है। कुछ वस्तुओं के भाड़े पर रियायत देने का कोई औचित्य नहीं है। इसका उद्देश्य उद्योगों की लागत कम करना हो सकता है, परन्तु ऐसे अधिकतर उद्योग इस रियायत का मूल्य कम करके उपभोक्ताओं को नहीं देते।

रेलवे बोर्ड के पास आवश्यकता से अधिक शक्तियां हैं तथा उनका उपयोग करने में वह असमर्थ है। उसके कार्यकरण का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। बोर्ड में शक्तियों और अधिकारों के केन्द्रीयकरण से निचले स्तर पर असन्तोष पैदा हुआ है। रेलवे को जो देश का सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है, बीमा निगम आदि के समान एक निगम में बदला जाना चाहिये।

Shri Krishan Chandra Pandey (Khalilabad): Mr. Chairman, Sir, first of all I pay my homage to late Shri L. N. Mishra and welcome the new Railway Minister. Everybody in the country knows the efficiency of the new railway minister. It is gratifying that the Railway Minister has decided to condone the breack-in-service of all railway employees except those who were charged with sabotage or violence. At the same time it should be ensured that no injustice is done to workers who were loyal during the stike. Those employees should be given all encouragement. Certain employees were dismissed on the ground that they had prevented the loyal workers from coming to duty. Cases of such employees should be considered sympathetically. A committee may be constituted to go into their cases.

In the Budget there is a proposal to provide some employment to unemployed young people. It is hoped that this proposal which has kindled a new hope among the youth, will be implemented.

The Prime Minister has laid the foundation of Chhitauri-bagha bridge. The pace of work on this bridge is so slow that there is no likelihood of this bridge being completed in the scheduled period. The work on this project should be expedited.

The work on the conversion of Barabanki-Samastipur line into a broad gauge is going very slow. The pace of work on this project should be quickened so that it is completed in the specified period. The work on the Sahjanva-Doharighat rail line should also be expedited. An assurance was given when late Shri Lal Bahadur Shastri was the Prime Minister that a railway line connecting Maghar with Balrampur via Bakhira, Menhdaval, Bansi would be provided. This assurance should be implemented. The narrow gauge line from Gorakhpur to Gonda should be converted into broad gauge. Pharenda-Nautanva line and Bhatni-Varanasi line should also be made broad gauge lines.

At present in railways English is used. Regional language should be given preference in different Zones. Even reservation Charts are put up in English. He is not against the use of English but Hindi and regional languages should not be ignored.

Late Shri L. N. Mishra had laid the foundation stone of the Nangal Talwara line. The construction work on this line should be started immediately.

The Railway Minister has given an assurance that railway trains will run punctually. At present trains run very late. It is hoped that the Minister's assurance will be implemented and trains will run punctually.

Railway Protection Force personnel had been deployed in Sasmastipur well in advance of the function to be attended by the former Railway Minister. Even then they were not able to ensure security of the Minister. This matter should be inquired into.

With these words I support the Railway Budget.

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे एक राष्ट्रीय संगठन है और जब हम रेलवे की समस्याओं तथा चुनौतियों पर विचार करते हैं तो हमें उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक अथवा पक्षपातपूर्ण रवैये के बजाय राष्ट्रीय रवया अपनाना चाहिये। भारत में रेलें एशिया में सबसे बड़ी हैं और विश्व में यह चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। मैं नये रेल मंत्री को बधाई देता हूं और स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इस वर्ष का बजट राहत पहुंचाने वाला और सहानुभूतिपूर्ण है। यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि आखिर यह चुनाव वर्ष का बजट है। इसी कारण मंत्री महोदय ने किराए और नहीं बढ़ाये हैं परन्तु भाड़े की दर में जो थोड़ी वृद्धि की गई है इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा।

रेलवे बोर्ड का आमूल पुनर्गठन किया जाना चाहिये। यद्यपि बोर्ड में अनेकों विशेषज्ञ हैं फिर भी बोर्ड के कार्य के पुराने ढर्रे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रायः मंत्री महोदय को बोर्ड के बड़े अधिकारियों से काम लेना कठिन हो जाता है। रेलवे बोर्ड के अधिकारी रेलवे के विकास के सम्बन्ध में औपचारिक और कभी-कभी सख्त रवैया अपनाते हैं। इसलिए हममें से कुछ लोग सम्पूर्ण रेलवे प्रशासन के पुनर्गठन की मांग करते आ रहे हैं। यह कार्य पद्धति बड़े लम्बे समय से चलती आ रही है। अब हमें इसको फिर से सुव्यवस्थित करना चाहिये। यदि ऐसा किया जाना है और उस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है तो उसका स्वागत किया जायेगा।

गत वर्ष की हड़ताल से रेलवे का कार्यकरण छिन्न-भिन्न हो गया था परन्तु जैसा कि नये रेल मंत्री के व्यवहार से लगता है औद्योगिक सम्बन्धों के लिए नये आयाम खुलेंगे। रेलवे कर्मचारियों में दुःख और कष्ट का वातावरण विद्यमान है यद्यपि रेल मंत्री ने यह कहा है कि हिंसा के लिए दोषी व्यक्तियों के अलावा अन्य कर्मचारियों की सेवा के व्यवधान को समाप्त कर दिया जायेगा। मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिएकि हिंसा की घटनाएं सिद्ध की जायें क्योंकि कभी-2 कर्मचारियों के अधिकारी उनसे बदला लेने के लिए उनकी शिकायत करते हैं।

प्रसन्नता की बात है कि रेलवे कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज बहुत अच्छे हैं। हमारे पड़ौसी विकास-शील देशों से कुछ लोग यहां रेलों के सम्बन्ध में जानकारी आदि प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं। इन रेलवे कर्मचारी प्रशिक्षण कालेजों को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये।

यद्यपि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष रेलवे की वित्तीय स्थिति अधिक खराब नहीं है क्योंकि इस वर्ष अधिक यातायात रहा है। फिर भी हम आर्थिक और कार्य संचालन के क्षेत्र में सन्तोषजनक गवेषणा नहीं कर पाये हैं। यदि संचालन कार्य-कुलशता और उत्पादकता पर आशातीत बल दिया जाता तो रेलवे की आर्थिक स्थिति वस्तुतः अधिक बेहतर हो जाती।

खेद है कि बजट में नई रेलवे लाइनों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है । निराशापूर्ण ढंग से हमें यह बताया गया है कि सरकार के सम्मुख वित्तीय कठिनाइयों के कारण नई रेल लाइनें नहीं बिछायी जा सकतीं । इन आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद मंत्री महोदय को विशेषकर पिछड़े और विकासशील क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का निर्माण करने और उनकी योजना बनाने की दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिये । गुजरात के साबर कांठा जिले में भावनगर––तारापुर और कापड़वक––मोलासा रेल लाइनों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । गुजरात को अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । सरकार को ये दोनों रेल लाइनें अभाव राहत कार्य के रूप में आरम्भ करनी चाहियें । इससे परियोजनाओं को अधिक बल मिलेगा । बड़ौदा––छोटा उदयपुर रेल लाइन तथा नाडियाद काँपड़बानज और नाडियाद––पेटलाट––भद्रान––प्रताप नगर जैसी अन्य छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाना चाहिये । अहमदाबाद––दिल्ली मीटर लाइन को भी बड़ी लाइन में बदलने की योजना है। इसके लिए सर्वेक्षण जुलाई, 1973 में पूरा किया गया था । इस लाइन पर काम शुरू करना चाहिये क्योंकि यह लाइन गुजरात और राजस्थान में होकर निकलती है जिनकी सीमा हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान से मिलती है ।

इसके अतिरिक्त वतिमगांव––ओखा––पोरबन्दर मीटर गेज़ रेलवे लाइन को भी बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाना चाहिये । यह कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है । इसे तेजी से पूरा किया जाना चाहिये ।

कच्छ भी एक पिछड़ा क्षेत्र है । गांधी धाम––लखपत रेलवे लाइन को मुंदरा भद्रेश्वर और मांडवी होकर अभिलाषा तक बढ़ाने के लिये अनेक वर्षों से संसद में मांग की गई है । इस मार्ग की दूरी केवल 50 मील है पता नहीं रेलवे अधिकारी इस पर कार्य आरम्भ क्यों नहीं करना चाहते ।

एक संगठन ने बम्बई में एक बहुत अच्छा प्रस्ताव पेश किया है कि यदि पंचमहल में दाहोद से कालोद होकर राजस्थान में झंामरकोटा तक ब्राडगेज़ लाइन के लिए इजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण किया जाये और प्राथमिकता के आधार पर वहां रेल लाइन बनाई जाए तो इससे प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और इससे अधिक सामान वहन किया जायेगा तथा और अधिक लोक यात्रा कर सकेंगे ।

रेलों के विकास के लिये कार्य-कुशलता और समयबद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये । बिजली चालित रेलगाड़ियां चलाने से भी समयबद्धता में प्रगति नहीं हुई है ।

बिना टिकट यात्रा एक सामाजिक समस्या है । हमें इसके लिए केवल रेल अधिकारियों की ही निन्दा नहीं करनी चाहियें । कई बार क्रुद्ध युवा बिना टिकट कई स्थानों की यात्रा करते हैं । यह उचित नहीं है ।

लगभग एक सप्ताह से अहमदाबाद–बम्बई एक्सप्रेस रेलगाड़ी बन्द कर दी गई है क्योंकि रेल अधिकारियों को पता चला है कि वैतरणी का पुल सुरक्षित नहीं है । लेकिन जब मानसून, बाढ़ आदि नहीं हैं तो यह पुल अचानक असुरक्षित कैसे हो गया है । जिन पुलों से एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलती हैं उन पुलों के निर्माण और उनके रख-रखाव के लिए अधिक सावधानी बरतनी चाहिये ।

हमें बताया जाना चाहिये कि क्या रेल अधिकारियों ने व्यापार बहुत माल के लाने ले जाने की समस्या पर ध्यान दिया है । इससे रेलवे को कितनी आय हुई है ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या माल यातायात से अधिकतम आय हो सकती है ।

पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से स्थानान्तरित करके अहमदाबाद या बड़ौदा जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर ले जाया जाना चाहिये । सौराष्ट्र क्षेत्र में इस समय लगभग 75 रेल गाड़ियां रद्द कर दी गयी हैं । उन्हें तुरन्त आरम्भ किया जाना चाहिये । सौराष्ट्र में चलने वाली कीर्ति एक्सप्रेस और भावनगर मेल जैसी मुख्य गाड़ियों के लिए डीज़ल के इंजनों की सप्लाई करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये । लम्बी यात्रा करने वाले द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को शयन कक्षों और रेलवे स्टेशनों पर अधिक प्रतीक्षालयों जैसी अधिक सुविधायें दी जानी चाहिये ।

अहमदाबाद के बहुत से लोगों का कलकत्ता में व्यापार है और अहमदाबाद तथा हावड़ा के बीच भारी यातायात है । रेलवे अधिकारियों को वीरंगम और हावड़ा के बीच सीधी रेल सेवा आरम्भ करनी चाहिये क्योंकि वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और पंजाब के लाखों लोग अहमदाबाद में रहते हैं । उन्होंने अहमदाबाद से भोपाल, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी के लिए सीधी रेलवे लाइन की मांग की है । यह सीधी रेल सेवा भी चालू की जानी चाहिये ।

खुशी की बात है कि दक्षिण रेलवे की समय सारिणी तमिल भाषा में भी प्रकाशित हुई है । इसी प्रकार पश्चिम रेलवे की समय सारिणी भी गुजराती में प्रकाशित की जानी चाहिये ।

रेलवे प्लेटफार्मों पर खोमचे वाले रात के समय बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं जिससे सोने वाले यात्रियों को कठिनाई होती है । ऐसा नियम बनाया जाना चाहिये कि रात्रि को 2 बजे से प्रातः के 5 बजे तक खोमचे वाले स्टेशनों पर न चिल्लायें ताकि गाड़ियों में सोने वाले यात्रिको को कठिनाई न हो ।

श्री पी०वी० जी० राजू (विशखापत्तनम) : रेलें हमारे देश में परिवहन की मुख्य व्यवस्था है । हमें रेल व्यवस्था ही नहीं बल्कि सड़क और जल परिवहन का भी विकास करना चाहिये ।

हमारे देश में ब्राड गेज़ और मीटर गेज़ की रेल व्यवस्था है जबकि यूरोप में एक प्रकार की ही गेज़ प्रणाली है । हमारी रेलवे लाइनें यूरोप की तरह सुदृढ़ नहीं हैं । हमें बताया गया है कि भारतीय ब्राड गेज़ प्रणाली पर एक रेलवे लाइन का भार 90 पौण्ड का है जबकि यूरोप में 150 पौंड वाले भार की लाइनें हैं । मीटर गेज़ की एक रेल लाइन का भार 60 पौण्ड है । 90 पौण्ड के भार वाली रेल लाइन पर गाड़ी 65 से 70 मील प्रति घन्टा की गति से दौड़ सकती है । जब हमारा अपना इस्पात उद्योग है तो हम यूरोप की तरह रेल लाइनें क्यों नहीं बनाते तभी हमारी रेल गाड़ियों की गति 65–70 मील प्रति घन्टा से बढ़कर लगभग 100 मील प्रति घन्टा हो सकती है ।

अन्य देशों अर्थात् यूरोप और अमरीका के देशों में रेलवे पुलों पर 75 से 80 मीटरी टन तक भार ढोया जा सकता है । लेकिन भारत में रेलवे पुलों पर केवल 50 से 55 मीटरी टन तक भार ढोया जा सकता है । हमें पता नहीं कि क्या हम अपने पुलों की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं या नहीं । लेकिन मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के बीच मज़बूत और चौड़े पुलों और ब्राड गेज़ रेल लाइनों की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

रेलवे लाइनों में सुधार की आवश्यकता है । रेलों को सड़क परिवहन व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिये । हमारे देश का सड़क परिवहन विश्व में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ तन्त्र है । भारतीय सड़क अथवा पुल यदि राष्ट्रीय राजमार्ग है तो 12 मीटरी टन से अधिक भार वहन नहीं कर सकते और राज्य राज मार्ग तो 12 मीटरी टन ही सहन कर सकते हैं । भारतीय रेलवे पुलों पर 50 मीटरी

टन से अधिक भार वहन नहीं किया जा सकता है । हमें रेलवे पुलों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये ताकि यूरोप और अमरीका की तरह इन पर कम से कम ४० मीटरी टन भार ले जाया जा सके ।

हमारे देश में मिश्रित रेलवे प्रणाली नहीं होनी चाहिये । सभी नैरो गेज और मीटर गेज रेलवे लाइनें ब्राड गेज रेलवे लाइनों में परिवर्तित कर दी जानी चाहिये ।

Shri Ramshekhar Prasad Singh (Chapra): First of all I would like to pay tributes to the former Railway Minister Shri L. N. Mishra, who took interest in the development of backward areas. I hope that the works started by the former Railway Minister will be completed by the Government.

The present Railway Minister was in the State politics before entering the Central Cabinet. Development of all the regions of the country depends upon the Government of India, the Railway Minister and the Prime Minister.

Railways are closely associated with the people. Railways are the life-line of the country, because it maintains the cultural unity of the country.

Railways are divided into 9 zones and these zones are further divided into Divisions Samastipur Division is a very big Division. No punctuality in the running of trains is observed there.

The former Railway Minister gave an assurance that Divisional Headquarters will also be set up at Sonepur as is being done in the case of Rangia. I hope that the Railway Minister will fulfil this assurance.

Howrah Deluxe, which runs between Delhi and Mirzapur should be routed through Banaras.

The reservation charts should be legible and pasted on the second class compartments. Reservation staff should be instructed to guide the people.

Some provision should be made for the employment of unemployed graduates. The scheme formulated by the former Railway Minister in this behalf should be implemented.

The former Railway Minister also issued certain orders for the ejectment of encroached land belonging to the Railways. In Chapra a lot of Railway land has been encroached by the people. They should be ejected and the land so released should be distributed among the weaker sections of the community.

श्री पाम्रोकाई हाम्रोकिप (बाह्य मनीपुर) : मैं मंत्री महोदय को बजट पेश करने के लिये बधाई देता हूं ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि यात्री किरायों तथा भाड़े की दरों में कोई वृद्धि नहीं की है । इस बजट की अन्य अच्छी बात यह है कि मंत्री महोदय ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की भर्ती सम्बन्धी नीति को सक्रिय रूप से क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया है ।

बिजली और शौचालय की रेल डिब्बों में उचित व्यवस्था नहीं है । स्टेशनों पर किताबों की अच्छी दुकानें भी नहीं हैं । इन बातों की ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये तथा उनमें उचित

सुधार किया जाना चाहिये । अब जबकि एक नए मंत्री द्वारा रेल मंत्री का पद सम्भाला गया है मैं आशा करता हूं कि वे इन सुविधाओं की ओर अवश्य ध्यान देंगे ।

हम सब राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं लेकिन उनकी प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि हवाई सेवा, रेल सेवा तथा जल सेवा का देश में पर्याप्त जाल बिछा हो । इनमें रेलवे सबसे महत्वपूर्ण है ।

मणिपुर-त्रिपुरा में सदियों से नई रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई । एकमात्र लाइन जो वहां है वह आसाम से है । हमारी मांग है कि सरकार नई दिल्ली से गोहाटी तक, बरास्ता फरक्का एक नई रेल लाइन बिछाने के कार्यक्रम की जांच करे । हम न्यूबोंगईगांव तक जाने वाली रेल लाइन का विस्तार गोहाटी तक कराना चाहते हैं ताकि इस लाइन का उपयोग अच्छी तरह जनता द्वारा किया जा सके ।

मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए तथा देश के उस भाग को एक उचित रेलवे लाइन के साथ जोड़ने के लिए ईमानदारी से विचार करेगा ।

Shri Pratap Singh Negi (Garhwal): I congratulate the hon. Railway Minister for presenting the railway budget.

Hilly areas are not covered by railway lines and my constituency is one of the most neglected regions in the matter of railway lines. 27 years of independence has not brought about any substantial improvement in this direction. Four trains used to run between Nazibabad and Kotdwar out of which 2 trains have been suspended. I have requested the Railway Minister to look into it and see that the remaining two trains are resumed.

A survey for laying Railway line from Haridwar to Karanprayag was conducted in 1915 by the British Government but the railway line was not laid by the then Government. I request the Government to take up this work and lay the railway line.

One coach used to be attached to the train running between Kotdwar and Banaras but this coach is now attached on alternate days. The coach should be attached daily and regularly.

Three coaches used to be attached to the train running from Delhi to our area which was reduced to one. After staunch agitation and resentment from the people of the area all the three coaches are being attached but these coaches are generally full to their capacities. A first class compartment should be attached with the train from Kotdwar to Banaras for the convenience of M.L.A.s etc.

I have constantly been demanding a direct train service from Delhi to Kotdwar which can be named as Badrinath Express. I repeat my demand for running Badrinath Express which will facilitate the journey of the pilgrims to Badrinath.

I hope that special attention will be paid towards this hilly area in the matter of railway.

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : यह पहला अवसर है जबकि किरायों में वृद्धि नहीं हुई है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अगले बजट में इस बात का प्रयास करेंगे कि टिकटों की कीमत 1972 तक के स्तर तक आ पहुंचे । यह एक गतिशील और क्रान्तिकारी कार्य होगा ।

यदि सारे भारत के सभी ज़ोनल रेलवे के माल यातायात के अनुपात को देखें तो पता लगेगा कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में यह माल यातायात 65 प्रतिशत है। मैं जानना चाहता हूं कि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर कार्य कर रहे उड़ीसा के लोगों की प्रतिशतता क्या है। यदि दक्षिण-पूर्व रेलवे के जरिए 65 प्रतिशत माल यातायात होना है तो दक्षिण-पूर्व रेलवे में उड़ीसा के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया क्यों नहीं जाता ?

रेलवे के खान पान विभाग द्वारा उपलब्ध किया जाने वाला खाना घटिया स्तर का होता है। दुर्भाग्यवश खान-पान समिति समाप्त कर दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को समिति का सदस्य बनाया जाना चाहिये जो प्लेटफार्मों पर जाकर खाने वाली चीज़ों का निरीक्षण करें और यदि भोजन खराब किस्म का पाया जाये तो विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दें और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

रेलवे बोर्ड उड़ीसा की उपेक्षा करता आ रहा है। बसबनी–जगपुड़ा लाइन के निर्माण की मांग की जाती रही है। दुःख की बात है कि इस लाइन के लिये केवल एक लाख रुपया ही स्वीकृत किया गया है जबकि कुल खर्चा 20 करोड़ रुपये से भी अधिक होगा।

सभी आदिवासी क्षेत्रों में रेलवे लाइनें होनी चाहियें। जब तक आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं किया जाता तब तक भारत का भाग्य नहीं बदल सकता।

इन क्षेत्रों के बारे में रेलवे बोर्ड ने तर्क दिया है कि वहां रेलवे लाइनों का निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइनें अनार्थिक लाइनें होंगी। जब तक हम अपने आन्तरिक ढांचे को मजबूत नहीं बनाते तब तक हम आर्थिक विकास नहीं कर पायेंगे। भद्रक और धंवली तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के बीच रेलवे लाइन बनाने के बारे में रेल मंत्रालय को कई सुझाव दिए गए हैं। यह पता चला है कि अनार्थिक लाइनों के सर्वेक्षण के लिए एक समिति बनाई गई है और इस समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट दे दी होगी। सरकार को इस बारे में विचार करना होगा कि इन लाइनों को आर्थिक दृष्टि से कैसे लाभप्रद बनाया जा सकता है।

सारे दक्षिण-पूर्व एशिया में बालासौर का रक्षा प्रतिष्ठान महत्वपूर्ण है। मद्रास मेल में बालासौर से मद्रास तक के लिए तो कोटा है पर बालासौर से हावड़ा तक के लिए कोई कोटा नहीं है। बालासौर के यात्रियों के लिए भी कुछ कोटा नियत किया जाना चाहिए।

भारतीय रेलवे के पास इन्टेग्रल कोच फैक्टरी है। विदेशों में भारत के इंजीनियरों की प्रशंसा की जाती है। हमारे सवारी डिब्बे भी विश्व के सवारी डिब्बों से कम नहीं। केवल उनका रख-रखाव ही जरूरी है।

हावड़ा–कटक और हावड़ा–बालासौर के बीच जो गाड़ियां चलती हैं उनमें रेलवे सुरक्षा दल के लोग नहीं रहते और महिला यात्रियों को काफी खतरा है। रेलवे सुरक्षा दल के लोगों के विरुद्ध बहुत आरोप लगाये गये हैं। रेलवे से यदि भ्रष्टाचार दूर किया जा सके तो रेलवे की आय दस गुना अधिक हो सकती है।

रेलवे के किराये-भाड़े तो हम बढ़ाते आ रहे हैं लेकिन रेलवे का स्तर ऊंचा नहीं कर पाये। रेलें घाटे में चल रही हैं। अतः रेल कर्मचारियों को अधिक धन दे पाना सम्भव नहीं है। घाटे का एक कारण बिना टिकट यात्रा भी है। टिकट देखने वाले अपराधियों से मिले रहते हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों को सज़ा दी जानी चाहिये ताकि भ्रष्टाचार स्थायी तौर पर समाप्त किया जा सके।

अनेक कार्मिक संघों का दृष्टिकोण संकुचित रहता है। ये लोग एक अन्य हड़ताल की बात सोच रहे हैं। हज़ारों कर्मचारियों को अभी पुनः नौकरी पर लिया जाना है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि कर्मचारियों के बच्चों और परिवारों को कोई कष्ट न हो और उनके अभिभावकों को पुन काम पर लगा दिया जाये। वफादार कर्मचारियों को दिये गये कर्मचारियों के प्रति न्याय होना चाहिये और उन्हें दिये गये आश्वासन पूरे किये जाने चाहियें।

Dr. Sankata Prasad (Misrikh): I congratulate Shri Tripathi for taking over the portfolio of Railways.

Ticketless travelling has become common on the Railways. There is no strict supervision to check it. Those who are found guilty of travelling without tickets should be dealt with severely.

The Railway Minister should pay necessary attention towards sale of reservation tickets at the Stations.

Neemsar, which is in my constituency should be linked with the broad and narrow gauge lines for the convenience of people visiting this place. Mahmudabad should also be linked with the Rampur Mathura. Speed of the trains running between Shahjahanpur and Sitapur should also be increased.

A number of railway employees have not so far been reinstated. Their cases should be considered sympathetically and they should be reinstated.

इसके बाद लोक सभा गुरुवार, 6 मार्च, 1975/15 फाल्गुन, 1896 (शक) के 11 बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 6th March, 1975 Phalguna 15, 1896 (Saka).

MGIPRRND—16 LSS/75—Sec. I-D—3-7-75—200.